द्वितीय माला, खण्ड ५०--अंक ७

बुधवार, २२ फरवरी, १९६१
३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५० में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

१ रुपया (देश में)   ४ शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५०—अंक १ से १०—१४ से २७ फरवरी, १९६१/२५ माघ से ८ फाल्गुन १८८२ (शक)

अंक १—मंगलवार, १४ फरवरी, १९६१/२५ माघ, १८८२ (शक)

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
निधन संबंधी उल्लेख	१
राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया . .	२—७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	७—८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८—९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०–६१ . .	९
सदस्य द्वारा पद त्याग	९
प्रसूति लाभ विधेयक	१०
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	
बीमा (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . . .	१०
दैनिक संक्षेपिका	११—१३

अंक २—बुधवार, १५ फरवरी, १९६१/माघ २६, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ और २३ . . .	१५—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९ से २२ और २४ से ४२ .	३७—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४५ और ४७ से ५७ . .	५२—८०
स्थगन प्रस्ताव	
कुछ बैंकों को शोध-विलम्ब-काल की मंजूरी दी जाने से उत्पन्न स्थिति .	८०—८२
कांगो की स्थिति के बारे में वक्तव्य	८२—८६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	८७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८७—९१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६०–६१ . . .	९१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	९१—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में शुद्धि . .	९३
रेलवे आयव्ययक (१९६१–६२)—उपस्थापित . . .	९४—१२०
दैनिक संक्षेपिका	१२१—१२८

अंक ३—गुरुवार, १६ फरवरी १९६१/२७ माघ, १८८२ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ४६, ४८ से ५५ और ५७ . १२९—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ५६ और ५८ से ८२ . . १५५—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ५८ से १४८ और १५० से १६३ . १६७—२२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३९ के उत्तर में शुद्धि . . . २२१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २२१—२२

प्राक्कलन समिति—
सौवां प्रतिवेदन २२३

समिति के लिये निर्वाचन—
राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड २२३

सभा का कार्य २२४

द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक . . . २२४

विचार प्रस्ताव . . . . २२४—६४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
छियत्तरवां प्रतिवेदन २६४

कार्य मंत्रणा समिति—
इकसठवां प्रतिवेदन २६५

दैनिक संक्षेपिका . . . . २६६—७३

अंक ४—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९६१/२८ माघ, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ८४ से ९३ . . . . २७५—३०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ८३ और ९४ से १४० . . . ३०१—२४
अतारांकित प्रश्न संख्या १६४ से २५१ . . . ३२४—६२

दिनांक १६-११-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर में शुद्धि . ३६२

स्थगत प्रस्तावों के बारे में . . . . . . ३६२—६३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ३६३—६४

प्राक्कलन समिति—
एक सौ पांचवां प्रतिवेदन ३६४

प्रसूति लाभ विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . ३६४

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर में शुद्धि . . .	३६५
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकसठवां प्रतिवेदन . .	३६५
सभा का कार्य . . .	३६५—६६
समिति का निर्वाचन—	
मानव विज्ञान के लिये केन्द्रीय परामर्श बोर्ड	३६६
सभा के कार्य के बारे में	३६६
द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	३६६—८७
खंड २ से ८	३६९—८७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियत्तरवां प्रतिवेदन	३८७—८८
कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की दर बढ़ाने सम्बन्धी संकल्प—	
अस्वीकृत	३८८—९४
राजनैतिक प्रचार के लिये धार्मिक स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध सम्बन्धी संकल्प	३९५—४०६
दैनिक संक्षेपिका	४०७

अंक ५—सोमवार, २० फरवरी, १९६१/१ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १५४ और १५७	४१५—४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४१, १५५, १५६, और १५८ से १६७	४४२—४८
अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ से २८८	४४८—६४
निधन सम्बन्धी उल्लेख	४६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४६४
प्रक्कलन समिति—	४६५
एकसौ छैं वां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश में कोयले और कोक की अत्यधिक कमी	४६५—६८
समिति के लिये निर्वाचन —	
राजघाट समाधि समिति	४६८
द्विसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) विधेयक, १९६०—	

विषय	पृष्ठ
खण्ड ३, ६ और अधिनियम सूत्र	४६८
पारित करने का प्रस्ताव	४६९—७४
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	४७४—५१८
दैनिक संक्षेपिका . . .	५१९—२२

अंक ६—मंगलवार, २१ फरवरी, १९६१/२ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १७१ और १७४ से १८२	५२३—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७२, १७३, १८३ से २०६	५४९—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या २८९ से ३५४	५६५—९३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	५९३—९४
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	५९४—९७
रेलवे समय सारिणी के प्रकाशन के बारे में याचिका .	५९७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
"हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड", दिल्ली का बन्द होना .	५९७
उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक—पुरःस्थापित .	५९८
उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—	
सभा पटल पर रखा गया . . .	५९८
बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधयक—पुरःस्थापित	५९८
बैंकिंग समवाय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य—	
सभा पटल पर रखा गया	५९९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	५९९—६३९
दैनिक संक्षेपिका . . .	६४०—४७

अंक ७—बुधवार, २२ फरवरी, १९६१/३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २०७ से २१२, २१४, २१६ और २१८ .	६४७—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१३, २१५, २१७, २१९ से २५० .	६७०—८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५५ से ३५८ और ३६० से ४१५ .	६८७—७१३
स्थगन प्रस्ताव—	
चीनी आक्रमण का कथित खतरा . . .	७१४

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७१४—१७
प्राक्कलन समिति—	
एकसौ तीनवां प्रतिवेदन	७१७
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	७१७—५६
दैनिक संक्षेपिका	७६०—६७

अंक ८—गुरुवार, २३ फरवरी, १९६१/४ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २५१, २६३, २५२ से २५६, और २६८	७७१—९४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	७९४—९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६२, २६४ से २६७ और २६९ से २८०	७९६—८०६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४७०	८०६—३२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	८३२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८३३
रेल रोड पुल के निर्माण के बारे में याचिका	८३३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	८३३—६१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०–६१	८६१—६८
दैनिक संक्षेपिका	८६९—७३

अंक ९—शुक्रवार, २४ फरवरी, १९६१ / ५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २८१ से २८९, २९१, २९२, २९४ और २९६	८७५—९८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २९०, २९३, २९५ और २९७ से ३१७	८९८—९१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४७१ से ५४४	९१०—४६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९४६
लोक लेखा समिति—	
तेतीसवां प्रतिवेदन	९४६
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्तवां प्रतिवेदन	९४६

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य . .	६४७
सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में	४७-४८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०-६१ . .	९४८—७४
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन) .	९७४
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य का—पुरःस्थापित .	९७४
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०७, १२९, १४४ का संशोधन और नई धारा १३१-क का रखा जाना) श्री तंगामणि का—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	९७४—७८
सदस्य की गिरफ्तारी	९८१
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) श्री अजित सिंह सरहदी का—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	९८२
परिचालन करने का संशोधन—स्वीकृत हुआ . .	९८२—८८
ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के सम्भरण का अन्त विधेयक—	
श्री अरविन्द घोषाल का—	
विचार करने का प्रस्ताव	९८८
दैनिक संक्षेपिका . .	९८९—९४

अंक १०, सोमवार, २७ फरवरी, १९६१/८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख	९९५
दैनिक संक्षेपिका .	९९६

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—2079 (Ai) LSD—27-3-61—125

लोक-सभा

बुधवार, २२ फरवरी, १९६१

३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लोहा और इस्पात का निर्माण तथा वितरण

+

†*२०७. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहा और इस्पात के निर्माण और वितरण का विनियमन करने के लिये प्रशासन तंत्र का पुनर्गठन तथा सुव्यवस्थापन करने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ; और

(ख) लोहा और इस्पात के आयात तथा निर्यात का विनियमन करने के लिये यदि कोई विशेष प्रबंध किया गया है, तो वह क्या है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) सरकार लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन के प्रशासनिक ढांचे तथा नियंत्रण प्रणाली पर सतत् विचार करती रहती है । देश में लोहा और इस्पात अधिक मिलने के साथ लोहा और इस्पात नियंत्रण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में विभिन्न परिवर्तन किये गये हैं । कच्चे लोहा तथा पतले गेज की चादरों, टिन प्लेटों और तारों के अतिरिक्त सब श्रेणियों के इस्पात के लिये आभ्यंश प्रणाली

†मूल अंग्रेजी में

समाप्त कर दी गई है। अब उपभोक्ता लोहा और इस्पात नियंत्रक को या नियंत्रित स्टाकधारी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरे माल के लिये वस्तु आदेश दे सकता है और सामान्यतया लोहा और इस्पात नियंत्रक इस की पूरी व्यवस्था करता है। उत्पादकों को वस्तु आदेश देने की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और योजना का काम अब न्यूनाधिक रूप में पूर्ण है। योजना के पश्चात् के काम के लिये, विभिन्न वस्तु आदेश के लैजर खोले गये हैं ताकि संभरण की प्रगति को देखा जा सके तथा अधिक सक्रिय रूप से उसका विनियमन किया जा सके।

यद्यपि देश में संभरण स्थिति में बहुत अधिक सुधार हो चुका है। आसाम, आंध्र प्रदेश, मद्रास और केरल जैसे कुछ राज्यों को संतोषजनक संभरण नहीं किया जा सका जिनका कारण अधिकांशतः परिवहन संबंधी कठिनाइयां हैं। लोहा और इस्पात नियंत्रक ने स्थिति को ठीक करने के लिये इन राज्यों को लोहा और इस्पात भेजने के लिये विशेष कार्रवाई की गई है।

(ख) देशी उत्पादन बढ़ने के साथ लोहा और इस्पात का आयात कम होता जाएगा। तथापि सीमान्त कमी और अधिकता रहेगी और आयात तथा निर्यात कुछ मात्रा में जारी रहेगा। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के द्वारा लाइसेंस दी जाने वाली वस्तुओं के लिये आयात लाइसेंस देने की नीति प्रत्येक महीनों में घोषित की जाती है। हम काफी मात्रा में कच्चे लोहे और अर्ध तैयार इस्पात का निर्यात कर सके हैं क्योंकि नवीन इस्पात कारखानों में तैयार करने वाले कारखाने चले नहीं थे, परन्तु इन मिलों के चलने के साथ ये वस्तुएं फालतू नहीं होगी। तथापि भारी ढांचे, चौड़ी पत्तियां आदि जैसे तैयार इस्पात का निर्यात करना संभव हो सकता है।

विकास विभाग की सूची वाले उद्योगों की सुविधा के लिये अप्रैल-सितम्बर १९६०से नई दिल्ली से केन्द्र की ओर से आयात लाइसेंस जारी करने का प्रबंध किया जाता है। अक्तूबर १९६० से मार्च १९६१ की अवधि से यह भी प्रबंध किया गया है कि नई दिल्ली में इस लाइसेंस देने की इकाई में दिल्ली राज्य के छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये आयात लाइसेंस दिया जाए।

अधिकांश मामलों में सीमा शुल्क निष्कासन पर्मिट जारी करने की प्रणाली समाप्त करके आयात प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। अब केवल निम्न मामलों के लिये सीमा शुल्क निष्कासन पर्मिटों की आवश्यकता है:—

(१) औजार, मिश्र तथा विशेष इस्पात को छोड़ कर सब श्रेणियों के आयात के लिये प्रतिष्ठापित आयातकों के लाइसेंसों के लिये किये गये आयात, और

(२) संविहित रूप से नियंत्रित लोहा और इस्पात श्रेणियों के आयात, जिन्हें आने पर लोहा तथा इस्पात नियंत्रक की हिदायतों के अनुसार बांटना पड़ता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: क्या यह सच है कि अमरीकी इस्पात विशेषज्ञों का एक दल हमारे एक इस्पात कारखाने में आया था और उन्होंने प्रशासनिक तथा यांत्रिक व्यवस्था में कुछ गंभीर कमियां पाई है और कुछ सुधारों का सुझाव दिया है? मैं स्थिति जानना चाहता हूं?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: अमरीकी इस्पात उद्योग के प्रतिनिधि इस्पात कारखानों में आये थे और वे मुख्यालय में भी आये थे। उन्होंने कुछ टिप्पणियां दी थीं। परन्तु उनके बारे में यह कहना कि उन्होंने कोई बड़ी न्यूनताएं पकड़ी हैं, कहना संभवतः ठीक नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : स्थिति क्या है, उन्होंने हमारा उत्पादन बढ़ाने के लिये किन सुधारों का सुझाव दिया है, और कठिनाइयां क्या हैं ? समूचा प्रश्न प्रशासनिक ढांचे, कुशलता और परिवर्तनों के बारे में है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उन्होंने उत्पादन के इस प्रश्न पर विचार नहीं किया; न ही उनसे इस पर विचार करने की आशा की गई थी। वे यहां इस्पात उद्योग के प्रतिनिधि के नाते देखने आये थे। उत्पादन संबंधी प्रश्न प्रविधिक होते हैं और उन पर लगातार विचार किया जाता है। निदेशक बोर्ड में अब एक निदेशक उत्पादन का प्रभारी है, वह ऐसा व्यक्ति है जिसका पूरा जीवन इस्पात कार्य में बीता है। वह सब इस्पात संयंत्रों के उत्पादन संबंधी मामलों की देख भाल कर रहा है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : अगले तीन वर्षों में इस्पात और लोहा निर्यात की संभावना क्या है तथा हमारा निर्माण का कार्यक्रम क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : निर्यात करने की हमारी क्षमता का कोई निश्चित अनुमान नहीं है, क्योंकि हम जो इस्पात बनाएंगे उसमें से अधिकांश का देश में ही उपयोग होने की संभावना है। कुछ सीमांत फालतू हो सकता है। जो फालतू इस्पात होगा उसको निर्यात करने का प्रयत्न किया जाएगा।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सत्य है कि प्रशिक्षित लोगों की अत्यधिक कमी भी अनुभव की गयी है और कुछ देशों ने पेशकश की है या उन से प्रार्थना की गई है कि वे कुछ लोगों को प्रशिक्षण ? दें कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जायगा और कौन देश उनको प्रशिक्षण देंगे ?

†**सरदार स्वर्णसिंह** : माननीय महिला सदस्य को विदित होगा कि हमने अपने शिल्पियों को इंजनियरी स्तर पर तथा चालक स्तर पर सैंकड़ों की संख्या में, विभिन्न देशों में प्रशिक्षण दिलाया है। अब जब कि हमारी इस्पात संयत्रों ने कार्य आरम्भ कर दिया है, अधिकांश प्रशिक्षण यहां इस्पात संयंत्रों में दिया जायगा और बड़ी संख्या में लोग विदेशों में नहीं भेजे जायेंगे। फिर भी हमें कुछ लोगों को बाहर भजने की आवश्यकता हो सकती है। उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जायगी।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : मैं इंजनियरी कर्मचारियों के बारे में नहीं पूछ रही थी क्योंकि यह प्रश्न प्रशासनिक रचना तथा प्रबंध संबंधी और उत्पादन प्रबंध प्रशिक्षण के बारे में था। कौन देश उत्पादन और प्रबंध कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे और कितने व्यक्तियों को ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : केवल प्रबंध संबन्धी प्रशिक्षण के लिए लोगों को भजने का हमारा इरादा नहीं है। उत्पातन के तरीकों का प्रशिक्षण प्रविधिक मामला है। उस के लिये किसी विदेश से किसी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। हम अन्य देशों के अनुभव से लाभ उठायेंगे। परन्तु हमें यहां अपनी टांगों पर खड़ा होना होगा।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह सत्य है कि अन्य दो स्थानों भिलाई तथा दुर्गापुर की अपेक्षा रूरकेला में मजदूरों की गड़-बड़ अधिक है क्योंकि वहां के प्रशासननिक प्रशासनिक तंत्र में त्रुटि है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं नहीं समझता कि रुरकेला में कोई बड़ी गड़-बड़ है। प्रबन्धकों और कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद हो सकता है। किन्तु उसे कायकर्ताओं की बड़ी गड़ बड़ कहना ठीक नहीं होगा। मै इसे नहीं मानता कि रुरकेला के प्रबंध में त्रुटि है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या कृषकों को आवंटित लोहा और इस्पात की वितरण पद्धति को सुधारने का कोई प्रस्ताव और है यदि हां, तो इसका सुधार किस प्रकार किया जायगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इस्पात की उपलब्धि होने के साथ; कृषि संबंधी कामों के लिए अपेक्षित बहुत सी चीज़ों का संग्रह करना सरल होगा। । चादरों, विशेषकर पतले गज वाली, तथा तारों के बारे में कुछ समय तक के लिए कठिनाइयां जारी रह सकती हैं। परन्तु कृषि औजारों के लिए जिस इस्पात की आवश्यकता होगी उसका संभरण करने के लिए वह पर्याप्त होगा और मैं कृषकों की आवश्यकता को पूरा करने में किसी बड़ी कठिनाई की कल्पना नहीं करता।

†**श्री तगामणि :** विवरण में हम देखते हैं कि कुछ राज्यों, विशेषकर मद्रास और केरल में संभरण परिवहन कठिनाईयों के कारण असंतोषजनक हैं। इसे कठिनाई बिना भेजने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और क्या इस्पात रेल द्वारा भेजा जा रहा है या समुद्र द्वारा और यदि हां, तो प्रत्येक मार्ग से कितने प्रतिशत माल जायगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जैसा कि मैं ने विवरण में कहा है, दक्षिण के राज्यों को पर्याप्त मात्रा में माल भेजने के मामले में कठिनाई है। हाल की कार्वाई उच्च प्राथमिकता आधार पर की गई है और वास्तव में गाड़ियां भर कर दक्षिण के स्थानों पर पहुंच गई हैं। समुद्र द्वारा वहन भी संभव है। माल ढ़ोने के लिए बहुत सक्रिय कार्रवाई की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि स्थति में शीघ्र ही सुधार होगा।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या यह सच नहीं है कि उड़ीसा सरकार के श्रम विभाग ने बताया है कि श्रम विधियों और विनियमों तथा अनुशासन संहिता का पालन नहीं किया जाता और फिर भी प्रबन्धक बेहतर श्रम संबंध बनाये रखने में कुछ नहीं कर सका है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह छोटा प्रश्न सामान्य रूप से बड़ो हो गया है। हम इस की अनुमति माननीय सदस्यों को रियायत के रूप में दे रहे हैं। इस का निवटांन नीति के मामले के रूप में नहीं किया जा सकता, प्रत्येक बड़ा मामला इस्पात, आयात, निर्यात, निर्माण आदि से उत्पन्न होता है। माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें और देखें। जब माननीय मंत्री की विभाग आएगा तो मैं उन्हें बड़ा अवसर दूंगा कि वे सब प्रकार के मामलों पर बोल सकें।

†**श्री हेम बरुआ :** यहां एक कठिनाई है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय :** हमेशा कठिनाई होती है । अगला प्रश्न । माननीय मंत्री सेंट्रल हाल में एक सम्मेलन का आयोजन करके क्यों उनको नहीं बुला लेते ? उनके विभाग के बारे में यहां बार बार प्रश्न आयेंगे ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** बड़ी खुशी से मैं उनको बुलाऊंगा । मैं नहीं समझता कि सम्मेलन करने से कोई हमें इस सभा में प्रश्न करने से रोक सकेगा । मैं माननीय सदस्यों के लिए तैयार हूं । सत्र के बीच दो बार, अनौपचारिक सलाहकार समिति की बैठक हुई हैं और जब इस की तिथि निश्चित हो जाएगी तो मैं सब सदस्यों को इस बैठक की सूचना दूंगा । जिनको दिलचस्पी है वे बड़ी खुशी से बैं क में आ सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को याद होगा कि यहां इस्पात के वितरण के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था और बहुत से सदस्य अधिक इस्पात लेने को उत्सुक थे । पांच प्रतिशत और छ: प्रतिशत दिया गया था ; कलकत्ता को १२० प्रतिशत दिया गया था समय समय पर ऐसे प्रश्न आते रहते हैं । छोट प्रश्न-काल में इस की व्याख्या नहीं की जा सकती । यह उत्तम होगा कि माननीय मंत्री शीघ्र ही सम्मेलन बुलाएं क्योंकि प्रश्न काल समाप्त हो चुका है । मैं सब माननीय मंत्रियों से अपील करूंगा कि जब हम प्रश्न काल में एक प्रश्न को पूरा नहीं कर पाते, तो अगले दिन वे एक प्रेस सम्मेलन बुला लिया करें । प्रेस सम्मेलन की अपेक्षा सदस्यों का सम्मेलन अधिक महत्वपूर्ण होता है । मैं सब मंत्रियों से प्रार्थना करूंगा कि जब कभी किसी प्रश्न विशेष के बारे में कोई संदेह उत्पन्न हो जाए तो अगले दिन या उसके बाद वे सब सदस्यों को बुलाकर उन्हें बताएं कि स्थिति क्या है । यह उपयोगी होगा ।

†**श्री त्यागी** : इस मामले में केवल एक मंत्री का काम नहीं है । वह हमेशा परिवहन की कठिनाई बताते हैं अतः दोनों मंत्रियों को इकट्ठे बैठना चाहिये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** अगली सलाहकार समिति की बैठक में इस्पात वितरण का प्रश्न विषय सूची के एक विषय के रूप में रखा जाए और स्थिति के बारे में पत्र सब सदस्यों में परिचालित किया जाए ।

नौ-शस्त्रों का उत्पादन

†*२०८. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार नौ शस्त्रों के देश में उत्पादन के विस्तार के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी हां । नौ शस्त्रों के देशी उत्पादन के विस्तार के बारे में नौ अधिकारी पिछले ८ – ९ वर्षों से ध्यान दे रहे हैं और अब तक जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक समझी जाती है ।

(ख) सभापटल पर व्यौरा बताना लोकहित में नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह :** प्रतिरक्षा मंत्रालय ने जो डौक यार्ड लिया है उसकी क्षमता क्या है और हम उस में एक वर्ष में कम से कम ५००० टन के कितने जहाज़ बना सकते हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह डौक-यार्ड जहाज़ बना सकते हैं पर टन भार आदि जहाज़ की श्रणियों पर निर्भर होंगे । इस समय वे सरकार के लिए असैनिक जहाज़ बना रहे हैं । बाद में, जब कुछ परिवर्तन किये जायेंगे, तो संभवतः वे दूसरे जहाज़ बनाएंगे । मैं केवल इतना ही कह सकता हूं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** : नौ सेना के लिए अपेक्षित सैनिक सामान में से कितने प्रतिशत देश में बनाया जाता है ? शस्त्रों के बारे में नहीं बल्कि सैनिक सामान के बारे में पूछ रहा हूं ।

†**श्री कृष्ण मेनन :** हमारा अधिकांश सामान इसी देश में बनाया जाता है, और केवल बहुत ही विशेषीकृत वस्तुएं यहां नहीं बनतीं, जो कम होती जा रही हैं ।

कावेरी घाटी में तेल सर्वेक्षण

+

†*२०९. **श्री उस्मान अली खां :**
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दक्षिण भारत में कावेरी घाटी में तेल की खोज के लिए रूमानिया से प्रार्थना की है ; और उसके बारे में रूमानिया सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ख) रूमनिया के साथ बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय):** : (ख) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उपन्न नहीं होता ।

†**श्री उस्मान अली खां :** क्या सरकार का ध्यान रूमानिया के मंत्री के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जो दक्षिण भारत में आये थे कि रूमानिया दक्षिण भारत में कावेरी घाटी में तेल की खोज के लिए अपने विशेषज्ञ भेजने को तैयार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं नहीं समझता कि रूमानिया की सहायता के साथ यह कावेरी घाटी जांच कैसे मिला दी गई है ।

†**श्री रामनाथन् चेटि्टयार :** क्या मद्रास सरकार की ओर से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** भारत सरकार का तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कावेरी घाटी में पहले ही कुछ काम कर रहा है। इस वर्ष हमारा इस काम को तेज़ करने का कार्यक्रम है और अन्तिम रूप में हम वहां तक सुराख भी खोदें हैं यदि भूकम्पीय जांच का परिणाम उत्साहवर्धक हुआ ।

†**श्री सुब्बया अ.बलम :** कावेरी डेल्टा बेसिन में कितने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है ? क्या वहां उपलब्ध तेल की मात्रा का अ नु .ान लगाया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** तेल का अनुमान वर्तमान जांच से बहुत दूर है। मुझे ठीक से स्मरण नहीं है कि कौन से क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है, परन्तु हमें तेल की मात्रा के अनुमान की प्रत्याशा करने से पूर्व बहुत से काम करने होंगे ।

†**श्री आचार :** कावेरी घाटी के काम के सम्बन्ध में अब तक कुल कितनी राशि खर्च हुई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** धन जांच के किसी क्षेत्र विशेष के लिये निश्चित नहीं होता । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग देश भर में काम का आवंटन करता है और बहुत सी योजनायें चल रही हैं। मैंने इस क्षेत्र विशेष के लिये धन का अनुमान नहीं लगाया ।

†**श्री तंगामणि :** हमें पहले बताया गया था कि कावेरी घाटी में तेल मिलने की संभावना थी जैसाकि प्रारम्भिक सर्वेक्षण से पता चला था । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अब किस प्रकार का काम और सर्वेक्षण कर रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस समय कावेरी घाटी में भूकम्पीय सर्वेक्षण हो रहा है, जो यह निर्णय करने से पहले का अन्तिम काम है कि खुदाई का काम किया जाना चाहिये या कि नहीं ।

विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा पाठ्य-क्रम

†*२१०. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या **शिक्षा** मंत्री २९ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा पाठय-क्रम जारी करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ३० और ३१ दिसम्बर, १९६० की अपनी बैठक में साधारणतया सामान्य शिक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और यह इच्छा प्रकट की कि समिति का प्रतिवेदन छापा जाये और सब विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में परिचालित किया जाए। आयोग ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सामान्य शिक्षा पाठ्य-क्रम जारी करने के लिये विश्वविद्यालयों को सहायता देने का फैसला किया है। सामान्य शिक्षा की योजना की क्रियान्विति में आवश्यक परामर्श और सहायता देने के लिये, आयोग ने एक सलाहकार समिति बनाने का फैसला किया, जिसके अन्य कामों के साथ साथ ये काम होंगे :

(क) विश्वविद्यालयों द्वारा सामान्य शिक्षा पाठ्य-क्रम को जारी करने के लिये आयोग से वित्तीय सहायता के लिये भेजे गये प्रस्तावों का पुनरीक्षण।

(ख) विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों की दृष्टि से इस क्षेत्र में विश्वविद्यालयों द्वारा प्रयोग करने को प्रोत्साहन देना।

(ग) महत्वपूर्ण सामान्य शिक्षा प्रयोगों की प्रगति का लगातार पुनरीक्षण करना तथा शिक्षा सम्बन्धी नीति में जो परिवर्तन वांछनीय हों, उनका सुझाव देना।

(घ) सामान्य शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा के लिये प्रादेशिक या केन्द्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना और उनमें भाग लेना।

२. आयोग के उपरोक्त निर्णयों को आयोग कार्यान्वित कर रहा है।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या इस मामले में किसी अमरीकी विशेषज्ञ से सलाह ली गई थी और यदि हां तो उसने क्या सलाह दी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी, हां। उनसे सलाह ली गई थी और यह सामान्य सलाह दी गई थी कि भारतीय विश्वविद्यालयों में ये पाठ्य-क्रम जारी किये जाने चाहियें।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या सरकार को विशेषज्ञ समिति द्वारा विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों को प्रतिवेदन के परिचालन के पश्चात् कोई टिप्पण प्राप्त हुए हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी, हां। प्रतिवेदन सब विश्वविद्यालयों को परिचालित किया जा रहा है और कुछ विश्वविद्यालयों ने किसी न किसी रूप में ये कार्यक्रम आरम्भ कर दिये हैं। वे हैं अलीगढ़, आंध्र, बनारस, बड़ौदा, जादवपुर, कर्नाटक, केरल, मैसूर, राजस्थान, सागर श्री वैंकटेश्वर, एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, उत्कल, विश्वभारती, मद्रास, पूना और उस्मानिया। इन विश्वविद्यालयों ने किसी न किसी रूप में सामान्य शिक्षा के ये पाठ्य-क्रम आरम्भ कर दिये हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस प्रतिवेदन को अन्य विश्वविद्यालयों को भी परिचालित कर रहा है और आशा है कि वे भी आरम्भ कर देंगे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह आशा की जा सकती है कि जिन विश्वविद्यालयों में अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं हैं, उनमें इसी जुलाई से इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कोशिश यही है। यह रिपोर्ट सर्क्युलेट की जा रही है और आशा की जाती है कि दूसरे विश्वविद्यालय भी इस काम को हाथ में ले सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जो जनरल एजुकेशन दी जाएगी इसमें, नैतिकता, आध्यात्मिकता और डिसिप्लिन विद्यार्थियों के अन्दर आए, इसका कहां तक समावेश है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** एक माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि इस सामान्य शिक्षा से क्या अभिप्रेत है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं इस सामान्य शिक्षा पाठ्य-क्रमों का उद्देश्य बताने जा रहा हूं कि इनका उद्देश्य विद्यार्थियों में एक सामाजिक दृष्टिकोण पैदा करना है । वर्तमान पाठ्य-क्रमों में अत्यधिक विशेषीकरण है । आवश्यकता से अधिक विशेषीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिये, विद्यार्थियों को संसार का, जिसमें वे रहते हैं, सामान्य ज्ञान अवश्य होना चाहिये, सामाजिक मामलों का तथा राष्ट्रों का कुछ ज्ञान होना चाहिये । यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया था कि जो लोग विज्ञान पाठ्य-क्रम लेते हैं, उनको यह सामान्य शिक्षा पाठ्य-क्रम लेना चाहिये और जो मानव शास्त्र पाठ्य-क्रम लेते हैं उन्हें सामान्य विज्ञानका कुछ पाठ्य-क्रम लेना चाहिये, ताकि हम में शिक्षा का उचित संतुलन हो सके । इस दृष्टि से सामान्य शिक्षा पाठ्य-क्रम जारी किये जा रहे हैं, ताकि जब विद्यार्थी, विश्वविद्यालय से छुट्टी पायें, वे न केवल अपने विषय में प्रवीण हों, अपितु समाज के सामने सामान्य रूप से आने वाली समस्याओं का भी ज्ञान हो ।

श्री म० ला० द्विवेदी : बयान में लिखा है कि इस काम को करने के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कमेटी बन गई है और अगर नहीं बनी है तो कब तक बन जाएगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कमेटी बन गई है, कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है । अब आप देखें तो पता चलेगा कि एक एडवाइजरी कमेटी नियुक्त....

श्री म० ला० द्विवेदी : एडवाइजरी कमेटी की बात ही मैं पूछना चाहता हूं । यहां पर लिखा है "......आयोग ने एक सलाहकार समिति बनाने का फैसला किया जो अन्य कामों के साथ ...."

डा० का० ला० श्रीमाली : इसकी मेरे पास इत्तिला नहीं है । अगर आप इसके बारे में अलग से पूछें तो मैं जवाब दे दूंगा ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है । माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि जनरल कोर्स का क्या मतलब है । लेकिन मैंने पूछा था कि नैतिक, आध्यात्मिक और विनय की शिक्षा विद्यार्थियों को मिले, क्या इसके भी कोई उपाय किये जा रहे हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सारी शिक्षा का ही ध्येय यह है कि हमारे जो विद्यार्थी बाहर आयें उनमें नैतिकता के गुण हों । उसके लिये कोई विशेष अलग से कोर्स की आवश्यकता नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं । यह जरूर है कि उनको कुछ स्पिरिचुअल एजुकेशन और मारल एजुकेशन भी होना चाहिये । इसके लिये एक तजवीज रखी है श्रीप्रकाश कमेटी की रिपोर्ट ने जिसको कि हमने यूनिवर्स्टीज़ को भेजा है और उसके ऊपर कारंवाई की जा रही है । लेकिन कोशिश यह होनी चाहिये कि विश्वविद्यालयों का सारा वातावरण ही ऐसा हो कि जिसका असर विद्यार्थियों के ऊपर अच्छा पड़े और नैतिक गुण उनमें आयें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति उपलब्ध है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी, हां । यह पुस्तकालय में रख दी जाएगी ।

†**एक माननीय सदस्य :** इसका सदस्यों में परिचालन किया जाना चाहिये ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालयों का वर्तमान पाठ्यक्रम जिसका उद्देश्य अधिक विशेषीकरण होता है, बहुत भारी समझा जाता है, क्या विश्वविद्यालयों में इस सामान्य शिक्षा पाठ्य-क्रम को जारी करने से वर्तमान पाठ्य-क्रम का भार बढ़ नहीं जाएगा और क्या सरकार वर्तमान भार को कम करके इस पाठ्य-क्रम को लगाने का विचार करती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वर्तमान पाठ्य-क्रम कुछ भी हों, आधुनिक विश्व में कोई व्यक्ति यह नहीं सोचता कि विश्वविद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थियों को उस समाज का सर्वथा अज्ञान हो जिसमें वे रहते हैं और उन्हें सामान्य ज्ञान नहीं होना चाहिये । यह सच है कि आजकल विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को बहुत अधिक सीखना पड़ता है क्योंकि ज्ञान की दिशाएं बढ़ रही हैं और उन्हें जितना भूतकाल में सीखना पड़ता था, उससे अधिक सीखना पड़ता है । परन्तु साथ ही, क्योंकि इतना अधिक विशेषीकरण है, सामान्य शिक्षा पाठ्य-क्रम जारी कर के इन पाठ्य-क्रमों का संतुलन करने की अधिक आवश्यकता है ।

श्री ब्रजराज सिंह : सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस कार्यक्रम को चलाने के लिये उन विश्वविद्यालयों को विशेष आर्थिक सहायता देगा जिनमें यह कोर्स चलाया जायेगा । अभी मंत्री जी ने बतलाया कि कुछ विश्वविद्यालयों में इस कोर्स को प्रारम्भ किया गया है । तो क्या उद्देश्य है इस आर्थिक सहायता का, और जिन विश्वविद्यालयों ने इस कोर्स को चला दिया है उन्हें क्या आर्थिक सहायता दी गई है ? क्या पहले से वहां इस काम के लिये अध्यापक नहीं थे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** तो क्या सहायता न मांगें ? क्या माननीय सदस्य सुझाव देते हैं कि विश्वविद्यालय चुप बैठे रहें और यदि उन्हें आवश्यकता हो तो धन न मांगें ?

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं यह नहीं कहता । वास्तव में, हम इन पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों को अनुदान दे रहे हैं । परन्तु यहां विशिष्ट प्रयोजन यह है . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य को यह सुझाव दे रहा हूं । केन्द्रीय सरकार से विभिन्न उद्देश्यों के लिये अनुदानों के मामले में, क्या विश्वविद्यालय जो पाठ्यक्रम आरम्भ करना चाहते हैं, धन नहीं मांगेंगे ? यदि उन्हें उसकी जरूरत होगी ? जब तक कि माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि किसी विश्वविद्यालय ने इसकी प्रार्थना की है और वह धनाभाव के कारण ये पाठ्यक्रम आरम्भ नहीं कर सकता, यह प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है ? क्या यह विश्वविद्यालयों को अनुदान मांगते रहने के लिये प्रोत्साहन दें, जब कि वे इन पाठ्यक्रमों के लिये प्रबन्ध करने की स्थिति में हैं ?

†**श्री ब्रजराज सिंह :** इस प्रश्न के पीछे यह विचार है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न दलों की स्थापना करता रहता है, इस विशेषज्ञ दल, वह सलाहकार दल आदि और उन पर धन खर्च किया जाता है । मैं यह कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अलग से स्वमेव सरकार नहीं बन जाना चाहिये और इसे इस प्रकार धन नहीं खर्च करते जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं यह बात नहीं है । मैं देखता हूं कि प्रायः यहां प्रश्न पूछ जाते हैं, जब बाढ़ या अकाल की स्थिति होती है, कि क्या अमुक राज्यों को धन मंजूर किया गया है । इसी प्रकार मैं देखता हूं कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या किसी विश्वविद्यालय को कुछ अनुदान दिया गया है ; और यह जाने बिना कि क्या उस विश्वविद्यालय या राज्य सरकार ने अनदान की मांग की है, और उन्हें उसकी आवश्यकता है, हम यहां प्रश्न पूछते रहते हैं । यदि उन्होंने पूछा है और यह महत्वपूर्ण मामला है, और हमें इस सरकार पर आग्रह करना है कि वह उनकी सहायता को तो मैं निश्चय ही प्रश्नों की अनुमति दूंगा । परन्तु उसके ज्ञान के बिना, केवल प्रश्न पूछने से सभा का समय नष्ट होता है ।

†श्री ब्रजराज सिंह : मैं सभा पटल पर रखे गये विवरण का उल्लेख करूंगा ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या इसमें कहा गया है कि धनाभाव के कारण कुछ विश्वविद्यालय इन पाठ्य-क्रमों को आरम्भ नहीं कर सके हैं ?

†श्री ब्रजराज सिंह : विवरण में कहा है :

"आयोग ने विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सामान्य शिक्षा पाठ्य-क्रम जारी करने के लिय विश्वविद्यालयों को सहायता देने का फैसला किया ।"

अतः आयोग ने इस योजना की क्रियान्विति के लिये विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है ।

†अध्यक्ष महोदय : अच्छा, अगला प्रश्न ।

दिल्ली में भिखारी

+
†२११. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आचार : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में भिखारियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जी, नहीं । भीख मांगते हुए पाये जाने वाले व्यक्तियों को दिल्ली में सेवा कुटीर में ले जाया जाता है और वहां उनको कपड़ा, खाना, स्थान और व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है । भिखारियों के बच्चों के लिये भी एक घर चालू किया गया है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : फरवरी, १९५९ के अन्त में भिखारियों की क्या संख्या थी और इस वर्ष फरवरी के अन्त में भिखारियों की कितनी संख्या है ? मंत्री महोदय यह कैसे कहते हैं कि इस संख्या में वृद्धि नहीं हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दातार : वर्ष १६५६ में समाज कल्याण निदेशालय द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था और उन्हें पता लगा कि यह संख्या लगभग ६७०० है। मुझे यकीन नहीं है कि इस संख्या में इतनी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है जितनी कि माननीय सदस्य समझते हैं।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार में कोई तथ्य है कि १ मार्च, १६६१ से भिक्षावृत्ति को अपराध करार दे दिया जायेगा और किसी भी भिखारी को भीख नहीं मांगने दी जायेगी ?

†श्री दातार : दिल्ली में कुछ विधि उपबन्ध लागू किये गये हैं। सरकार ने दिल्ली में बम्बई (भिक्षावृत्ति को रोकना) अधिनियम लागू कर दिया है। उसके अधीन नियम बनाये जा रहे हैं। इस अधिनियम के अधीन भिक्षावृत्ति पर रोक लग जायेगी और जो लोग भीख मांगेंगे, उनको पकड़ा जायेगा, प्रशिक्षित किया जायेगा और जितना भी हो सकेगा, उनको रोजगार पर लगाया जायेगा।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या भिखारियों ने बच्चे भी रख रखे हैं जो कि दिल्ली में भिक्षावृत्ति का नया रूप समझा जाता है, और यदि हां, तो बच्चों को बचाने के लिये क्या विशेष पग उठाये जा रहे हैं ?

†श्री दातार : जो कुछ माननीय सदस्या ने कहा, बिल्कुल ठीक है। सरकार इस बात के लिये पूरा प्रयत्न कर रही है कि बच्चों को पृथक् रखा जाये और उन्हें अच्छी प्रकार प्रशिक्षित किया जाये।

†श्री आचार : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित किया गया है कि समाज कल्याण बोर्ड ने सर्वेक्षण किया था और पिछले वर्ष भिखारियों की कुल संख्या ६५०० थी जब कि वर्ष १६५६ में यह संख्या केवल ३००० थी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है और क्या उनके पास इस बारे में कोई जानकारी है ?

†श्री दातार : जहां तक दिल्ली समाज-कार्य स्कूल द्वारा इकट्ठे किये गये वर्ष १६५६ के आंकड़ों का सम्बन्ध है, यह पाया गया कि यह आंकड़े गलत हैं और इसीलिये सरकार समाज कल्याण निदेशालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण पर विश्वास कर रही है जिसके अनुसार वर्ष १६५६ में ये आंकड़े ६७०० थे।

†श्री हरिश्चंद्र माथुर : क्या कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि इन सात हजार भिखारियों की देखभाल की जाये अथवा उन्हें समूचे देश में इधर उधर भेजा जाये ?

†श्री दातार : रचनात्मक और दाण्डिक दोनों उपबन्ध हैं।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या सरकार को पता है कि बेरोजगारी भिक्षावृत्ति का प्रमुख कारण है और यदि हां, तो बेरोजगारी दूर करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

†श्री दातार : माननीय सदस्य एक बड़ा व्यापक प्रश्न पूछ रहे हैं। इस समय यहां पर केवल भिखारियों का मामला है। हम कुछ दाण्डिक उपबन्धों द्वारा भिक्षावृत्ति रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी ओर हम उनको सेवा कुटीरों में रखने या कोढ़ी भिखारियों के लिये स्थानों में रखने अथवा विकलांग व्यक्तियों के लिये किसी अन्य स्थान पर रखने के लिये कुछ रचनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि कनाट प्लेस और कनाट सर्कस में भी कोढ़ी भिखारी प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं ?

†**श्री दातार** : सरकार इस मामले में उचित कार्यवाही कर रही है ताकि उन्हें निष्प्रयोजन चलने फिरने से रोका जाये जिस प्रकार वे अब पाये जाते हैं ।

†**श्री नवल प्रभाकर** : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में जो मन्दिर हैं उनके पास जो भिखारी बैठे रहते हैं, उनको हटाने के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्री दातार** : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा, वह ठीक है और सरकार बम्बई अधिनियम के अधीन नियम बना रही है और जैसे ही उनको प्रख्यापित किया जायेगा, वे इस दुर्वृत्ति को रोक सकेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जैसा कि श्री भा० कृ० गायकवाड़ ने उल्लेख किया है, क्या सरकार कुछ धर्मों द्वारा मंजूर की गयी भिक्षावृत्ति और बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा अपनाई गयी भिक्षावृत्ति में कोई अन्तर कर रही है और क्या सरकार उस अन्तर पर ध्यान दे रही है ?

†**श्री दातार** : ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल करने के लिये बम्बई अधिनियम बड़ा व्यापक है ।

†**श्री दशरथ देव** : मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है, प्रशिक्षण किस प्रकार का है और रोजगार किस प्रकार के हैं ?

†**श्री दातार** : अभी मेरे पास वास्तविक दण्ड-निर्णय के आंकड़े नहीं हैं । हम नियमों के प्रख्यापित किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और फिर स्थिति को नियमित किया जायेगा और कार्यकारी बनाया जायेगा ।

विमान का भग्नावशेष

*†२१२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के उखीमठ से कुछ दूरी पर मध्यमेश्वर के स्थान पर एक वायुयान के टूटे हुए भाग मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो वह वायुयान किस का था, किन परिस्थितियों में वह कब टूटा तथा उसके चालक और अन्य कर्मचारी कौन थे और दुर्घटना के कारण तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़): (क) और (ख). जी, हां । (ग) हवाई जहाज भारतीय वायु सेना का था । दुर्घटना ४–१०–१९६० को हुई, जबकि विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था । फ्लाईट ले० के० पी० सिंह, जो उस विमान में अकेला ही था, मारा गया, और हवाई जहाज़ तबाह हो गया । दुर्घटना की जांच के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी नियुक्त की गई है, परन्तु उसकी कार्यवाही अभी तक सम्पूर्ण नही हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री भक्त दर्शन :** सरकार को टूटे हुए वायुयान के अवशेष की खबर कब मिली और जांच पड़ताल कब की गयी ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) :** पर्याप्त मात्रा में वायु बल तथा असैनिक अधिकारियों द्वारा फलहीन खोज करने के पश्चात् हमें यह २६ नवम्बर, १९६० को बताया गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** कितने दिन बाद।

†**श्री कृष्ण मेनन :** १ महीना और २२ दिन। वायु बल को इसका पता नहीं लगा। असैनिक अधिकारियों ने और हमने जो सर्वेक्षण किये उनसे कहीं भी टूटे हुए विमान के अवशेषों का पता नहीं चला। फिर मन्दिर के किसी पुजारी को टूटे हुए जहाज का कुछ हिस्सा मिला। २६ नवम्बर, १९६० को हमें यह बात बतायी गयी। इसका स्थान बताना जन-हित में नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य स्पष्टतया यह जानना चाहते हैं कि जब एक विमान उड़ान करता है और गुम हो जाता है तो क्या इस बारे में सरकार को नहीं बताया जाता ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जी, हां। विमान के बारे में जरूर बताया जाता है। वह टूटे हुए जहाज के अवशेषों के स्थान के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मन्त्री महोदय को इस बारे में कब बताया गया ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** तत्काल। वह सूचना कुछ घंटों अथवा कुछ मिनटों बाद मिल गई थी।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्योंकि उखीमठ क्षेत्र भारत-तिब्बत सीमा से लगा हुआ है और जैसा कि चीनी विमान वहां कई बार देखे गये हैं, ऐसी अफवाह है कि ये टुकड़े एक विदेशी विमान के हो सकते हैं। क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि वह हमारा विमान था ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जी, हां। यह हमारा विमान था।

†**श्री जयपाल सिंह :** हिन्दी में दिये गये उत्तर में हमें कुछ भ्रमसा है। अंग्रेजी के उत्तर में हमें बताया गया है कि फ्लाईट ले० के० पी० सिंह मारा गया जबकि हिन्दी उत्तर में शब्द हैं 'मर गया'। यह 'मर गया' है अथवा 'मारा गया' है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** दोनों।

†**श्री जयपाल सिंह :** दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। किसी ने उसे मार दिया या गोली से उड़ा दिया अथवा वह दुर्घटनावश मर गया।

†**अध्यक्ष महोदय :** किसी ने उसे गोली से नहीं उड़ाया।

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह दुर्घटना थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** ये सुन्दर शब्द नहीं हैं।

†**श्री जयपाल सिंह :** मैं समझता हूं कि इसको ठीक कर दिया गया है अन्यथा इससे गलतफहमी होती।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : यह 'मर गया' है।

†श्री गोरे मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा लगता है कि इस दुर्घटना के पता लगाने में बहुत अधिक समय लगा। क्या यह इस लिये हुआ कि जहाज अपने मार्ग से भटक गया था अथवा यह जंगल या पहाड़ी क्षेत्र था जिससे हम इसका पता नहीं लगा सके ?

†श्री कृष्ण मेनन : जहाज ४ अक्तूबर, १९६० को टूटा। वायु बल ने ३३ खोज मिशन भेजे। फिर पुलिस, अन्तर्प्रांतीय पुलिस, रेलवे नियंत्रण सीमा बल—इन सब ने खोज की। ये बहुत बड़े स्थान हैं। यदि यह आबादी वाला इलाका होता, तो हम इसका पता जल्दी चला लेते। स्थान का पता बताना जनहित में नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। सामान्यतः मैं एक विमान, प्रशिक्षण विमान अथवा वायुबल के विमान की दुर्घटना सम्बन्धी प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं देता। ऐसी दुर्घटनायें होती रहती हैं। मैं उन प्रश्नो पर यहां इसलिये चर्चा करने की आज्ञा नहीं देता कि कहीं इस से अन्य लोग सेवाओं में भरती होना न चाहें। परन्तु मैंने इस प्रश्न को इस लिये मान लिया क्योंकि यह दुर्घटना सीमा पर हुई। उन्होंने बहुत खोज की है। टूटे हुये जहाज का पता लगाने में उन्हे एक महीने से अधिक लग गया। जहां तक अन्य ब्योरे का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय यह समझते हैं कि उन्हें बताना जन-हित में नहीं है क्यों कि यह दुर्घटना सीमा पर हुई है।

†श्री गोरे : जब एक विमान उड़ान करता है, तो विमान चालक भूमि नियंत्रण केन्द्र से सम्बन्ध बनाये रखता है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जिस समय जहाज टूटा क्या उस समय चालक का भूमि नियंत्रण केन्द्र से कोई सम्पर्क था। यदि हां, तो स्थान का पता लगाने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये थी। वास्तव में स्थान का पता लगाने में डेढ़ महीने से अधिक लग गया। किसी को निरुत्साहित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

†श्री नाथ पाई : हमारी इस सतर्कता से जवानों को सेवाओं में भरती होने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।

†श्री कृष्ण मेनन : उस प्रश्न का उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है। ४ अक्तूबर को प्रशिक्षण उड़ान पर प्रातः ९·३२ बजे अम्बाला से एक सौ विमान उड़े। ९·५४ बजे चालक ने अपनी स्थिति जानने के लिये ट्रांसमिशन मिलाया वह रास्ता भटक गया होगा। उसको बता दिया गया—अमुक स्थान। उसके बाद जहाज से और कोई सम्पर्क नहीं हुआ। इसके गुम होने की सूचना मिली। वास्तव में यह हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : ऐसा हो सकता है कि तत्काल उसी स्थान पर या अन्य स्थान पर जहाज टूट गया हो। अतः ऐसा नहीं है कि यह एक विशेष जगह हुआ हो।

†श्री ब्रजराज सिंह : इस से एक अन्य बात उठती है। आपने ऐसा कहा था कि जब कभी ऐसी दुर्घटनायें हों, तो उस बारे में सभा को बता देना चाहिये। जब सरकार को पता लगा कि ऐसा हुआ है, उन्हे यह बात सभा को बता देनी चाहिये थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में सभा को बताया जायेगा। लेकिन जब सामान्य रूप से अनुसन्धान के दौरान किसी प्रशिक्षण विमान अथवा वायु बल के विमान की दुर्घटना होती है, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है कि हम इस बारे में यहां अधिक बातें करें। मैंने इस बात पर विचार किया है। बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में सभा को अवश्य बाताया जायेगा। मुझे इस बात का अधिकार होना चाहिये कि मैं यह तै करूं कि यह मामला यहां लाया जाये या नहीं।

पलाई सैण्ट्रल बैंक के खातेदारों को भुगतान

+

†२१४. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री पांगरकर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई सेंट्रल बैंक के खातेदारों को कुछ राशि दी गयी है ;

(ख) कितने खाते दारों को भुगतान किया गया है ;

(ग) परिसमापन कार्यवाही कब पूर्ण होने की संभावना है ; और

(घ) क्या बैंक के निदेशकों के विरूद्ध तब से कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). ५ दिसम्बर, १९६० को बैंक के अंतिम रूप से समाप्त किये जाने के पश्चात से सरकारी परिसमापक आवश्यक कानूनी बातें पूरी करने और आस्तियां वसूल करने के लिये कार्यवाही कर रहा है ताकि वह खाते दारों को भुगतान कर सके। यह आशा की जाती है कि हर खातेदार को शीघ्र ही २५० रुपये का प्रथम भुगतान कर दिया जायेगा।

(ग) इस प्रक्रम पर यह अनुमान लगाना संभव नही है।

(घ) किसी निदेशक के विरुद्ध अधिकारों के दुरुपयोग करने सम्बन्धी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गयी है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** सरकार ने किस की सिफारिश पर यह फैसला किया कि किसी निदेशक के विरुद्ध अधिकारों के दुरुपयोग के कारण कानूनी कार्रवाई न की जाये ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं नहीं जानता कि यह निष्कर्ष कहां से निकाला गया कि सरकार ने कोई फैसला किया है। सरकार ने फैसला नहीं किया है कि कोई कार्रवाई न की जाये। इस के विरुद्ध सरकार की इच्छा है कि जो भी कार्रवाई आवश्यक है अथवा की जा सकती है, वह की जानी चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** सरकार इस बात के फैसला करने के लिये क्या तरीका अपनायेगी कि क्या कार्यवाही की जानी है और किसके विरुद्ध यह कार्यवाही की जानी है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** बैंकिंग नियमों के अधीन यह पता लगाना परिसमापक का काम है। उपबन्ध ये हैं :

बैंक को बढ़ाने और बनाने से सम्बन्धित किसी निदेशक और किसी आडीटर अथवा व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सरकारी परिसमापक को बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ४५

†मूल अंग्रेजी में

(छ) और ४५ (ज) में और समवाय अधि नियम की धारा ५४३ में निर्दिष्ट कानूनी उपबन्धों के अनुसार कार्य करना होगा। इसमें जो भी औपचारिकतायें बरती जाती हैं, वे निम्न प्रकार हैं :

वे इस बात की जांच की एक रिपोर्ट न्यायालय को पेश करेंगे कि क्या इन व्यक्तियों के किसी कार्य अथवा भूल चूक के कारण बैंकिंग समवाय को कोई हानि पहुंची है और क्या उन्होने कोई धोखा-देही की है। उच्च न्यायालय इस प्रतिवेदन पर विचार करेगा और यह फैसला करेगा कि क्या किसी व्यक्ति की बैंकिंग समवाय के बारे में आचार और व्यवहार के लिये सामान्य रूप से जांच की जाये। इस जांच के परिणामों पर उच्च न्यायालय, यदि उचित समझे, यह आदेश दे कि वह व्यक्ति किसी अवधि तक भविष्य में किसी समवाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ नहीं बटायेगा और न उसके प्रशासन में भाग लेगा। यह अवधि पांच वर्षों तक की हो सकती है। यदि इस बात का साक्ष्य है कि किसी निदेशक अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने समवाय के किसी धन अथवा सम्पत्ति को अपने पास रखा है अथवा वह उसके लिये उत्तरदायी है या उसका दुरुपयोग या वह अधिकारों का दुरुपयोग करने का दोषी है अथवा उसने विश्वासघात किया है, न्यायालय सरकारी परिसमापक के आवेदन पर पुनर्भुगतान कराके और सम्पत्ति को रोक कर अथवा उसकी किसी सम्पत्ति को नीलाम करवा कर रुपये की वसूली कर सकता है चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से स्वामी न हो।

†**श्री दी० चं० शर्मा** उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या मैं यहां सारे समवाय नियम को पढ़ने दूं। वह क्या चाहते हैं ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह खातेदारों के हित का प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार कोई कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** बेचारे गरीब खातेदार मारे गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके हितों की रक्षा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार कुछ नहीं कर सकती। शांति, शांति माननीय सदस्य ने समवाय नियम के विभिन्न उपबन्ध सुने हैं, जिनका वित्त मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है। उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही आरंभ करने का काम सरकारी परिसमापक का है। विचार करने के बाद उच्च न्यायालय को यह फैसला करना है कि आगे कार्यवाही की जाये या नहीं। लेकिन सरकार क्या कर सकती है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** परन्तु सरकार सरकारी परिसमापक से कार्यवाही में जल्दी करने को कह सकती है ताकि खातेदारों को कष्ट न हो। मैं उनकी यह बात नहीं समझता कि सरकार इस मामले में सहायता नहीं कर सकती।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि सरकारी परिसमापक उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं यह बात नहीं कहता। परन्तु मैं समझता हूं कि बैंक की आस्तियों को शीघ्रता से वसूल करने के लिये कुछ न कुछ जरूर किया जाना चाहिये ताकि खाते दारों को और कठिनाई न हो। मैं बस यही चाहता हूं। यह सामाजिक बात है, कोई कानूनी बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोराजी देसाई :** सरकारी परिसमापक सभी आवश्यक कार्यवाही यथासम्भव शीघ्र कर रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो केवल यह हो सकता है कि कोई अन्य परिसमापक नियुक्त किया जाये जो जल्दी कार्य करे । सरकार कुछ कैसे कर सकती है ?

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि केरल उच्च न्यायालय ने भारत के रक्षित बैंक को यह निदेश दिया कि वह खातेदारों द्वारा भेजी गई विभिन्न योजनाओं की प्रारम्भिक जांच करे जिसमें यह सुझाव भी दिया गया है कि केवल बैंक के कार्य की ही जांच न की जाये बल्कि निदेशकों के आचार-व्यवहार की भी जांच की जाये ? क्या इस बात को क्रियान्वित किया गया है अथवा नहीं ?

†**श्री मोराजी देसाई :** माननीय सदस्य उस समय की बात कर रहे हैं जब कि अन्तिम रूप से परिसमापन आदेश नहीं दिया गया था । इन सब बातों पर विचार करके अन्तिम परिसमापन आदेश दिया गया था ।

†**श्री हेम बरुआ :** योजना में निदेशकों के आचार, व्यवहार की जांच की भी व्यवहथा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वह बात पूरी की गयी या नहीं ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** परिसमापक सभी कार्यवाही कर रहा है ।

†**श्री मणियंगाडन् :** क्या राज्य सरकार से अथवा किसी अन्य ओर से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि पलाई सैन्ट्रल बैंक को किसी बड़े बैंक के साथ मिला दिया जाये ? यदि हां , तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस के विलम्भ का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस बैंक को अन्य बैंक के साथ मिलाने के बारे में इस प्रक्रम पर दो चीजें जरूरी हैं। एक तो यह कि कोई बैंक इस को लेने के लिये राजी हो और दूसरी यह कि उच्च न्यायालय ऐसा करने की आज्ञा दे ।

†**श्री मणियंगाडन् :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रक्षित बैंक अथवा भारत सरकार ने इस संभावना का पता लगाया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** अभी तक खोज के परिणाम आशाजनक नहीं निकले हैं ।

†**श्री तगांमणि :** यह २५० रुपये का प्राथमिक भुगतान किस तिथि तक कर दिया जायेगा ? इस प्रकार कितनी रकम दी जायेगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** मेरे विचार में भुगतान जल्दी ही कर दिया जायेगा । जैसा मैं ने कहा इस में लगभग दो महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे । और इस प्रकार कुल १०४ लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिरोजाबाद शीशा उद्योग को कोयले का सम्भरण

†२१६. **श्री ब्रजराज सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फिरोजाबाद शीशा उद्योग की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में यह शिकायत की गई हो कि उस उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिलता;

(ख) क्या इस बारे में सरकार के पास उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रतिवेदन आया है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है कि फिरोजाबाद शीशा उद्योग की कोयला सम्बन्धी मांग पूर्णतः पूरी की जाये; और

(घ) क्या सरकार उद्योग के लिये कोयला संभरण का अभ्यंश (कोटा) बढ़ाने का इरादा रखती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). जी, हां। उद्योग की मांग को पूरा करने के लिये सभी संभव उपाय किये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) फिलहाल तो उस कोटे को बढ़ा देने का कोई विचार नहीं है। तो भी 'मुगलसराय से ऊपर' की ओर परिवहन सम्बन्धी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग के लिये कोयले के सम्भरण को बढ़ा देने के सम्बन्ध में यत्न किये जा रहे हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** माननीय मंत्री ने बताया है कि इस उद्योग को कोयले के सम्भरण के सम्बन्ध में सभी संभव यत्न किये जा रहे हैं। परन्तु उन्होंने यह भी कहा है कि फिलहाल कोटे को नहीं बढ़ाया जा रहा है। क्या इस उद्योग ने सरकार से—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से यह भी प्रार्थना की है कि उन्हें दिये जाने वाले कोटे में ५० प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाये, ताकि उत्पादन को जारी रखा जा सके और बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं का निर्यात भी किया जा सके ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** उद्योग यह अभ्यावेदन कर रहा है कि उन की मांग उस से अधिक है। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 'मुगलसराय से ऊपर' की ओर परिवहन सम्बन्धी सुविधायें सीमित मात्रा में हैं, और लगभग एक समान कई ओर से मांगें पेश की जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करना पड़ता है और मैं समझता हूं कि इस उद्योग के लिये पहले ही से निर्धारित कोटा उस उद्योग की मांग को पूर्ण करने में लगभग पूरा ही होना चाहिये।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** उस दिन माननीय मंत्री ने यह बताया था कि जुलाई के बाद मुगलसराय से ऊपर की दिशा में परिवहन सम्बन्धी स्थिति में सुधार हो जायेगा और उस दिशा में लगभग २०० से अधिक माल डिब्बे प्रति दिन भेजे जा सकेंगे। अतः जुलाई के बाद जब स्थिति सुधर जायेगी, तो क्या कांच उद्योग के लिये कोटा बढ़ा दिया जायेगा।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह तो कार्य के लिये एक सुझाव है। मुझे विश्वास है कि इस सुझाव पर अवश्य विचार किया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान समाचार पत्रों के इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि कोयले की कमी के कारण कल से कानपुर के छोटे और बड़े लगभग २४

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्र बन्द हो जायेंगे। क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है और यदि हां, तो क्या कानपुर में माल डिब्बे प्राप्त हो सकेंगे। मैं यह प्रश्न इस लिये पूछ रहा हूं कि उन्हों ने स्वयं 'मुगलसराय से ऊपर' की दिशा का उल्लेख किया है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह प्रश्न कांच उद्योग सम्बन्धी मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। परन्तु यह सच है कि उत्तर प्रदेश के उद्योगों की कठिनाइयों के बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। और 'मुगलसराय से ऊपर' की दिशा में परिवहन की क्षमता के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

उस दिन मैं ने सभा में इस सम्बन्ध में विस्तृत वक्तव्य दिया था। मध्य प्रदेश में झगड़ों के कारण अस्थायी रूप से कुछ कमी सी आ गयी है। अब वहां की स्थिति नियंत्रण में है और मैं समझता हूं कि वहन सम्बन्धी स्थिति में भी सुधार हो जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने निस्सन्देह एक व्यापक वक्तव्य दिया था। उन्होंने यह बताया था कि कानपुर में कोयले की कमी के कारण किसी भी उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचा है। मेरा अनुमान है कि कल ही कानपुर में जो उद्योग बन्द हो रहे हैं उन से ५०,००० व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कानपुर को भेजे गये माल डिब्बे वहां पहुंच गये हैं या नहीं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं ने प्रेस नोट में यह भी पढ़ा है कि कुछ अन्य उद्योगों से, जिन्हें अधिक कोयले का स्टाक मिला है, यह कहा जा रहा है कि वे अन्य उद्योगों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने स्टाक में से कुछ कोयला दे दें। माननीय सदस्य कल के बारे में कह रहे हैं। मुझे उस बारे में पता नहीं। मैं ने तो ऐसा कोई भी समाचार नहीं पढ़ा है कि कोई उद्योग बन्द हो रहे हैं। फिर भी मैं इस की जांच करूंगा। और जो कुछ भी हो सका मैं इस बारे में करूंगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या सरकार ने जैसा कि हाल ही में रेलवे बोर्ड ने सुझाव दिया था, कांच उद्योग के लिये बाक्स वैगनों में कोयले के परिवहन की संभावनाओं पर विचार किया है और वहां पर कोयले का एक भंडार बनाने के बारे में भी विचार किया है ताकि आवश्यकता के समय उद्योग के लिये कोयला संभरित किया जा सके ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** बाक्स वैगनों में कुछ कोयला तो भेजा जा रहा है। परन्तु मैं नहीं समझता कि फिरोजाबाद के कांच उद्योग के लिये इस प्रकार से अधिक मात्रा में कोयला संभरित किया जा सकता है। उन्हें जितनी मात्रा की आवश्यकता है वह मैं नहीं समझता कि बहुत कुछ अधिक नहीं है। उन्हें तो निरन्तर संभरण की आवश्यकता है। फिरोजाबाद के लिये ३६७ माल डिब्बे मासिक की आवश्यकता है।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** उस के लिये ६०० माल डिब्बों की जरूरत है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं तो कोटे के बारे में कह रहा हूं। उन्हें लगभग १० से ११ माल डिब्बे प्रतिदिन की जरूरत है। उतनी संख्या में बाक्स वैगनों की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे कोयले की कमी के बारे में कह रहे हैं या कि वैगनों की कमी के बारे में ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** हम इस बारे में कई बार विचार कर चुके हैं। 'मुगलसराय के ऊपर' की दिशा में सीमित माल डिब्बों का ही परिवहन किया जा सकता है। लाइन की क्षमता ही इतनी सीमित है कि इस पर एक सीमित संख्या से अधिक माल डिब्बे चलाये ही नहीं जा सकते। मुगलसराय से ऊपर की ओर परिवहन सुविधाओं की कुछ सीमा है। उस लाइन पर २४ घंटों की अवधि में अधिक से अधिक केवल कुछ एक माल डिब्बे ही जा सकते हैं। उस सीमा के अन्तर कोयले के माल डिब्बों की भी एक सीमित संख्या ही उपलब्ध हो सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि जब कोयले के परिवहन के सम्बन्ध में इतनी अधिक कठिनाई है तो कोयले के ऐसे भंडार क्यों नहीं बना दिये जाते जिन से उस समय भी कोयला प्राप्त किया जा सके जब कि कोयले के लिये वैगन उपलब्ध न हों। उन का यही सुझाव है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं उन के सुझाव की कद्र करता हूं। वास्तव में इस प्रकार के भंडार बनाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से कार्यवाहियां की जा रही हैं क्योंकि वहां तक कोयला के परिवहन आसानी से हो सकता है और फिर वहां से आसानी से स्थानीय वितरण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कार्यवाहियां की जा रही हैं।

†**श्री त्यागी** : इस की स्थिति बड़ी उलझनपूर्ण है। जब भी यह प्रश्न सभा के सामने आता है, हम स्वयं उलझ जाते हैं। हम यह समझ नहीं सके कि यह कठिनाई वास्तव में खानों के द्वार पर कोयले की कमी होने के कारण है या कि परिवहन की कमी के कारण। यह सच है कि कुछ स्थानों पर उद्योग लगभग समाप्त होने वाले हैं। जब तक परिवहन सम्बन्धी समस्या हल न हो, कोयले के 'डम्प्स' स्थापित नहीं किये जा सकते। जब दैनिक संभरण के लिये ही परिवहन के लिये माल डिब्बे नहीं हैं, तो फालतू संग्रह के लिये फालतू डिब्बे कहां से आयेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक मौसम वह भी होता है जबकि माल डिब्बे अधिक व्यस्त नहीं होते ?

†**श्री ब्रजराज सिंह** : वे बाक्स माल डिब्बों में कोयला लाकर उस का संग्रह स्थापित कर सकते हैं।

नागाओं के कब्जे में भारतीय विमान बल के कर्मचारी

\+

†*२१८. **श्री आसर :**
श्री वाजपेयी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री कुन्हन :
श्री हेम बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं के कब्जे में पड़े भारतीय विमान बल के चार कर्मचारियों को छुड़ाने के बारे में कोई प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमन्त्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). जी, नहीं । इस सम्बन्ध में कोई भी ब्यौरा देना लोकहित में नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : इस में लोकहित का कोई प्रश्न ही नहीं है । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें छुड़ा लिया गया है या नहीं

†**एक माननीय सदस्य** : इस सम्बन्ध में एक उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री त्यागी** : हमें देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के सम्बन्ध में जानने का अधिकार है ? इस जानकारी के बताने में लोकहित को नुकसान कैसे पहुंचता है ?

†**श्री नाथ पाई** : जब भी सरकार किसी कार्य में असफल रहती है, वह 'लोकहित' के परदे में उस असफलता को दबा देती है । आप से निवेदन है कि आप ऐसी अनुमति न दें ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : प्रश्न यह नहीं है कि क्या उन्हें छोड़ दिया गया है या नहीं । प्रश्न तो ब्यौरे के सम्बन्ध में है । नागा पहाड़ियों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह जानकारी देना सम्भव नहीं है । उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं गया है परन्तु ब्यौरों के बिना मैं नहीं कह सकता कि उन्हें कब तक छोड़ दिया जायेगा, इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है और इस सम्बन्ध में क्या आशा है ।

†**श्री नाथपाई** : तो फिर उन की सुरक्षा के बारे में बतायें, क्या वे सुरक्षित हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न बहुत समय से पूछा जा रहा है । मुझे स्मरण है कि पहले भी यह प्रश्न पूछा गया था और माननीय मंत्री ने कुछ उत्तर दिया था । अब प्रश्न यह है कि क्या इस संबंध में कोई प्रगति हुई है । माननीय मंत्री इस का संक्षिप्त सा उत्तर दे सकते हैं । ब्यौरे बताने की कोई आवश्यकता नहीं । वहां पर हमारे चार व्यक्ति फंसे हुए हैं, सभा यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या वे जीवित भी हैं या नहीं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : जब वे व्यक्ति अभी तक वापस नहीं आये हैं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि इस दिशा में कोई प्रगति हुई है । वे चार व्यक्ति शत्रु के कब्जे में हैं । या तो हमें स्वयं वहां जा कर उन्हें बचाना चाहिये या उन के विरुद्ध युद्ध करना चाहिये या कैदियों का तबादला करना चाहिये— ये सभी बातें ऐसी हैं जो मैं आप को अलग से बता सकता हूं । बाकी अपनी ओर सभी यत्न किये जा रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वे जीवित हैं या नहीं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जहां तक मुझे ज्ञात है, वे जीवित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा यह आश्वासन चाहती है कि उन्हें यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र छुड़ाने के लिये पूरे पूरे यत्न किये जायेंगे । सभा ब्यौरे नहीं चाहती, अपितु आश्वासन चाहती है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी, हां ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या यह सच है कि जब अधीनस्थ पदाधिकारियों को—उक्त पदाधिकारियों को नहीं अपितु उन अधीनस्थ पदाधिकारियों को जोकि विमान से अनाज गिराने के

---

†मूल अंग्रेजी में

काम में लगे हुए थे—छोड़ा गया, तो सेना उस समय नागा विद्रोहियों के उस स्थान पर पहुंचने वाली थी जहां उक्त पदाधिकारियों को रखा हुआ था ? फिर उस के बाद क्या हुआ जिस के कारण विद्रोही उक्त चारों पदाधिकारियों को वहां से हटा कर किसी और स्थान में ले गये और सेना अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाई है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : पहली बात यह है कि ये कप्टेन दो दलों में थे । एक दल एक स्थान से गया था और फिर वापस आ गया था । इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि माननीय सदस्य बातचीत के बारे में पूछ रहे हैं । यह झगड़ा किसी शत्रु देश के साथ थोड़े ही है । अपनी सरकार अपने ही देश के नागरिकों के साथ बातचीत थोड़े ही चला सकती है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : बातचीत से मेरा मतलब यह है कि जब सेना वहां पहुंचने वाली थी तो एक दो अफसर वहां गये थे और उन कनिष्ठ पदाधिकारियों को उनसे रिहा करा लिया था । उस दौरान में नागा विद्रोहियों ने अच्छा अवसर देख कर उन चार अफसरों को किसी और स्थान पर बन्द कर दिया । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति नागा विद्रोहियों से उन अफसरों को छुड़ाने के बारे में बात कर रहे थे, उन का क्या बना है, क्या वे वापिस आ गये हैं ; और यदि हां, तो वे क्या रिपोर्ट लाये हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : प्रश्न का पहला भाग सच नहीं है, क्योंकि विमान दुर्घटना के बाद उन्हें दो दलों में ले जाया गया था । एक दल छोड़ दिया गया । मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे लिये यह बताना कठिन है कि उन लोगों से, जोकि भारतीय नागरिक हैं, इस बारे में बातचीत कर रहे हैं । इसीलिये तो, ये ब्योरे देना संभव नहीं है । मैं यह नहीं बता सकता कि वहां पर कौन कौन व्यक्ति गये थे और उन से क्या क्या बातचीत की थी । हम केवल यही जानते हैं कि वे इस समय जीवित हैं और उन्हें छुड़ाने के लिये सभी यत्न किये जायेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि जब यह विमान गिराया गया था तो उन्हें छुड़ाने का उत्तरदायित्व असैनिक प्रशासन को सौंप दिया गया था और असैनिक प्रशासन ने वह कार्य एक आई० ए० एस० अफसर को सौंप दिया था और इस शान्ति मिशन पर खर्च करने के लिये ५०,००० रुपये निर्धारित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उस अफसर के कार्य के बारे में जांच की गई है और उस की असफलता के बारे में भी कोई जांच की गई है ? अन्त में यह हुआ है कि सेना ने उस सम्बन्ध में कोई यत्न करना ही छोड़ दिया है और सम्पूर्ण उत्तरदायित्व असैनिक प्रशासन को सौंप दिया है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : माननीय मंत्री द्वारा कही गई बातें अथवा दिये गये सुझाव बिल्कुल गलत जानकारी पर आधारित हैं किसी और को जिम्मेवारी सौंपने का कोई प्रश्न ही नहीं है ; पहली बात यह है कि ऐसा किया ही नहीं गया है । दूसरी बात यह है कि ५०,००० रुपये का प्रश्न भी ठीक नहीं है । हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है । हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने इधर उधर कुछ ऐसी बातें की हों, परन्तु ज्यों ही हम ने ये उत्तरदायित्वहीन बातें सुनीं, हम ने उन्हें एक दम रोक दिया । माननीय सदस्य ने तीसरी बात जांच के सम्बन्ध में कही ह । परन्तु वे जांच किस सम्बन्ध में चाहते हैं ? हमें यही ज्ञात हुआ है कि ये बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं । ये सच नहीं हैं । कुछ एक अनाधिकृत व्यक्तियों ने ये बातें फैलाई हैं । हम ने उन्हें सावधान कर दिया है कि इस प्रकार की कोई भी बात नहीं कही जानी चाहिये । अतः जांच का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि जिन पांच व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है, और जिन के बारे में माननीय मंत्री ने पिछली बार बयान दिया था, वे निष्कासन कर्मचारी थे उन्हें विमानों

†मूल अंग्रेजी में

से खाद्य गिराने के काम में लगाया गया था और उन्हें ६ दिन तक हिरासत में रखने के बाद विद्रोहियों ने स्वयं ही रिहा कर दिया था ? यदि इन व्यक्तियों को छोड़ दिया गया था, तो शेष कर्मचारियों को भी क्यों न छोड़ दिया गया ? मेरी अपनी जानकारी यह है कि ये पांच व्यक्ति हमारे यत्नों से नहीं रिहा कराये गये अपितु विद्रोहियों द्वारा स्वयं ही उन्हें रिहा कर दिया गया था ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : यह सच है कि विद्रोहियों ने स्वयं ही उन्हें रिहा कर दिया था । पर मैं उन की रिहाई के कारण नहीं बता सकता । पर यह सच है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है और शेष व्यक्तियों को रिहा नहीं किया गया है , वे अभी तक उन की हिरासत में ही हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पैट्रोलियम कोक

†*२१३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश को कुल कितने पेट्रोलियम कोक की आवश्यकता है, उस की कितनी प्रतिशत मात्रा का उत्पादन भारत में किया जा रहा है ; और

(ख) इस पदार्थ की कुल आवश्यकता को देशी उत्पादन से पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) औद्योगिक प्रयोग के लिये जलाये गये कोयले[1] की वर्तमान वार्षिक आवश्यकता लगभग २०,००० टन है जो अनुमानतः २७,००० टन ग्रीन पेट्रोलियम कोक से बनाया जाता है । देश में ग्रीन पेट्रोलियम कोक का उत्पादन १२,००० टन है । इस का थोड़ा सा भाग ही औद्योगिक प्रयोग में लाया जाता है ।

(ख) नूनमती में पहला सरकारी कारखाना इस वर्ष चालू हो जायेगा । उस का ग्रीन पेट्रोलियम कोक का वार्षिक उत्पादन अनुमानतः ४०,००० टन होगा ।

सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिये पेंशन

†*२१५. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को पेंशन देने की किसी योजना पर या राज्य सरकारों की ऐसी योजनाओं में सहायता करने के लिये धन देने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Calcined Coke.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि वह मद्रास सरकार द्वारा लागू त्रिभागीय लाभ योजना स्वीकार कर लें। इसमें निवृत्ति वेतन, भविष्य निधि और बीमा आदि के उपबन्ध शामिल हैं और यह सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों समेत सभी अध्यापकों पर लागू है।

संघ क्षेत्रों के अध्यापकों के लिये त्रिभागीय लाभ योजना लागू करने के प्रश्न की जाच की जा रही है।

१९६२ के अन्त तक बरौनी का कारखाना चालू होने पर और भी कोक उपलब्ध हो सकेगा। ग्रीन कोक को जलाने वाली यूनिटें भी स्थापित की जा रही हैं।

लोक समवायों द्वारा अंश राशि का लौटाया जाना

†*२१७. { **श्री वारियर** :
श्री कोडियान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना मिली है कि पिछले दो वर्षों के अन्दर किसी नये बने लोक समवाय ने अंशों की प्रार्थित राशि से अधिक प्राप्त हुई रकम को लौटाने में कई महीनों तक विलम्ब किया; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). जी हां। आवेदन पत्र मिलने की अन्तिम तिथि तथा अधिक प्राप्त हुई रकम के लौटाने की तिथि के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं क्योंकि कुछ समवायों ने १९५९-६० में पूंजी का जनता में परिचालन करके ३ अथवा ४ महीने निकाल दिये थे। शिकायतें अधिकांशतः ऐसे मामलों के बारे में हैं जिनमें प्राप्त हुई रकम बहुत अधिक थी।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ व्यापार

†*२१९. **श्रीमती रेणुका रे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका में जो आर्थिक गिरावट आरम्भ हुई है उसका उस देश के साथ भारतीय व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या इसका, किसी रूप में, अमरीका से भारत को मिलने वाले प्रत्याशित ऋणों पर भी कोई प्रभाव पड़ा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जुलाई-सितम्बर, १९६० की तिमाही में भारत से अमरीका को २२.२ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था जबकि १९५९ की इसी तिमाही में निर्यात २४.२ करोड़ रुपये हुआ था। कमी मैंगानीज अयस्क, अभ्रक तथा अन्य विविध वस्तुओं के बारे में हुई थी। यह बताना कठिन है कि इसमें से कितना आर्थिक गिरावट के कारण हुआ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र अमरीका की लम्बी अवधि की नीतियों के सम्बन्ध में इन छोटे मोटे व्यापारिक उतार चढ़ावों के कारण कोई शंका नहीं करनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात की आवश्यकतायें

†*२२०. **श्री राजेश्वर पटेल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १६७० में विश्व के इस्पात के उत्पादन तथा उपयोग की रूप रेखा के बारे में संयुक्त राष्ट्र इस्पात समिति, जेनेवा, की उस सर्वेक्षण रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार १६७० में भारत में इस्पात की खपत अनुमानतः २ करोड़ ८० लाख टन हो जायगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या लक्ष्य प्राप्ति के लिये अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की व्यवस्था करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां । प्रतिवेदन में यह अनुमान लगाया गया है कि १६७२—७५ में भारत में इस्पात की खपत २८० लाख टन हो जायेगी ।

(ख) मांग के आंकड़े, जो उपलब्ध हैं, के अनुसार १६६५–६६ में इस्पात का उत्पादन १०२ लाख टन बनाया गया है । १६७५ की मांग को पूरा करने के लिए इस्पात के उत्पादन के निश्चित कार्यक्रम इतनी जल्दी नहीं बनाये गये हैं ।

दिल्ली में शिशु पाठशालायें (नर्सरी स्कूल)

†*२२१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने यह इच्छा प्रकट की है कि दिल्ली की शिशु पाठशालाओं (नर्सरी स्कूल) में लगाया गया शिक्षा शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया है ;

(ग) शिशु पाठशालाओं में इस समय कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) उनसे पहले कितना शुल्क लिया जाता था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां । दिल्ली प्रशासन की उन शिशु पाठशालाओं के बारे में जो निगम को हस्तान्तरित कर दी गई हैं ।

(ख) मामले पर निगम विचार कर रहा है ।

(ग) ७१३ ।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने जब शिशु पाठशालाओं को दिल्ली नगर निगम को सौंपा था उस समय कोई फीस नहीं ली जाती थी । निगम में हस्तान्तरण के बाद प्रति बालक ५ रुपये मासिक फीस लेनी आरम्भ कर दी ।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में नये वेतन-क्रम

†*२२२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों में नये वेतन क्रम लागू कर दिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनको शीघ्र लागू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

केन्द्रीय सरकार के उपक्रम दो श्रेणियों में विभक्त हैं । एक स्वायत्तशासी उपक्रम तथा दूसरे विभाग द्वारा नियन्त्रित उपक्रम ।

१५ फरवरी, १९६० को तथा ९ सितम्बर, १९६० को लोकसभा में दिये गये वक्तव्यों में मैंने स्वायत्तशासी उपक्रमों के बारे में स्पष्ट कर दिया था कि न तो यह सम्भव ही है और न सरकार का ऐसा विचार ही है कि सरकार द्वारा नियन्त्रित समवायों तथा अन्य स्वायत्तशासी संगठनो के कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों पर किये गये निर्णयों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए गए वेतन तथा भत्ते और अन्य सेवा शर्तें दी जायें । सभी उपयुक्त बातों पर विचार करके यह स्वायत्तशासी संगठन स्वयं इस मामले में निर्णय कर सकते हैं ।

विभाग द्वारा नियन्त्रित उपक्रमों में वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नये वेतनक्रमों की क्रियान्विति के लिए विभिन्न मन्त्रालयों अथवा विभागों का, वेतनक्रमों का निर्धारण करने में तथा बकाया धनों का भुगतान करने में परामर्श लेना होता है । इन उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए वेतनक्रमों का निर्धारण किया जा चुका है और बताया जा चुका है । सरकार ने संवितरण अधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि वेतन निर्धारण के तथा बकाया धनों का भुगतान करने के आदेश दे दिये गए हैं और जिन्होंने विकल्प कर दिया है ऐसे अधिकांश कर्मचारियों को बकाया धनों का भुगतान कर दिया गया है ।

रूमानिया से रिग (तेल छिद्रण यंत्र) की खरीद

†*२२३. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खम्भात के लिये रूमानिया स एक ४-एल० डी० रिग (तेल छिद्रण यंत्र) खरीदने के बारे में बातचीत इस बीच पूरी हो चुकी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी हां ।

कनाडा से कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता

†*२२४. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १९६०–६१ में भारत को पूंजी सहायता देने के लिए २.५ करोड़ डालर की राशि निर्धारित की है और भारत सरकार से रुपया सम निधि स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस राशि का कितना भाग कण्डा परियोजना पर व्यय किया जायेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां । अलौह धातुओं तथा गेहूं की बिक्री से प्राप्त १८७ लाख डालर का ऐसा ही रुपया कोष बनाया जायेगा । शेष ६३ लाख डालर यन्त्रों के रूप में मिलेगा ।

(ख) ३५ लाख डालर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भिलाई के इस्पात उत्पादों का सोवियत रूस को निर्यात

†*२२५. { श्री बै० च० मलिक :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस भिलाई इस्पात संयंत्र से बढ़िया किस्म के इस्पात उत्पादों का आयात करने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो सोवियत रूस को कितना माल देने की पेशकश की जा रही है; और

(ग) इन उत्पादों के मूल्य, उन्हें पहुंचाने और विनिमय सम्बन्धी करार की शर्तें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) सरकार को इस की जानकारी नहीं है कि रूस भिलाई इस्पात संयंत्र से ऊंचे किस्म के इस्पात उत्पादों का आयात करने का विचार कर रहा है। परन्तु रूस से तथा अन्य देशों से किये गये व्यापार समझौते में यह उपबन्ध रख लिये गये हैं कि रौल किये गये इस्पात का निर्यात किया जायेगा। यदि यह निर्यात संभव हो सका तो हमारे किसी इस्पात संयंत्र से ही होगा। जब यह निर्यात होना तय हो जायेगा तब मूल्य, किस्म आदि की बातें तय होंगी ।

नागा विद्रोही

†*२२६. { श्री मं० र० कृष्ण :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ नागा विद्रोहियों ने मनीपुर में अपनी राष्ट्र-विरोधी और समाज-विरोधी गतिविधियों को तेज कर दिया है; और

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर और आसाम-राइफल्स के कुछ सिपाहियों को गोली चला कर मार दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) हाल में ही मनीपुर में नागा विद्रोहियों के उत्पात बढ़ गये हैं ।

(ख) दिसम्बर, १६६० से दो मनीपुर राफलमैन गोली से मार डाले गये थे । इस अवधि में आसाम राइफलमैन कोई नहीं मारा गया ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये हिन्दी

*२२७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा सम्बन्धी सरकारी नीति को कार्यान्वित करने के लिये सभी सरकारी पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी भाषा जानना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास हुए हैं तथा हो रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) औद्योगिक संस्थापनों, कार्य-भारित और तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों को छोड़ कर ४५ वर्ष से कम उम्र वाले सभी कर्मचारियों के लिये सेवाकाल में हिन्दी सीखना आवश्यक है ।

(ख) केन्द्रीय कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिये ९२ केन्द्र और हिन्दी टाइपराइटिंग तथा आशुलिपि सिखाने के लिये पांच केन्द्र खोले जा चुके हैं और अगले वर्ष में कुछ और केन्द्र खोले जायेंगे ।

गुजरात में तेल अनुसंधान संस्था

†*२२८. { श्री का० च० जैना :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दामानी : }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में तेल अनुसन्धान संस्था स्थापित करने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : गुजरात में तेल अनुसन्धान संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु बड़ौदा में एक क्षेत्रीय शोधनशाला स्थापित की जायेगी । इस शोधनशाला में खम्भात और अंकलेश्वर के खनिज तेल का विश्लेषण किया जायेगा और पुरासात्त्विकीय तथा पाषाण शास्त्र संबंधी तत्वों का अध्ययन किया जायेगा ।

इम्पीरियल डिफेंस कालिज, लन्दन में भारतीय स्थल सेना के पदाधिकारी

†*२२९. श्री कालिका सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन में इम्पीरियल डिफेन्स कालेज में भारतीय स्थल सेना के कितन पदाधिकारी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इस कालेज के पिछले तीन सत्रों में कितने पदाधिकारियों ने शिक्षा प्राप्त की है;

(ख) क्या इस कालेज में सभी पदों के भारतीय अधिकारियों को, जिन में मेजर जनरल और जनरल भी शामिल हैं, प्रवेश मिल सकता है, और यदि नहीं, तो इन पाठ्यक्रमों के लिये किन श्रेणियों के पदाधिकारियों को प्रवेश मिल सकता है;

(ग) इस कालेज में जिन पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाती है, क्या भारत में सैनिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी कालेज में उस की व्यवस्था नहीं है; और

(घ) क्या भारतीय अधिकारी किसी अन्य देश के सैनिक कालेजों में भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) लन्दन के इम्पीरियल डिफेंस कालिज में भारत से एक स्थल सेना पदाधिकारी शिक्षा प्राप्त कर रहा है । इस से पहले के दो कोर्सों में १९५८ तथा १९५९ में एक एक पदाधिकारियों ने शिक्षा प्राप्त की है ।

(ख) सामान्यत: ३८ से ४५ वर्षों की आयु वाले तथा ब्रिगेडियर के (अन्य सेवाओं में इसी पद के अनुरूप) पद वाले पदाधिकारियों को इम्पीरियल डिफेन्स कालेज के कोर्स में शामिल होने की

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुमति है। भारत से इस कोर्स में भेजे जाने वाले पदाधिकारी सामान्यतः ब्रिगेडियर अथवा मेजर-जनरल (अन्य सेवाओं में इसी पद के) भेजे जाते हैं।

(ग) अप्रैल, १९६० में भारत में नेशनल डिफेंस कालिज की स्थापना से पूर्व लन्दन के इम्पीरियल डिफैंस कालिज में दिये जाने वाले, वरिष्ट पदाधिकारियों के, प्रशिक्षण की सुविधायें देने की व्यवस्था भारत में नहीं थी।

(घ) इम्पीरियल डिफैंस कालिज के पाठ्यक्रमों के अनुसार अन्य किसी देश में इस प्रकार का प्रशिक्षण लेने के लिये कोई पदाधिकारी नहीं भेजा गया है।

प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिये निःशुल्क भोजन तथा वस्त्र

†*२३०. **श्री तंगामणि :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २८ दिसम्बर, १९६० को कानपुर में हुए अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन न प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिये निःशुल्क भोजन तथा वस्त्रों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार का निश्चय क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस सिफारिश को क्रियान्वित किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में प्राप्त अनुभव की रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) सम्मेलन की कार्यवाही शिक्षा मंत्रालय को नहीं मिली है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गोहाटी का तेल शोधक कारखाना

†*२३१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात सम्बन्धी अड़चनों के कारण गोहाटी तेल शोधक कारखाने की प्रगति धीमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है और उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भूतपूर्व शासकों से वसूल व्यय-कर

†*२३२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यय-कर अधिनियम की धारा २० के अन्तर्गत १९५९ और १९६० में सरकार द्वारा भूतपूर्व शासकों से कितना व्यय-कर वसूल किया गया ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसे कितने शासक हैं जिन्होंने अभी तक सरकार को यह कर अदा नहीं किया है और कर-निर्धारण के परिणामस्वरूप उनसे कितनी राशि वसूल की जानी है; और

(ग) १९५९ और १९६० में भारत सरकार द्वारा देश में भूतपूर्व शासकों के अतिरिक्त अन्य लोगों से व्यय-कर की कितनी रकम वसूल की गयी ?

†**वित उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) से (ग). व्यय-कर के आयुक्तों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर दी जायेगी।

साफ्ट कोक

†*२३३. **श्री राम शरण : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में साफ्ट कोक की कमी है; और

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं और सामान्य स्थिति आने में कितना समय लगेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). साफ्ट कोक उत्पादन पर्याप्त हो रहा है। कुछ स्थानों पर कुछ अस्थायी कमियां हुई हैं जो केवल 'मुगलसराय' से ऊपर की दिशा में सीमित परिवहन के कारण हैं। विशेष लदान के कारण इन कमियों को पूरा किया जा रहा है।

भारत और नेपाल के बीच तस्कर-व्यापार

†*२३४. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने भारत और नेपाल के बीच होने वाले तस्कर व्यापार को रोकने के लिये भारत सरकार की सहायता और सहयोग मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म की सहायता और सहयोग मांगा गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त उप मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बाल कल्याण

†*२३५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री कोडियान :

क्या **शिक्षा** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगस्त, १९६० में भारतीय बाल कल्याण परिषद् द्वारा पारित संकल्प की बाल कल्याण सम्बन्धी सिफारिशों पर विचार किया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संबद्ध है ।

विवरण

संकल्प संख्या १ : बाल कल्याण के बारे में स्पष्ट नीति का प्रतिपादन

सरकार ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति निर्धारित कर दी है । यह स्वीकार कर लिया गया है कि सामान्य बालक के लिये ठोस तथा विकासशील कार्यक्रमों को बाल कल्याण के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी ।

संकल्प संख्या २ : बाल कल्याण कार्यक्रमों के लिये कर्मचारियों का प्रशिक्षण अथवा स्थितिज्ञान

संकल्प में बताये गये तीन प्रकार के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद् से कहा गया है । परिषद् ने स्वयं प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना आवश्यक समझा है । तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए परिषद् ने एक योजना बनाई है जिस पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड विचार कर रहा है ।

संकल्प संख्या ३ : प्राइमरी से पूर्व की शिक्षा तथा अध्यात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने के लिये एक अखिल भारतीय समिति बनाना

शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने एक समिति स्थापित कर ली है ।

वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी स्थायी आयोग

†*२३६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सै० अ० म'हदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या शिक्षा मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली की रचना करने के लिए वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी स्थायी आयोग की स्थापना करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस आयोग के सदस्य कौन हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) भारतीय भाषाओं के लिए शब्दावली की रचना करने के लिए वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी स्थायी आयोग की स्थापना करने के सम्बन्ध में निम्न प्रगति हुई है :

(१) यह निर्णय किया गया है कि आयोग नीचे बताये गये अनुसार होगा :

सभापति १

सदस्य ६

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का निदेशक आयोग का सचिव होगा । सभापति तथा सदस्य पूरे समय अथवा थोड़े समय के लिए हो सकते हैं । यदि सभापति थोड़े समय के लिए होगा तो उप-सभापति स्थायी होगा । सभापति तथा सदस्यों का नाम-निर्देशन भारत सरकार करेगी ।

(२) आयोग स्थापित करने का एक संकल्प जारी कर दिया गया है ।

(३) आयोग के लिए उपयुक्त स्थान दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(४) आयोग के सदस्यों के पारिश्रमिक का प्रश्न तय किया जा चुका है ।

(५) आयोग के मनोनीत सभापति के परामर्श से आयोग के कर्मचारियों की आवश्यकताएं भी तय कर ली गई हैं ।

(६) आयोग जिस आधार पर शब्दावली बनायेगा वह सामान्य सिद्धान्त तय कर लिए गए हैं ।

(ख) अभी तक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है परन्तु इसके बारे में बातचीत हो रही है । आयोग के सदस्यों के रूप नामनिर्देशन के लिए कुछ व्यक्तियों के सम्बन्ध में सरकार विचार कर ही है । दिल्ली विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफैसर डा० डी० एस० कोठारी को आयोग का सभापति बनाने का विचार है ।

इंजीनियरी कालेज

†*२३७. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कोडियान :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के तत्वावधान में प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज और राज्य सरकारों के तत्वावधान में इंजीनियरी कालेज स्थापित करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इन पर होने वाले व्यय और दोनों श्रेणियों के कालेजों की स्थापना के स्थानों का ब्योरा क्या है, और इस योजना के कब तक अन्तिम रूप दिये जाने और कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर) : (क) जो हां ।

(ख) दूसरी योजना में आठ कालिजों की स्वीकृति दी गई थी तथा तीसरी योजना में और सात कालिजों को स्थापित करने का विचार है । इस प्रकार सभी राज्यों में कालिज हो जायेंगे । स्वीकृत आठ कालिज जिन स्थानों पर बने हैं उनको सभा में बताया जा चुका है तथा नये कालिजों को जिन स्थानों पर बनाया जायेगा इसका अभी निर्णय नहीं किया गया ।

प्रत्येक कालिज में इंजीनियरिंग तथा टैक्नोलोजी के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रति वर्ष २५० विद्यार्थी प्रवेश पा सकेंगे और उनका प्रावकलित व्यय अस्थायी तौर पर निम्नलिखित होगा :--

	लाख रुपये
(१) अनावर्तक--भवन तथा यंत्र . . .	५१
(२) आवर्तक--(प्रतिवर्ष) .	१९
(३) कर्मचारियों के क्वार्टर .	३५
(४) होस्टल	४

राज्य सरकारों ने अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन नीचे बताये गये अनुसार ६ इंजीनियरिंग कालिजों की स्थापना का प्रस्ताव किया है :

उत्तर प्रदेश	एक कालिज गोरखपुर में (प्रवेश १२० विद्यार्थी)
पश्चिम बंगाल	दो कालिज, एक जलपाईगुड़ी में तथा दूसरा कलकत्ते में (प्रवेश प्रत्येक में १५० विद्यार्थी)
महाराष्ट्र	एक कालिज अमरावती में (प्रवेश १२० विद्यार्थी)
बिहार	एक कालिज भागलपुर में (प्रवेश १२० विद्यार्थी)
मध्य प्रदेश	एक कालिज जिसके स्थान का अभी निश्चय करना है । (प्रवेश १२० विद्यार्थी)

बिहार सरकार ने भागलपुर कालिज को इस वर्ष चालू कर दिया है । अन्य कालिज तीसरी योजना में क्रमवार स्थापित हो जायेंगे ।

राजस्थान में तांबे के निक्षेप

†*२३८. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के तांबे के निक्षेपों में कितना खनिज पदार्थ होने का अनुमान है ;

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान सरकार के इस अनुरोध पर विचार किया है कि विद्युद् शिक[1] तांबा संयंत्र की क्षमता १० हजार टन से बढ़ा कर २५ हजार टन कर दी जाये ; और

(ख) इस वृद्धि पर कुल कितना व्यय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Electrolytic

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) राजस्थान में तांबे के मई निक्षेप हैं। अभी तक झुंझुनू जिले के खेर्मा में तथा अलवर जिले के दरीबा क्षेत्र में इन रिजर्व का प्राक्कलन किया गया है। खेर्मा में तांबे के अयस्क के २८५ लाख टन रिजर्व, जिमें ८ प्रतिशत तांबा होगा, होने की तथा दरीबा में ५ लाख टन रिजर्व जिनमें २.५ प्रतिशत तांबा होगा, होने की अशा है।

(ख) और (ग). इस समय खेर्मा शोधनशाला की क्षमता बताना संभव नहीं है। सक्षम गुसलाहकारों से परियोजना का प्रतिवेदन मांगा गया है और कई बातों के आधार पर क्षमता का निर्धारण किया जायेगा। इन बातों पर विचार हो रहा है।

संस्कृत पंडितों का राष्ट्रीय रजिस्टर

*२३९. श्री भक्त दर्शन : क्या शिक्षा मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत पंडितों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ग) उसमें नाम सम्मिलित करने के लिये न्यूनतम क्या योग्यतायें निर्धारित की गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट के उत्तर में १३५ व्यक्तियों ने अब तक संस्कृत पंडितों की राष्ट्रीय नामावली में अपने नाम शामिल करने की प्रार्थना की है। इन प्रार्थनाओं पर केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड, अप्रैल, १९६१ में होने वाली अपनी बैठक में विचार करेगा।

(ग) केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड ने राष्ट्रीय नामावली में शामिल करने के लिए पंडितों के चुनाव के लिये निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये हैं :—

(१) पंडित कम से कम एक शास्त्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हों ;

(२) उन्होंने कम से कम १५ वर्ष तक सफलतापूर्वक शास्त्र/शास्त्रों को पढ़ाया हो ; और

(३) उन्होंने कोई महत्वपूर्ण साहित्यिक या अनुसंधानात्मक कार्य किया हो।

रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी संबन्धी जांच

†*२४०. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के कार्यों सम्बन्धी जांच इस बीच पूरी हो गयी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की गड़बड़ी का पता चला है ; और

(ग) इस कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) से (ग). जी हां । रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के कार्यों की लेखापरीक्षकों ने जांच कर ली है और समवाय के स्पष्टीकरण के आधार पर विधि मंत्रालय के परामर्श से सरकार प्रतिवेदन पर विचार कर रही है । इस जांच के पश्चात अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

केरल के पांच बैंकों के लिये ऋण चुकाने की कानूनी मोहलत

†*२४१. श्री अ० क० गोपालन :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री पुन्नूस :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री हेम बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के पांच बैंकों को १८ मार्च, १९६१ तक ऋण चुकाने की मोहलत दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन में से किसी बैंक का पुनर्गठन हुआ है ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) बैंकों के नाम बताने वाला तथा उन को दी गई मोहलत बताने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या ५६]

(ख) मोहलत के आदेश बैंकों को पुनर्गठन तथा विलीनीकरण की सुविधा देने के लिए, तथा जमा करने वालों के हितों का संरक्षण करने के लिये जारी किये गये थे ।

(ग) कोट्टयम ओरियन्ट बैंक, बैंक आफ न्यू इंडिया, सीसिया मिडलैंड बैंक तथा वेनायू बैंक का विलय कर के एक नया बैंक बनाने का विचार है तथा त्रावनकोर फारवर्ड बैंक को किसी अन्य उपर्युक्त बैंक में विलीन करने का विचार है । बैंक आफ केरल को कनारा बैंक में विलीन किया जायगा । शेष दो बैंकों का भविष्य भी शीघ्र निश्चित हो जायेगा ।

सरकारी उपक्रमों में लागत लेखापालन†

†*२४२. श्री राजेश्वर पटेल :
श्री मुरारका :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों में लागत लेखापालन प्रणाली चालू कर दी गयी है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि नहीं, तो यह प्रणाली कब तक लागू कर दी जायेगी ; और

(ग) जिन संस्थानों में यह पद्धति लागू कर दी गई है, क्या उन में समुचित रूप से लागत फैलाई जाती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) निम्नलिखित उपक्रमों में लागत लेखापालन लागू किया गया है :

१. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

२. नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

३. उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड

४. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड

(ख) अन्य उपक्रमों में उत्पादन आरम्भ हो जाने पर अथवा बड़े पैमाने पर कार्य चालू हो जाने पर यह प्रणाली चालू कर दी जायेगी ।

(ग) जी, हां ।

सैनिक स्कूल

†*२४३. { **श्री उस्मान अली खां** :
श्री आसर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में भारतीय सैनिक अकादमी की किस्म के सैनिक स्कूल स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ये स्कूल कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली

†*२४४. **श्री तंगामणि** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय के उद्घाटन के पश्चात् उस में प्रदर्शनार्थ वस्तुओं की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां तो कितनी ; और

(ग) संग्रहालय में प्रदर्शन के लिये उपयुक्त वस्तुओं को विदेशों से प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख). उद्घाटन के समय इस में ३३९२ वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था और उपलब्ध स्थान में इस से अधिक वस्तुओं को नहीं रखा जा सकता है ।

(ग) यूनैस्को की सहायता के द्वारा पश्चिमी कला संग्रह इकट्ठा करने का विचार है ।

काल्टेक्स तेल शोधन कारखाना, विशाखापत्तनम

†*२४५. डा० राम सुभग सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काल्टेक्स तेल शोधन कारखानों में लोगों को बेचने के लिये गैस बनाने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्थापना सम्भवतः कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही किया जायेगा ।

लन्दन के वेस्टमिन्स्टर बैंक में हैदराबाद राज्य का धन

†*२४६. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन के वेस्टमिन्स्टर बैंक में भूतपूर्व हैदराबाद राज्य की जो दस लाख पौंड की रकम पड़ी हुई है ; उस की वसूली का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) १६ नवम्बर १९६० को अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ के उत्तर में जो बताया गया था इस समय भी वैसी ही स्थिति है ।

केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद के लिये आयोग

†*२४७. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद के लिये प्रस्तावित आयोग की नियुक्ति के बारे में और क्या प्रगति हुई हैं ;

(ख) यदि इस आयोग की नियुक्ति हो चुकी है, तो आयोग ने अब तक क्या कार्य किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विधेयकों के हिन्दी अनुवाद को उपलब्ध करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिये एक स्थायी आयोग नियुक्त करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) भाग (क) के उत्तर के कारण प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा ।

(ग) नियुक्ति के पश्चात् स्थायी आयोग अंग्रेज़ी के साथ साथ हिन्दी अनुवाद देने के प्रश्न पर विचार करेगा ।

जनता कालेज जांच समिति

*२४८. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान जनता कालेजों के कार्य की जांच करने के लिये बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य-मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चांदी के सिक्कों का गैर कानूनी रूप से गलाया जाना

†*२४९. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री अच्युतन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में अभी हाल में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में सोने चांदी के व्यापरियों द्वारा चांदी-एवं-निकल से निर्मित एक रुपये के कानूनी सिक्के बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी रूप से गलाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार गलाये गये सिक्कों की मात्रा का अनुमान लगाने के लिये कोई जांच की गयी है ; और

(ग) इस कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, भारत सरकार को उस से अधिक जानकारी नहीं है परन्तु दिल्ली प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चे

†*२५०. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री तंगामणि :
श्री बाल्मीकि : }

क्या शिक्षा मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में राजनैतिक पीड़ितों के कितने बच्चों को लाभ होगा ;

(ख) इस कार्य के लिये कितना आवंटन किया गया है ;

(ग) क्या सभी राज्यों ने योगदान देना स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्हों ने अभी तक इस योजना को नहीं अपनाया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (घ). एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों की है और १९६०-६१ में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों, जिन को लाभ हुआ है, की संख्या आदि के ब्यौरे राज्य सरकार/संघ प्रशासन तब तक नहीं भेजते हैं जब तक उन से यह मंगाये न जायें । परन्तु अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों से मंगाई गई है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा सुविधाओं के लिए १९६०-६१ में दी जाने वाली राशि आय-व्ययक में २ लाख रुपये रखी गई थी जिस में से राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों को निम्नलिखित राशि अभी तक दी गई है :—

राज्य/संघ प्रशासन	स्वीकृत धनराशि रुपये
आन्ध्र प्रदेश	६४,०६५
बिहार	२२,४२०
मैसूर	१८,६१८
उड़ीसा	२,८३६
दिल्ली	१४,५६८
मनीपुर	५,४२१
त्रिपुरा	४,४४०

(ग) जिन राज्य सरकारों ने योजना की क्रियान्विति करना स्वीकार कर लिया है उन्हों ने अपना अंश दिया है ।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) निम्न राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों को योजना अभी लागू करनी है :--

१. आसाम सरकार

२. गुजरात सरकार

३. महाराष्ट्र सरकार

४. केरल सरकार

५. मध्य प्रदेश सरकार

६. पंजाब सरकार

७. राजस्थान सरकार

८. पश्चिम बंगाल सरकार

९. जम्मू तथा काश्मीर सरकार

१०. हिमाचल प्रदेश प्रशासन

११. पांडिचेरी प्रशासन ।

पंजाब में पाकिस्तानियों का अधिक ठहरना

†३५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पासपोर्टों के बिना पंजाब में पश्चिम पाकिस्तान के लोगों का आगमन १९६० में बढ़ गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से पाकिस्तानी जो पंजाब में पासपोर्टों के साथ आये थे, अपने पासपोर्टों की अवधि समाप्त होने के बावजूद पंजाब में रहे ; और

(ग) यदि हां, तो उन लोगों को वापिस भेजने के लिये जिन की ठहरने की अवधि समाप्त हो चुकी है और जो बिना पासपोट आये हैं ; और पश्चिम पाकिस्तान से अनधिकृत लोगों का पंजाब में आगमन रोकने के लिये अब तक सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मद्रास राज्य में अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

†३५६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मद्रास राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये १९५९–६० में पृथक-पृथक कितना अंशदान दिया ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने १९५९–६० में मद्रास राज्य में विशेष बहुप्रयोजनीय खण्डों की स्थापना के लिये कितने अंशदान दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) मद्रास राज्य को १९५९-६० में पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सहाय-अनुदान इस प्रकार दिया गया है :

सहाय-अनुदान (लाख रुपयों में)

श्रेणी	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	कुल
१. अनुसूचित आदिम जातियां	३.३३५	३.५२	६.८५५
२. अनुसूचित जातियां . .	३५.२१०	१९.७३	५४.९४०
३. अधिसूचना में से निकाली गई आदिम जातियां .	७.९१६	५.४०	१३.३१६
४. अन्य पिछड़ी श्रेणियां	५.५२५	६.९०	१२.४२५
कुल . .	५१.९८६	३५.५५	८७.५३६

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य में कोई विशेष बहु-प्रयोजनीय आदिम जाति खण्ड नहीं खोले गये थे। अतः १९५९–६० में इस काम के लिये कोई अंशदान देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में बच्चों का उठाया जाना

†३५७. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में दिल्ली में कितने बच्चों का अपहरण किया गया ;

(ख) कितने बच्चे पुनः वापिस लाए गए ; और

(ग) इस अपराध के लिये कितने लोगों को दंड दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) १५९।

(ख) १४८।

(ग) ९ व्यक्तियों को दंड दिया गया है और ८१ व्यक्तियों पर अभियोग चल रहा है। जिन मामलों की जांच की जा रही है, उनमें ३८ लोगों पर अभियोग लगाया गया है।

पंजाब में विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम

†३५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में विश्वविद्यालय और कालेजों ने अपने अध्यापन कर्मचारियों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन-क्रम अपना लिये हैं ;

(ख) १९५९–६० तथा १९६०–६१ में इस काम के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या सहायता दी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जिन कालेजों और विश्वविद्यालयों ने योजनाओं को अपना लिया है, उन के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार शेष कालेजों को नवीन वेतन-क्रम अपनाने के लिये आग्रह कर रही है ; और

(ङ) यदि (घ) का उत्तर 'न' है तो इस का क्या कारण है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). पंजाब और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के वेतन-क्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतन क्रमों से उत्तम या उनके बराबर है, अतः ये विश्वविद्यालय आयोग की योजना के संचालन के अन्तर्गत नहीं आते हैं । गुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रहायशी विश्वविद्यालय है और इस से कोई कालेज संबद्ध नहीं है । पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बन्द्ध कालेजों में, ६५ कालेजों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतन-क्रम अपना लिये हैं। १९५९–६० और १९६०–६१ के बीच पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा प्रत्येक कालेज को दिये गये अनुदान की राशि और उन कालेजों के नाम बताने वाला विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७**]

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) कुछ कालेजों के गैर सरकारी प्रबंधक अध्यापकों के वेतन-क्रमों को बढ़ाने की लागत का अपना भाग देने के लिये धन जुटाना कठिन समझते हैं और इस बारे में कालेजों की सहायता करने के लिये विश्वविद्यालयों के पास धन नहीं हैं । पंजाब सरकार ने भी इस काम के लिये कालेजों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है । फिर भी इस योजना के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता केवल ५ वर्ष की अवधि के लिये है । अतः जब तक राज्य सरकार या कालेज वेतन क्रम बढ़ाने की योजना की लागत का अपना अंश देने के योग्य न हों, ऐसे कालेजों को इस लाभ का विस्तार करना संभव नहीं होगा ।

महाराष्ट्र से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से आय राजस्व

†३६०. **श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में महाराष्ट्र राज्य से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से कितना राजस्व वसूल हुआ है (मंडलवार) ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : उपलब्ध जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८**]

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो को देर तक काम करने का भत्ता

†३६१. { **श्री पांगरकर** :
श्री राम गरीब :

क्या **वित्त मंत्री** २९ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १००८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को देर तक काम करने का भत्ता देने के बारे में वित्त आयोग की सिफारिशों पर अब तक कोई फैसला कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निर्णय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जैसा कि वेतन आयोग ने सिफारिश की थी, आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार अधिकतम समय तक काम करने के भत्ते की एक विस्तृत योजना बनाने के लिये एक अन्तर-विभागीय समिति स्थापित की गई है।

महाराष्ट्र में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†३६२. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६६१ की जनगणना में समाज के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के विशेष अध्ययन के लिये महारष्ट्र में कौन से गांव चुने गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: महाराष्ट्र में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिये चुने गये गांव के नाम दर्शाने वाली सूची संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६]

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिये आवास

†३६३. **श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १६६०–६१ में अब तक महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजनाओं के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) क्या पूरी आवंटित राशि खर्च की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)**:(क) और (ख). सूचना महाराष्ट्र सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बोनस अंश जारी करना

†३६४. **श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्री वर्षों १६५८, १६५६ और १६६० के अन्दर किन २ समवायों को बोनस अंश जारी करने की मंजूरी दी गई थी और कितनी २ राशि के ;

(ख) किन २ समवायों को पिछले तीन वर्षों में प्रीमियम के बिना साम्य अंश जारी करने की अनुमति दी गई थी ; और

(ग) किन २ समवायों को अनुमति नहीं दी गई तथा उसके क्या कारण थे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना समेत समवायों के नामों की सूची संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या ६०]

अप्रत्यक्ष करों की वसूली

†३६५. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में अब तक समवाय करों के अतिरिक्त कुल कितने अप्रत्यक्ष करों की वसूली की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** १-४-६० से ३१-१२-६० के बीच समवाय करों के अतिरिक्त अपरोक्ष करों से ७६.२६ करोड़ रुपये की वसूली हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क

†३६६. श्री मुरारका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में अब तक कुल कितना सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क वसूल हुआ है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): १ अप्रैल १९६० से ३१ दिसम्बर १९६० तक की अवधि में उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की वसूली इस प्रकार हुई है :

सीमा शुल्क	१२३.२३ करोड़ रुपये
उत्पादन शुल्क	२९८.१० करोड़ रुपये

समवाय करारोपण

†३६७. श्री मुरारका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समवाय करारोपण की नवीन योजना के अन्तर्गत समवायों से चालू वर्ष में अब तक कुल कितना कर वसूल हुआ है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : १-४-६० से ३१-१२-६० तक समवायों से कुल कर ९०.४८ करोड़ रुपये वसूल हुआ है। इस राशि में चालू वर्ष में, पहले निर्धारण वर्षों की मांगों के विरुद्ध तथा आगामी वर्ष के लिये निर्धारण के बारे में अग्रिम कर (स्थान पर काट लिया गया कर) की वसूली भी शामिल है।

पंजाब में भूतपूर्व सैनिक

†३६८. श्री हेम राज : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के अन्त में, जिलावार पंजाब में कितने भूतपूर्व सैनिक थे ; और

(ख) उन में से कितने लोगों को जिलावार उपयोगी कामों में लगाया गया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस बारे में केवल इतनी सूचना उपलब्ध है कि पंजाब राज्य में सरकार के अधीन सेवाओं में कितने भूतपूर्व सैनिक लगे हैं। मई १९५१ से नवम्बर १९६० तक उनकी संख्या १९५४४ है।

हिमाच्छादित क्षेत्रों में निर्वाचन

†३६९. श्री हेम राज : क्या विधि मंत्री ६ सितम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३९ के उतर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२ में हिमाच्छादितदुर्गम क्षेत्रों में सामान्य निर्वाचन करने के निर्णय में तब से क्या प्रगति हुई है ?

†विधि उपमंत्री (श्री हाजरनवीस): निर्वाचन आयोग ने १९६२ में हिमाच्छादित और दुर्गम क्षेत्रों में निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

विदेशी बैंकों में खाते

†३७०. श्री कुन्हन : क्या वित्त मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी बैंकों में फालतू राशि को जमा कराने के बीजकों में गड़बड़ी के मामलों में जो छ : फर्में या व्यक्ति अन्तर्गस्त ह उनके क्या नाम हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : छः में से पांच मामलों की अभी जांच हो रही है और इस समय इन फर्मों या लोगों के नाम लोक हित में नहीं बताये जा सकते। जिस एक फर्म के मामले का फैसला हो चुका है वह है मैसर्स अमीनचंद प्यारालाल।

भारतीय राजाओं की विदेशों में आस्तियां

†३७१. **श्री कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ नवम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कितने भारतीय राजाओं की अस्तियां हैं; और

(ख) विदेशों में उन की आस्तियों की कितनी राशि है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) २३।

(ख) लगभग ५.४ करोड़ रुपये।

विदेशी सामाजिक गैर-सरकारी संगठन

†३७२. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में राज्य तथा प्रशासनवार अब तक विकास योजनाओं में काम करने वाले देश व्यापी विदेशी सामाजिक गैर सरकारी संगठनों के क्या नाम है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: प्रश्न का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। केवल दो विदेशी संगठन फोर्ड फाउण्डेशन तथा राकफैलर फाउण्डेशन विश्वव्यापी संगठन हैं, जिन्हें भारत की विकास योजनाओं में सहायक माना जा सकता है। विकास परियोजनाओं में सहायता सम्बन्धी उनकी योजनाएं सरकार के परामर्श से बनाई जाती हैं।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां

†३७३. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक केन्द्रीय सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये बस्तियों तथा मकानों के निर्माण के लिये उड़ीसा राज्य को वर्ष वार कितनी राशि दी है;

(ख) अब तक केन्द्रीय सहायता से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने परिवारों के लिये मकान बनाये गये हैं; और

(ग) कितनी राशि व्यपगत हो गई है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

धोखा निरोधक दस्ता

†३७४. **श्री कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री २ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन छः मामलों में अन्तर्ग्रस्त फर्मों के नाम क्या हैं, जिनकी जांच धोखा-निरोधक दस्ता कर रहा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : धोखा निरोधक दस्ते ने जो जांच की थी, उन छः मामले से सम्बद्ध फर्मों में से, मैसर्स एस० बी० औद्योगिक विकास कम्पनी सीमित कलकत्ता के प्रबन्धक निदेशक तथा मैसर्स रणजीत पर्यटन अभिकरण, जी० टी० रोड जालन्धर के विरुद्ध उपयुक्त न्यायालयों में अभियोग चला दिये गये हैं । शेष चार फर्मों सम्बन्धी मामले अभी विचाराधीन हैं और इस समय उनके नाम बताना लोकहित में नहीं है ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

३७५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जो हिन्दी निदेशालय स्थापित हुआ है उसके लिये कुछ नये कर्मचारी भर्ती किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो भर्ती करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय मन्त्रालयों के कर्मचारियों से भी आवेदन-पत्र मांगे गये थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (घ). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में विभिन्न पदों पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की गई है :—

(१) शिक्षा मन्त्रालय से तबादला करके ;

(२) शिक्षा मन्त्रालय से कर्मचारियों की उपनियुक्ति (डिप्युटेशन) द्वारा;

(३) संघीय लोकसेवा आयोग द्वारा ;

(४) रोजगार दफ्तर और रोज़गार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा भर्ती करके; और

(५) ऐसे दूसरे कार्यालयों से कर्मचारियों का तबादला करके जहां छंटनी हो रही थी या होने की सम्भावना थी ।

(ग) और (घ). तकनीकी सहायकों के पदों के लिए सभी मन्त्रालयों से आवेदन-पत्र मांगे गए हैं ।

प्रभात बैंक का विलय

†३७६. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रभात बैंक नैशनल बैंक आफ लाहौर के साथ मिला दिया गया था, जो लाइसेंस प्राप्त बैंक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) प्रभात बैंक को नैशनल बैंक आफ लाहौर के साथ मिलाने की एक योजना रिज़र्व बैंक द्वारा बनाई गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई है।

(ख) यह समझा गया है कि यह योजना प्रभात बैंक के खातेदारों के हित में बेहतर होगी।

ध्वनि लहरों से कृत्रिम वर्षा

†३७७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मन्त्री २९ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ध्वनि लहरों से कृत्रिम वर्षा पैदा करने के तरीके का ब्यौरा प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या स्वरूप है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). क्योंकि यदि सूचना प्राप्त करने के प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं, यह विचार किया गया है कि मामले को आगे न बढ़ा कर अपने निजी प्रयत्न जारी रखे जाएं।

सोने तथा जवाहिरात का पकड़ा जाना

†३७८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में सीमा शुल्क विभाग ने कितनी राशि का सोना और जवाहिरात पकड़े हैं;

(ख) क्या प्राधिकारियों द्वारा दिये गये उपचारात्मक उपाय पर्याप्त थे; और

(ग) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने अधिक शक्तियां मांगी हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) लगभग १२४०.५६ किलोग्राम (या १०६, ३५३ तोला) सोना और जवाहिरात तथा लगभग १,३३,३८,००० रुपये की लागत की १० गिन्नियां सीमा शुल्क, भू-सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा १९६० में पकड़े गये थे।

(ख) जी हां। जो उपाय किये गये थे वे उचित रूप से पर्याप्त थे।

(ग) समय समय पर अधीनस्थ सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने विधि सम्बन्धी या प्रशासनिक शक्तियों के लिये, जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं, सुझाव दिये हैं। समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में इस प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

चुनाव व्यय को घटाना

+

३७६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या विधि मन्त्री २४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव व्यय को घटाने के बारे में चुनाव आयोग ने जो सिफारिशें की थीं, उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : लोकसभा में विभिन्न पार्टियों और दलों के प्रवक्ताओं के साथ पिछले शनिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अनौपचारिक रूप से इस बात पर विचार विमर्श किया था कि क्या ऐसी बड़ी सार्वजनिक सभाओं की संख्या पर कोई रोक लगाना ठीक होगा जो कि उम्मीदवार या पार्टी द्वारा की जाती हैं और जिनमें लाउडस्पीकरों के प्रयोग के कारण काफी व्यय होता है । आम राय यह थी कि बड़ी सार्वजनिक सभा और छोटी सार्वजनिक सभा में अन्तर करना आसान नहीं है और इसलिए ऐसी सभाओं की संख्या पर कोई रोक लगाना न तो सम्भव है और न वांछनीय है ।

भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता

†३८०. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के बीच अवशिष्ट वित्तीय प्रश्नों की चर्चा करने के लिये दोनों देशों के वित्त मन्त्रियों की दूसरी बैठक करने का फैसला किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह बैठक कब और कहां होगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) कोई स्थान या तिथि अभी निश्चित नहीं किये गये हैं ।

केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†३८१. { **श्री कोडियान :**
श्री वारियर :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में दूसरी योजना अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए मंजूर की गई केन्द्र द्वारा पोषित योजनायें कौन सी थीं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अभी तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) इन योजनाओं के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी ;

(घ) क्या मंजूां की गई राशि पूरी खर्च की जा चुकी है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो राशि के खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). सूचना अनुबन्ध में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(घ) और (ङ). इस अवस्था में यह कहना सम्भव नहीं है कि वह राशि पूरी खर्च की जा सकेगी या नहीं। परन्तु पहले चार वर्षों के वास्तविक व्यय और चालू वर्ष के लिए अभी तक किए गए आवंटनों के आधार पर ६.८७ लाख रुपए की कमी है और राज्य सरकार से अनुमोदन के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है।

केरल में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति प्रादेशिक आयुक्त

†३८२. **श्री कोडियान** : क्या गृहकार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति प्रादेशिक आयुक्त का पद खत्म कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) सहायक आयुक्तों के प्रभारों का पुनरीक्षण किया गया है और अब केरल तथां मद्रास एक प्रभार के अन्तर्गत है।

(ख) चूंकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का क्षेत्र और उन की संख्या इतनी नहीं थी कि एक पृथक प्रदेश रखा जाये इसलिये केरल को मद्रास के सहायक आयुक्त के क्षेत्राधिकार में मिला दिया गया है।

जयपुर के निकट विमान दुर्घटना

†३८३. { **श्री आसर** :
श्री वाजपेयी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ नवम्बर, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १००२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ नवम्बर, १६६० को जयपुर के निकट हुई विमान दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच न्यायालय ने अपना कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) दुर्घटना का संभावित कारण रात में उड़ान के समय विमान की स्थिति के सम्बन्ध में ज्ञान न रहना समझा जाता है जिस से विमान पर नियंत्रण नहीं रहा और परिणामस्वरूप विमान इतनी असाधारण ऊंचाई पर चला गया जहां से उसे वापस नहीं लाया जा सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों के मामलों के लिये विशेष न्यायाधिकरण

†३८४. { श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गलती से दंडित किये गये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामलों के निपटारे के लिये एक विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह न्यायाधिकरण कब नियुक्त किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार का न्यायाधिकरण द्वारा कार्य की समाप्ति के लिये कोई समयावधि रखने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) नहीं;

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

बम्बई में सोना पकड़ा जाना

†३८५. { श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री पांगरकर :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ जनवरी, १९६१ को बम्बई के कस्टम अधिकारियों ने मजगांव गोदी पर एक देसी जहाज से एक हजार तोला सोना बरामद किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). "धन प्रसाद" नामक एक देसी जहाज वेनगुरला से बम्बई पहुंचा । इस जहाज के चालक-दल के तीन सदस्यों अर्थात् इसाक मुहम्मद, कासम अयूब और अहमद याकूब की तलाशी लेने पर बम्बई के कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उन में से प्रत्येक के पास दस दस तोले की १०० छड़ें पाईं जो उन्होंने अपनी कमीजों के नीचे पहनी सूती जाकेटों में छिपा रखी थीं । फिर उस जहाज की तलाशी ली गई और दस दस तोले की २,६२६ छड़ें बरामद की गईं । इस प्रकार उस जहाज और चालक दल के तीन सदस्यों से कुल २९,२६० तोला सोना बरामद किया गया जिस का मूल्य लगभग ३९,५०,००० रुपये होता है ।

उपर्युक्त देसी जहाज के चालकदल के ग्यारह सदस्य अभी तक गिरफ्तार किये गये हैं । अग्रेतर जांच जारी है ।

उड़ीसा में माध्यमिक शिक्षा

†३८६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को उड़ीसा में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन एवं संवर्धन के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये दूसरी योजना अवधि में अभी तक उड़ीसा को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १९५९–६० तक ३९,५५, ३५६ रुपये ।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक

†३८७. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री पांगरकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की २८ दिसम्बर, १९६० को कलकत्ता में निर्धारित बैठक की कार्य सूची में कौन कौन से विषय चर्चा हेतु सम्मिलित किये गये थे ;

(ख) वह बैठक किन कारणों से नहीं हो सकी;

(ग) पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की अगली बैठक कब और कहां हुई; और

(घ) किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय किये गये ?

†**गृह कार्य-मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२]**

(ख) परिषद् के सभापति के अचानक बीमार हो जाने से वह बैठक मूल कायक्रम के अनुसार कलकत्ता में नहीं हो सकी ।

(ग) बैठक दिल्ली में १४ जनवरी, १९६१ को हुई थी ।

(घ) परिषद् की कार्यवाही का विवरण, जिस में परिषद् के निर्णय दिये गये होंगे, तैयार हो जाने पर उस की प्रतियां यथाशीघ्र संसद् पुस्तकालय में रख दी जायेंगी ।

उड़ीसा में ग्रामदान कार्य

†३८८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ को उड़ीसा में कोरापट में १९५८–५९, १९५९-६०, और १९६०–६१ में ग्रामदान कार्य करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण योजनायें

†**३८९. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्रीय पोषित कार्यक्रमों के अन्तर्गत १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में कोई राशि न खर्च किये जानें के कारण अध्यर्पित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). नहीं श्रीमान् । एक वित्तीय वर्ष के सहायतार्थ अनुदान की बिना व्यय हुई शेष राशि का अगले वित्तीय वर्ष में समायोजन किया जा सकता है । उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये केन्द्रीय पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५८–५९ और १९५९–६० में दिये गये अनुदानों में से बिना व्यय हुई राशियां निम्न प्रकार हैं :

श्रेणी	**बिना व्यय हुई राशि**	
	१९५८–५९	१९५९–६०
अनुसूचित आदिम जातियां	..	१५·९५
अनुसूचित जातियां	०·२७	०·४३

१९५८–५९ की बिना खर्च हुई राशि का समायोजन १९५९-६० की मंजूरी में कर दिया गया था और १९५९–६० की बिना खर्च हुई राशि का समायोजन १९६०–६१ की मंजूरी में किया जायेगा ।

१९६०–६१ के लिये मंजूरी चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक दी जायेगी और उस वर्ष के अनुदान में से बिना व्यय हुई राशि का १९६१–६२ में समायोजन किया जायेगा ।

खांडसारी पर उत्पादन शुल्क

†**३९०. श्री शि० ला० सक्सेना :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में से प्रत्येंक में खांडसारी पर उत्पादन शुल्क से कुल कितनी राशि प्राम्प्त हुई और प्रत्येक वर्ष में उत्पादन शुल्क की वसूली पर कितना व्यय किया गया;

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक में खांडसारी का कितना उत्पादन हुआ और इस में से कितने उत्पादन पर उत्पादन-शुल्क लगाया गया; और

(ग) इस में से कितना शुल्क सल्फीटेशन प्रक्रिया से तैयार की गई खांडसारी पर उत्पादन-शल्क से वसूल किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :** (क) से (ग) आवश्यक जानकारी वाला विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ६३]**

स्वास्थ्य के लिये अणु के प्रयोग की प्रदर्शनी

†**३९१. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने फरवरी, १९६१ में नई दिल्ली में स्वास्थ्य के लिये अणु के प्रयोग की प्रदर्शनी आयोजित की है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस में कितना व्यय हुआ; और

(ग) उस में क्या चीजें प्रदर्शित की गई हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) २९,१०० रुपये मंजूर किये गये हैं । विज्ञापनों की छपाई, जलपानगृह के स्थान के किराये आदि से भी कुछ आय होने की आशा है ।

(ग) प्रदर्शनी में निम्नलिखित वस्तुयें सम्मिलित हैं :

(१) चाट, उपकरण, विश्लेषण एवं उपचार के प्रयोजनों के लिये चिकित्सा के क्षेत्र में विकिरण के चालू प्रयोग दिखाने वाले चित्र तथा माडल ।

(२) अणुशक्ति संस्थापनों और दिल्ली की कृषि गवेषणा संस्था और दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त कुछ संबंधित उपकरण ।

(३) गवेषणा के लिये काम में लाई जाने वाली आइसोटोपिक विधियां ।

(४) आइसोटोपों के औषधि के रूप में प्रयोग के प्रयोजनों के लिये एक चिकित्सा प्रयोगशाला का माडल ।

(५) कृषि के सम्बन्ध में आइसोटोपों का प्रयोग ।

(६) पौधों, पशुओं और आदमियों पर विकिरण के प्रभाव ।

(७) आधारभूत सिद्धान्तों और तरीकों से सम्बन्धित उपकरण, चित्र और माडल ।

(८) प्रतिरक्षा और अणुशक्ति संस्थापनों के विशेषज्ञों द्वारा लैक्चर तथा प्रदर्शन ।

लेखापरीक्षण तथा लेखा विभाग के कर्मचारी

†३९२. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखापरीक्षण तथा लेखा विभाग के उन कर्मचारियों से संबंधित मामलों के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है जिन्हों ने जुलाई, १९६० में हड़ताल में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उन में से कितने नौकरी से अलग कर दिये गये ;

(ग) कितने कर्मचारी अनिवार्यतः रिटायर कर दिये गये ; और

(घ) कितने कर्मचारी अभी तक मौत्तल हैं, यदि कोई हों ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सोलह को छोड़ कर बाकी सब मामलों के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ।

(ख) छब्बीस ।

(ग) आठ ।

(घ) पन्द्रह ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†३६३. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से महाराष्ट्र का विस्तृत भूतत्वीय सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है । परन्तु भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण की तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय महाराष्ट्र सरकार से परामर्श किया गया था और उस के द्वारा दिये गये विभिन्न सुझाव भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के कार्यक्रम में सम्मिलित किये गये थे जो १ अप्रैल, १९६१ को प्रारम्भ होगा । १९६१-६२ में महाराष्ट्र में निम्नलिखित कार्य करने का प्रस्ताव है :

(१) रत्नगिरी जिले में भूतत्वीय नक्शे बनाना जारी रखना । विमान से लिये गये फोटो पर जो २·५"–१ मील और १" स्केल शीट संख्या ४७ जी०/६, ७, ८; ४७ एच०/६, १०, ११ पर होंगे । इल्मेनाइट निक्षेपों का अनुसंधान ।

(२) चांदा जिले में भूतत्वीय नक्शे बनाना जारी रखना । १–"–१ मील स्केलशीट संख्या ५५ एल० १५, १६; ५५ पी०/३, ४, ७, ८, १२, १६; ६४ डी०/५, ६, ८, ६, १३; ५६ एम०/१ और २ ।

(३) निम्नलिखित जिलों में भूतत्वीय नक्शे बनाने जिन में दक्षिण की काली चट्टानों के शैलजनन और चट्टानों के पहले के भूतल रूप और पार्श्व विस्तार का विशेष संकेत किया जायगा :

(क) सतारा और रत्नगिरी के भाग ।

(ख) पूना ।

(४) कोल्हापुर, हलार और कैरा जिलों में बाक्साइट निक्षेपों पर अनुसंधान ।

(५) चांदा-वर्धा कोयले क्षेत्र के भूतत्वीय नक्शे बनाना ।

(६) ऊकल (ए०) परियोजना का भूतत्वीय अनुसंधान जारी रखना और ताप्ती बेसिन में हतौर और करवन्द परियोजना का अनुसन्धान ।

(७) नर्बदा (ए०), करनजेवन (बी०), माहे (ए०), वतरक (बी०), भीमा (बी०) और सुस्ती परियोजनाओं के सम्बन्ध में अनुसंधान ।

(८) भंडारा (सी०), बांध रानवे योजना के संबंध में अनुसन्धान ।

(९) चौथी योजना अवधि (डी०), में आयोजन के लिये राज्य में नदी घाटियों का बेसिनवार इंजीनियरिंग सर्वेक्षण ।

(१०) बीजापुर, मेहसाना, खैरा, बेलगाम जिलों में भूमिगत जल का नियमित सर्वेक्षण ।

(११) अकोला, अमरावती, बुल्डाना, पूर्व और पश्चिम खानदेश, जालावद जिलों और कच्छ में भूमि तथा जलविज्ञान संबंधी अध्ययन ।

(१२) कंकौली और वागदा क्षेत्रों, देवगढ़ ताल्लुक, रत्नागिरी जिले में क्रोमाइट निक्षेपों का अनुसंधान ।

---

†मूल्य अंग्रेज़ी में

(१३) नागपुर और भण्डारा जिलों में शिवराजपुर और पौनी के बीच के खनिज क्षेत्र में कोलारे के निकट पाये जाने वाले एण्टमनी, निकिल और अन्य धातु अयस्कों का अनुसंधान ।

(१४) दक्षिण की काली चट्टानों के क्षेत्रों में भूमिगत जल की खोज ।

प्रतिरूप निधियां

†३९४. { **श्री मुरारका :**
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरूप निधियों की अद्यतन कुल राशि (रुपयों में) कितनी है ;

(ख) वे किन किन देशों से सम्बन्धित है ;

(ग) इन निधियों को इस समय किस तरह उपयोग में लाया जा रहा है ; और

(घ) क्या इन राशियों पर कोई ब्याज दिया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(घ) पी० एल० ४८० और पी० एल० ६६५ के अन्तर्गत अमरीकी सहायता के सम्बन्ध में रुपये की प्रतिरूप निधियां अमरीकी सरकार निक्षेपों के रूप में अपने नई दिल्ली के स्टेट बैंक/रिजर्व बैंक के हिसाब में उस समय तक रखती है जब तक कि वे राशियां भारत सरकार को सहमत परियोजनाओं के लिये ऋण अथवा अनुदानों के रूप में भुगतान नहीं कर दी जाती हैं । रिजर्व बैंक/स्टेट बैंक ऐसे निक्षेपों पर ब्याज देते हैं । भारत सरकार उस को दी गई कर्ज की राशियों पर यदि कोई हो, ब्याज देती है । शेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत रुपये की निधियां भारत सरकार के खाते में डाल दी जाती हैं और ऐसे मामलों में ब्याज के भुगतान का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी उद्योग क्षेत्र के उद्योगों के लिये मूल्यांकन दल

†३९५. { **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उद्योग क्षेत्र की समस्त औद्योगिक परियोजनाओं के लिये एक मूल्यांकन दल नियुक्त करने की वांछनीयता पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा दल कब नियुक्त किया जायगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) एक दल के लिये समस्त औद्योगिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करना संभव नहीं है ।

(ख) और (ग). जब बड़ी परियोजनाओं में उत्पादन शुरू हो जायगा तब पृथक्-पृथक् दल नियुक्त किये जायगे । योजना की परियोजनाओं संबंधी समिति द्वारा नियुक्त किया गया एक दल

†मूल अंग्रेजी में

कुछ समय से औद्योगिक एवं परिवहन परियोजनाओं के तालिका नियंत्रण और सधारण रीतियों का अध्ययन कर रहा है ।

शक्तिमान ट्रक

†३९६. **श्री राजेश्वर पटेल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शक्तिमान ट्रकों का आद्यतन उत्पादन कितना है ;

(ख) कितने प्रतिशत ट्रक-पुर्जों का निर्माण देश के अन्दर किया जाता है ; और

(ग) इस शक्तिमान ट्रक का मूल्य क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जनवरी, १९६१ के अन्त तक १३७० शक्तिमान ट्रकों का निर्माण हुआ है ।

(ख) उत्पादन में देशी अंश लगभग ३७ प्रतिशत है । नए ट्रकों के लिए आयात किये जाने वाले पुर्जों में ५०·८ प्रतिशत कमी की जाती है ।

(ग) शक्तिमान ट्रकों के वित्तीय वर्ष १९५९-६० के वास्तविक मूल्य निम्न प्रकार हैं :

१. मिले जुले ढांचे से बना	३७,८२८·३४ रुपये प्रति
२. इस्पात के ढांचे से बना	३७,३६८·८१ रुपये प्रति

लोक सहायक सेना

†३९७. **श्री हेमराज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर के सीमान्त जिलों में १९६० में लोक सहायक सेना के कितने कैम्प आयोजित किये गये ; और

(ख) उन में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ?

†**प्रति रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है :

राज्य का नाम	आयोजित कैम्पों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
उत्तर प्रदेश	३	१,३१५
हिमाचल प्रदेश	१	३४९
पंजाब	५	२,५७७
जम्मू तथा काश्मीर	५	१,९९५

†मूल अंग्रेजी में

अगरतला से कलकत्ता के विमान भाड़े की दर

†३९८. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मन्त्रालय और परिवहन तथा संचार मन्त्रालय के बीच गृह-कार्य मन्त्रालय की अनौपचारिक मन्त्रणा समिति की इच्छानुसार अगरतला और कलकत्ता के बीच के विमान भाड़े की दर में कमी के सम्बन्ध में कोई चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त):** (क) और (ख). जी, हां। प्रश्न पर अभी भी इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के साथ मिल कर विचार किया जा रहा है।

त्रिपुरा के लिये आदिम जातीय कल्याण मंत्रणा समिति

†३९९. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मन्त्रालय की संसदीय अनौपचारिक मन्त्रणा समिति की दिसम्बर, १९६० में हुई बैठक की चर्चा के अनुसार त्रिपुरा के लिए आदिम जातीय कल्याण मन्त्रणा समिति का पुनर्निर्माण करने के लिए कोई कदम उठाया गया है ; और

(ख) क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). मामले पर अभी भी त्रिपुरा प्रशासन के साथ मिल कर विचार किया जा रहा है।

पी० एल० ४८० के अधीन सहायता

†४००. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ से पब्लिक ला ४८० के अधीन देश को कुल कितनी सहायता मिली और इसको किस प्रकार उपयोग में लाया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** जानकारी सम्बद्ध विवरण में है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५]**

केरल के जूनियर टैक्निकल स्कूल

†४०१. **श्री कुन्हन :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के लिये दूसरी योजनावधि के कितने जूनियर टैक्निकल स्कूल स्वीकार किए गए हैं; और

(ख) क्या केरल राज्य से इसके बारे में कोई प्रस्ताव मिला था ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर):** (क) और (ख). केरल राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना में नौ जूनियर टैक्निकल स्कूल स्थापित करने की व्यवस्था है। यह सभी स्कूल चालू हो गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा

४०२. श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय मंत्रणा बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूप रेखा क्या होगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) स्त्रियों की शिक्षा के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में जनवरी में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जो प्रस्ताव स्वीकृत किया है वह इस प्रकार है :—

"सार्वजनिक और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अमल में लाने के लिए लड़कियों की शिक्षा का जो महत्व है उसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड सिफारिश करता है कि केन्द्र द्वारा संचालित योजना के रूप में स्त्रियों की शिक्षा के विशेष कार्यक्रम को बढ़ावा मिलना चाहिए और इसके अनुसार ही इस काम के लिए धन-राशि नियत की जानी चाहिये । कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिये ऐसा करना आवश्यक है । बोर्ड का विचार है कि केवल राज्यों की आयोजनाओं में धनराशि की व्यवस्था कर देने से इस उद्देश्य के पूरे होने का विश्वास नहीं हो सकता । यह भी सिफारिश की जाती है कि प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के छात्रा वास बनाने के लिये अनुदानों की व्यवस्था केन्द्र द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जानी चाहिये और सहायता का स्वरूप वही होना चाहिये जो दूसरी आयोजना में इस योजना के लिए निश्चित किया गया था ।"

सम्पदा शुल्क

†**४०३. श्री विभूति मिश्र :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ से ३१ जनवरी, १९६१ तक प्रतिवर्ष सम्पदा शुल्क के कितने मामले लम्बित थे;

(ख) प्रत्येक वर्ष उनमें से कितने मामले निबटाये गये ;

(ग) अभी भी कितने मामले लम्बित हैं;

(घ) उनको लम्बित रखने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उनको शीघ्र निपटाने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग). सांख्यकी वित्तीय वर्ष के अनुसार रखी जातीहै । वित्तीय वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० तथा १९६०–६१ (३१ जनवरी १९६१ तक) के

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सम्पदा शुल्क के निपटाये गये मामलों तथा लम्बित मामलों का विवरण नीचे दिया जाता है :—

वित्तीय वर्ष	पिछले बकाया मामलों समेत निपटाने के मामलों की संख्या	निपटाये गये मामलों की संख्या	अवधि के अन्त तक लम्बित मामलों की संख्या
१	२	३	४
१९५८–५९	१०,७७४	७,६६४	३,११०
१९५९–६०	१२,२३१	९,००३	३,२२८
१९६०–६१ (३१-१-१९६१ तक) .	११,५०६	७,८९५	३,६११

(घ) मामले लम्बित होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) प्राय: विशेषत: बड़े मामलो में, लोग अधिनियम के अधीन निश्चित अवधि समाप्त हो जाने के बाद पूरे लेखे प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं इसलिये वह और अवधि मांगतेहैं। ऐसी अवधि उचित मामलों में स्वीकार कर दी जाती है।

(२) व्यक्तियों द्वारा दी गई गवाही, सूचना लेखों और अन्य दस्तावेजों की जांच करने में समय लगता है क्योंकि मृत व्यक्ति के बैंक के लेखे, बेनामी व्यापार, उपहार आदि कई वर्षों के होते हैं और उनकी जांच की जाती है।

(३) अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन, समवायों के अन्श तथा अन्य व्यापार की आस्तियों के मूल्यांकन में समय लगता है।

(४) मोफ्फसिल क्षेत्रों में मामलों को पत्र-व्यवहार के द्वारा तथा अंशत: विभिन्न स्थानों पर निर्धारण पदाधिकारियों द्वारा शिविर लगा कर तय किया जाता है।

(५) सम्पदा शुल्क का निर्धारण कभी कभी ऐसे आय-कर के मामलों के कारण भी रुक जाता है जिनमें आय को छुपाने, बेनामी नाम वालों की आस्तियों के अर्जन के बारे में जांच हो रही हो।

(६) सम्पत्ति के उत्तराधिकार तथा स्वामित्व के प्रश्नों के बारे में अदालतों में मुकदमे लम्बित होने के कारण।

(७) सम्पदा शुल्क की कार्यवाहियों के विरुद्ध याचिकायें प्रस्तुत होने के कारण तथा उच्चन्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा होने के कारण।

(ङ) औसतन ८००० से अधिक (कुल लम्बित मामलों के लगभग ७० प्रतिशत) एक वर्ष में निबटा दिए जाते हैं। इनके आंकड़ों को देखने पर यह नहीं कहा जा सकता कि लम्बित मामलों की संख्या अधिक है। फिर भी सम्पदा शुल्क के निदेशक तथा राजस्व के केन्द्रीय बोर्ड के द्वारा लम्बित मामलों का पुनरीक्षण होता रहता है। निर्धारण पदाधिकारियों को भी आदेश दे दिए गए हैं कि मोफ-फसिल क्षेत्रों में अफ़सर दौरे करें जिससे उनके सामने लम्बित मामलों को शीघ्रता

से निबटाया जा सके । सम्पदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५८ के द्वारा निम्नलिखित उपबन्ध लागू कर दिये गये हैं :

(१) जिन मामलों में सम्पदा शुल्क के लेखे जमा करने के लिये अवधि बढ़ाई गई हो उनमें सूद लिया जायेगा ।

(२) लेखा योग्य व्यक्ति को सम्पदा शुल्क निदेशक का शुल्क के भुगतान के बारे में एक प्रमाणपत्र देना होगा तभी उसको अदालत का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिलेगा ।

ऐसा विचार है कि इन नये उपबन्धों के कारण भविष्य में लम्बित मामलों की संख्या कम हो जायेगी ।

स्वतंत्रता संग्राम मे भाग लेने वालों के उत्तराधिकारियों को निवृति वेतन

†४०४. **श्री आसर :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम शंकर लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भाग लेने वालों के उत्तराधिकारियों को निवृत्ति वेतन स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह उत्तराधिकारी कौन कौन हैं तथा भाग लेने वालों के साथ उनका क्या सम्बन्ध है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) सरकार ने १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भाग लेने वालों के कुछ उत्तराधिकारियों को निवृत्ति वेतन दिया है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	उत्तराधिकारी का नाम	संग्राम में भाग लेने वालों से सम्भब
१	श्री हाफिज नज़ीर अहमद	इलाहाबाद के मौलवी लियाक़त अली के पौत्र
२	श्री काज़ी अबू अहमद	इलाहाबाद के मौलवी लियाक़त अली के पौत्र
३	श्री अयूब अहमद	इलाहाबाद के मौलवी लियाक़त अली के पौत्र
४	श्रीमती ज़ैतून बीबी	इलाहाबाद के मौलवी लियाक़त अली की पौत्री
५	श्रीमती जन्नत्तुनिसा बीबी	इलाहाबाद के मौलवी लियाक़त अली के पौत्र की विधवा
६	कुमारी जमीला बीबी	इलाहाबाद के मौलवी लियाक़त अली के पौत्र की पुत्री
७	श्रीमती उम्मे हबीबा	इलाहाबाद के मौलवी लियाक़त अली के पौत्र की विधवा

†मूल अंग्रेज़ी में

क्रम संख्या	उत्तराधिकारी का नाम	संग्राम में भाग लेने वालों से सम्बन्ध
८	कुमारी रशीदा खातून	इलाहाबाद के मौलवी लियाक़त अली के पौत्र की पुत्री
९	कुमारी ज़हीदा खातून	इलाहाबाद के मौलवी लियाक़त अली के पौत्र की पुत्री
१०	कुमारी मैदा खातून	इलाहाबाद के मौलवी लियाक़त अली के पौत्र की पुत्री
११	श्री सैयद अहमद	इलाहाबाद के मौलवी लियाक़त अली के पौत्र के पुत्र
१२	श्री नारायण राव टोपे	तांत्या टोपे के भतीजे
१३	श्री शंकर राव टोपे	तांत्या टोपे के भतीजे
१४	श्री रघुनाथ राव टोपे	तांत्या टोपे के भतीजे
१५	हकीम ज़फरुल हक़	खैराबाद के मौलवी फज़ल हक़ के पौत्र
१६	मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन	श्री एहसान अली खां के पौत्र
१७	मिर्जा बेदारबख्त बहादुर	दिल्ली के सम्राट बहादुरशाह के प्रपौत्र

लोहा तथा इस्पात की मांग

†४०५. { **श्री अगाड़ी** :
श्री रामपुरे :

क्या **इस्पात, खान और इंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में खंड विकास के लिये लोहे और इस्पात के कितने ही इन्डेंट बहुत अर्से से लम्बित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन्डेंटों (वस्तु आदेशों) की संख्या, मैसूर राज्य के जिलेवार, क्या है ;

(ग) इन्डेंटों की तिथि क्या है ;

(घ) क्या इन्डेंटों को कोई अंश दे दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो जिलेवार कितनी मात्रा दी गई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ङ). मैसूर राज्य में खण्ड विकास के लिये आवश्यक इन्डेंटों की संख्या तथा मात्रा बताना संभव नहीं है क्योंकि सामान्यतः खण्ड विकास के लिये अपेक्षित इस्पात का आयोजन (प्लानिंग) स्टाक होल्डर्स के द्वारा किया जाता है। ये स्टाक होल्डर्स लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को इन्डेंट पेश करते समय कई पार्टियों से प्राप्त इन्डेंटों को एक साथ मिला देते हैं। यह बताना तब तक संभव नहीं है कि किसी खण्ड विकास का कोई इन्डेंट लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में लम्बित है जब तक स्टाक होल्डर्स के नाम, इन्डेंट संख्या तथा/अथवा कोटा प्रमाणपत्र की संख्या नहीं बताई जाये। जिलेवार इन्डेंटों की सांख्यिकी राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा नहीं रखी जाती है। विभिन्न खण्डों को दिये जाने वाले इस्पात की मात्रा राज्य सरकारों से उपलब्ध हो सकती है।

†मूल अंग्रेजी में

पुलिस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये विदेशी मुद्रा

†४०६. { **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५२ से १६६० तक विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भेजे गये पुलिस पदाधिकारियों के लिए राज्यवार, राज्यों को कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकार की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने १६५६ से १६६० के वर्षों में विदेशों में पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने के प्रयोजन से विदेशी मुद्रा की मांग की थी ; और

(ग) मैसूर राज्य समेत वर्षवार राज्यों के लिए स्वीकृत विदेशी मुद्रा कितनी थी तथा उन्होंने उसमें से व्यय कितनी की थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ग). जानकारी राज्य सरकारों से मांगी जायेगी और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) नवम्बर, १६५८ में मैसूर सरकार ने प्रार्थना की थी कि उनके पुलिस पदाधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाये । राज्य सरकार ने ऐसी प्रार्थना कई बार की है । परन्तु क्योंकि प्रशिक्षण को आवश्यक नहीं समझा गया इसलिए विदेशी मुद्रा सुविधायें स्वीकार नहीं की गई हैं ।

गुजरात में तेल का सर्वेक्षण

†४०७. { **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के वीरभागम क्षेत्र के भागों में कोई तेल अनुसंधान सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामों के व्यौरे क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) प्रारम्भिक भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किया गया है ।

(ख) इस क्षेत्र में 'सेडिमेंट्स' की मोटाई इतनी कम है कि वहां से तेल या गैस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकता ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

†४०८. { **श्री कालिका सिंह :**
श्री पांगरकर : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक ३१ दिसम्बर, १६६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३१८१ (आर्थिक कार्य विभाग) को जारी करने के कारण क्या थे, जिसके द्वारा ३१ दिसम्बर, १६६० को व्यापार बन्द होने पर पुनर्वास वित्त प्रशासन के विघटन का आदेश दिया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पुनर्वास वित्त प्रशासन पर इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ा ;

(ग) क्या इस प्रशासन के सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नियुक्त कर लिया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस विघटन के पश्चात् वक्फ सम्पत्ति अधिनियम के सम्बन्ध में निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम, १९५० के प्रशासन का कार्य सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय को सौंपने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा ऋण देने का काम काफी घट गया था, इसलिए सरकार ने ३१ दिसम्बर, १९६० को व्यापार समाप्त होने पर इसका विघटन कर दिया। इस प्रशासन की आस्तियों पर अब सरकार का अधिकार होगा और अभी तक न चुकाये गये ऋणों की वसूली का कार्य पुनर्वास वित्त प्रशासन एकक नाम के अधीनस्थ कार्यालय को सौंप दिया गया है, जिसका निर्माण वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९६० को मध्याह्न पश्चात् किया गया है।

(ग) और (घ). प्रशासन के उन सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने सरकार के अधीन वर्तमान शर्तों पर नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, पुनर्वास वित्त प्रशासन एकक में नियुक्त कर दिया गया है।

(ङ) इसका प्रशासन अथवा उसके विघटन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

नोटों का परिचालन

†४०९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९३९, १९४८, १९५१, १९५६ और १९५८ में ३१ दिसम्बर को जितने नोटों का परिचालन था, उसकी तुलना में ३१ दिसम्बर, १९६० को रिजर्व बैंक के निर्गमन विभाग के नोटों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और नोटों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) उपरोक्त वर्षों की उपरोक्त तिथि को, परिचालित किये गये नोटों के लिए रखी गयी विदेशी प्रतिभूतियों की राशि कितनी थी ; और प्रत्याभूति में कमी आने के क्या कारण हैं?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण **[परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६]** सभा-पटल पर रखा जाता है।

उड़ीसा में नये कालेज

†४१०. **श्री संगण्णा** : क्या **शिक्षा** मंत्री ८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नये कालेज खोलने और मौजूदा कालेजों में सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सहायता देने के वास्ते उड़ीसा सरकार की प्रार्थना के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है :

विवरण

शिक्षा सम्बन्धी कार्यकारी दल ने, जिसमें शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, योजना आयोग और राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, ४–५ नवम्बर, १९६० को हुई बैठक में राज्य सरकार की प्रस्थापनाओं पर विचार किया और नये कालेज खोलने और वर्तमान कालेजों में सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उपलब्ध होने वाली सहायता पर विचार करने के पश्चात् सिफारिश की कि उड़ीसा राज्य की शिक्षा सम्बन्धी तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में १४१·५० लाख रु० का परिव्यय शामिल किया जाये।

यह काम राज्य सरकार का है कि वह अपनी योजनाओं को तैयार करे और तीसरी योजना के लिए अपने लिए अन्तिम रूप से आवंटित निधि में से उन्हें क्रियान्वित करे।

विमान-पोत[1]

†४११. **श्री प्र० क० देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जलसेना द्वारा खरीदे गये विमान-पोतों को कब प्रयोग में लाना शुरू किया जायेगा ; और

(ख) विमान-पोत की खरीद और मरम्मत आदि पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) आई० एन० एस० विक्रान्त नामक विमान-पोत का प्रयोग औपचारिक रूप से बेलफास्ट में ४ मार्च, १९६१ को किया जाना निर्धारित किया गय है।

(ख) विमान-पोत की लागत आदि का व्योरा बताना जन-हित में नहीं है।

अंगहीन व्यक्तियों के लिये स्कूल

४१२. **श्री बाल्मीकी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लूले-लंगड़े, गूंगे, अन्धे तथा बहरों के कितने स्कूल प्रत्येक राज्य में चल रहे हैं ; और

(ख) उन पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले व्यय का व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मत्रा (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) इस समय जितनी सूचना मिल सकी है वह साथ के विवरण में दी जा रही है। **[देखिये परिशिष्ठ १, अनुबन्ध संख्या ६७]**।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही संभव होगा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Aircraft carrier.

हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर

४१३. श्री जगदीश अवस्थी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर स्थित हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी से सन् १९५९ में कितने नानगजेटेड कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए ;

(ख) क्या कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक सम्भावित निवृत्ति वेतन (पेन्शन) नहीं दी जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों को उन कारणों की सूचना दे दी गई है ;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ; और

(च) यदि हां, तो उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) पांच ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन में दो को अभी तक संभावित निवृत्ति वेतन नहीं दिया गया । इन में से एक अनुशासिक कार्यवाही से संबद्ध है, और अनुशासिक कार्यवाही के सम्पूर्ण होने से पहले उसे संभावित निवृत्ति वेतन देने का प्रश्न विचाराधीन है । दूसरे के मामले में, उसके, अस्थायी कर्मचारी के तौर पर सेवावधि के, निवृत्ति वेतन के लिए शुमार किए जाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) तथा (च). इन व्यक्तियों में से एक ने एक प्रतिवेदन भेजा है जिस पर विचार हो रहा है ।

पंजाब में तेल सर्वेक्षण

†**४१४. सरदार इकबाल सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में हिमालय की तलहटी के प्रदेशों में कुछ वर्ष पहले तेल सर्वेक्षण का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसके अन्तर्गत अब तक किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक प्रदेश के बारे में क्या जानकारी मिली है और उस से क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या आगामी कार्यक्रम तय किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री० के० दे० मालवीय) :** (क) होश्यारपुर, गुरदासपुर, कांगड़ा और अम्बाला जिलों के कुछ भागों में भूतत्वीय नक्शे तैयार किये गये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विस्तृत भूतत्वीय नक्शों में ८ उल्टे झुके हुए ढांचे का पता चला है जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका अन्वेषण गहरे छिद्रण द्वारा किया जाना चाहिए। इनमें से जनौरी नामक श्रृंखला पर एक परिक्षणात्मक कुंआ खोदा जा रहा है।

(ग) तलहटी के शेष भागों के भूतत्वीय नक्शे बनाने का काम जारी रखा जायेगा और चुने हुए क्षेत्रों में भूभौतिकीय जांच की जायेगी। छिद्रण का आगामी कार्यक्रम जनौरी के गहरे परीक्षणात्मक कुएं से प्राप्त होने वाली जानकारी पर निर्भर करता है।

पर्वतारोहण का प्रशिक्षण

†४१५. **श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पर्वतारोहण की शिक्षा देने के बारे में मंत्रालय का कोई नियमित पाठ्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो कब से, और उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या वायुसेना के कर्मचारियों को पर्वतारोहण का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इस प्रशिक्षण और अभ्यास के क्रियात्मक पाठ्यक्रम के लिए सामान्यतः हिमालय के किन भागों का उपयोग किया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पर्वतारोहण का कोई नियमित पाठ्यक्रम नहीं चलाया जाता। हिमालयन पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग, जो एक गैर-सरकारी पंजीबद्ध संस्था है और जिसे भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल की सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है, प्रति वर्ष पर्वतारोहण के बारे में ४ प्रारम्भिक और ४ उच्च पाठ्यक्रम चलाती है। सशस्त्र सेनाओं के चुने हुए कर्मचारी भी इन पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं।

(ख) हिमालयन पर्वतारोहण संस्था का पहला प्रारम्भिक पाठ्यक्रम नवम्बर १९५४ में शुरू किया गया था। अब तक संस्था ने २४ प्रारम्भिक और ६ उच्च पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है और ५१९ व्यक्तियों को प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में और ५० व्यक्तियों को उच्च पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया है। प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित ५१९ व्यक्तियों में से १५६ व्यक्ति सशस्त्र सेनाओं के हैं। उच्च पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित ५० व्यक्तियों में २५ सशस्त्र सेनाओं के हैं।

(ग) और (घ). जी नहीं। वायु सेना के कर्मचारी यदि अन्यथा अर्ह हों तो इस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश ले सकते हैं।

(ङ) सिक्किम क्षेत्र में चौरीकांग (१४,५०० फुट) और उसकी पड़ोसी चोटियों जैसे फ्रे, कोखतांग आदि का प्रयोग प्रशिक्षण के लिए किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

चीनी आक्रमण का कथित खतरा

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री खुशवक्त राय ने भूटान और सिक्किम की सीमा पर चीनी फौजों के जमाव और तिब्बत में अनिवार्य फौजी भर्ती होने की खबर के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उन्होंने आज के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नामक समाचार पत्र की प्रतिलिपि उपस्थित करते हुए उसमें प्रकाशित समाचार "चीन युद्ध के लिये तैयार" का उल्लेख किया है। वास्तविक स्थिति क्या है मैं यह जानना चाहूंगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: यह सूचना ग़लत है। सरकार निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकती कि तिब्बत में जगह जगह क्या हो रहा है। जहां तक हमारी सीमा का सम्बन्ध है, उसकी रक्षा का समुचित प्रबन्ध है।

†**श्री खुशवक्त राय** (खेरी): यह सूचना दार्जिलिंग से मिली है अतः हमारी सरकार को इस बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जो बात वास्तव में नहीं है भला उसके बारे में हम किस प्रकार जानकारी रख सकते हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि यहां स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। और माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं। अभी हाल में महाराजा भूटान, उनके प्रधान मन्त्री, और उनके दीवान यहां आये थे और किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सम्वाददाता को यह समाचार दार्जिलिंग से किस प्रकार प्राप्त हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड की वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २६५२/६१]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गईं अधिसूचनाएं

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: मैं (१) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४१५।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४१६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ऐल० टी० २५४१/६१]

(२) मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक १७ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४८५ ।

(ख) दिनांक २४ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४९८ ।

(ग) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ७ ।

(घ) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८ ।

(ङ) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ४० ।

(च) दिनांक २१ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ७९ ।

(छ) दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६५३/६१]

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १७ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४८६ ।

(ख) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५२९ ।

(ग) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की जी० एल० आर० संख्या ३९ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६५४/६१]

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १० जिसमें दिनांक ११ जून, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ६३७ का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(ख) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या, जी० एस० आर० ४२ में प्रकाशित भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक २१ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८१ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु और निवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, १९६१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६५५/६१]

समुद्र शुल्क सीमा अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, नमक अधिनियम, औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, व्ययकर अधिनियम और उपहार-कर अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं

†राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात, प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने व ली निम्न-लिखित अधिसूचानाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २४ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५०९।

(ख) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५३२।

(ग) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११।

(घ) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ६०।

(ङ) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ६१।

(च) दिनांक १४ जनवरी १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ६३।

(छ) दिनांक २१ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८८।

(ज) दिनांक २८ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११३।

(झ) दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३४।

(ञ) दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३६।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २६५६/६१]

(२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ७ जनवरी, ११६१ की जी० एस० आर० संख्या १९।

(ख) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ५५।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २६५७/६१]

(३) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २४ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५०८।

(ख) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५३७।

(ग) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५३८।

(घ) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५३९।

(ङ) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५।

(च) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ५९।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २६५८/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

निम्नलिखित :—

(क) औषधीय सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी एस० आर० संख्या १२ ।

(ख) दिनांक २८ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११४ जिसमें क्रमशः दिनांक ३ सितम्बर, १९६० और २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १००५ और १२५६ के शुद्धिपत्र दिये हुये हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६५९/६१].

(५) व्यय कर अधिनियम १९५७ की धारा ४१ के अन्तर्गत दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९ में प्रकाशित व्यय कर (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६६०/६१]

(६) उपहार कर अधिनियम, १९५८ की धारा ४६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६० में प्रकाशित उपहार कर (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २६६१/६१]

प्राक्कलन समिति

एक सौ तीनवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा (बंगलौर)** : मैं इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोकसभा) के बाईसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ तीनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में श्री भक्त दर्शन द्वारा २० फरवरी, १९६१ को प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री विश्वानाथ रेड्डी (राजमपेट)** : राष्ट्रीय एकता के तीन अत्यावश्यक तत्व अर्थात् इतिहास, संस्कृति और जातियों की रुचि बहुमात्रा में हमारे यहां उपलब्ध है । लेकिन फिर भी हमारे देश में यह भावना बड़े जोर से फैल रही है कि यदि अब स्थिति ठीक दशा में अग्रसर न हुई तो बहुत जल्दी ही हमारे यहां एकता छिन्न भिन्न हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमें इस भावना के पीछे क्या कारण है उस का अध्ययन करना चाहिये। अनुशासन व्यक्तियों के गुणों पर इतना निर्भर नहीं करता जितना कि उसकी आदतों पर निर्भर करता है। आज विश्व के सभी बड़े बड़े राष्ट्र अपने नागरिकों में अनुशासन लाने के लिये बड़े बड़े कार्यक्रम बना रहे हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि इस समय राष्ट्रीय पुनः निर्माण और राष्ट्र सेवा के एक कार्यक्रम की आवश्यकता है। इस पर चाहे जितना भी खर्च क्यों न हो ऐसा एक कार्यक्रम लागू अवश्य किया जाना चाहिये।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में देश में पंचायती राज का उल्लेख किया है। ऐसी आशा है कि सत्ता की पंचायती समितियों तथा परिषदों में विकेन्द्रीकरण करने का कार्य १९६१ के अन्त तक पूरा हो जायेगा। यह व्यवस्था हमारे लिये कोई नई नहीं है क्योंकि यह प्रथा हमारे यहां ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व की थी। भूतकाल के इतिहास को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रशासन की यह व्यवस्था बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हुई है। पंचायती प्रथा से गांव वालों में आत्म-विश्वास की भावना बढ़ती है। अतः विभिन्न राज्यों में पंचायत राज की स्थापना का स्वागत किया जाना चाहिये। लेकिन इस में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिये। विभिन्न योजनाओं को स्वीकार करने के काम का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। इस की एकमात्र शक्ति सचिवालय में ही केन्द्रित नहीं रहनी चाहिये। निचले स्तर की लोक प्रिय संस्थाओं को स्वयं अपनी योजनाओं पर मंजूरी देने की शक्ति मिलनी चाहिये।

तेल की खोज के बारे में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। लेकिन अब हम देखते हैं कि तेल की खोज सम्बन्धी कार्य के बारे में सरकार की नीति में परिवर्तन हो गया है। तेल के मामले में आत्मनिर्भर होने की अपनी धुन में सरकार तेल की खोज का कार्य गैर-सरकारी उपक्रमों के सुपुर्द करती रही है। लेकिन इस बात की सावधानी बरतनी चाहिये कि इस मामले में राष्ट्रों के हितों को किसी प्रकार का आघात न पहुंचे।

श्री महन्ती (ढेंकनाल) : राष्ट्रपति का अभिभाषण एक औपचारिक कार्यवाही के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। साथ ही यह नीरस भी था। इसमें उन समस्याओं को स्पष्ट नहीं किया गया जिनका देश को सामना करना पड़ रहा है और न उन समस्याओं को हल करने के कुछ उपाय ही सुझाये गये हैं। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को ही अधिक महत्व दिया है। यह बड़े खेद का विषय है कि उन्होंने अपने अभिभाषण में श्री लुमुम्बा की हत्या का उल्लेख ही नहीं किया। भारत कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिल कर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, फिर भी यह समझ में नहीं आया कि अभिभाषण में क्यों इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इस से पहले कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कर्तव्य पालन में इतनी बुरी तरह असफल नहीं रहा था जितना वह कांगों के मामले में हुआ है। मैं प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में श्री लुमुम्बा की मृत्यु का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है।

गोआ के बारे में कुछ अधिक नहीं कहा गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है जब सरकार को सभा को यह बताना चाहिये कि गोआ को मुक्त कराने के लिये सरकार क्या करने जा रही है। पता नहीं जो आर्थिक कार्यवाहियां की गई थीं उन्हें किन कारणों से वापस ले लिया गया है।

पाकिस्तान से हमारे जो सम्बन्ध हैं हम उन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान से मित्रता बनाये रखने के लिये जो अब भी सन्देहास्पद है, भारत ने भारी कीमत अदा की है। उन की

मित्रता खरीदी नहीं जा सकती। प्रेसीडेन्ट अयूब ने जबलपुर की घटना को लेकर भारत की तुलना कांगों से की है। उन का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन की दोस्ती खुशामद से हासिल नहीं की जा सकती।

यह तो ठीक है कि इंगलैंड की महारानी एक विशिष्ट महिला हैं। लेकिन यह अच्छा नहीं है कि उन की इस देश की यात्रा पर करोड़ों रुपये बहाये गये हैं। अखबारों में प्रकाशित समाचारों से पता चलता है कि उन की यात्रा समारोह आदि पर कुल मिला कर २५ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। साथ ही मेरा निवेदन है कि गणतन्त्र दिवस पर राष्ट्रपति के साथ उन की सवारी निकालना उचित नहीं था।

आर्थिक पहलू को दृष्टिगत रख कर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कपड़ा तथा दैनिक आवश्यतकाओं का मूल्य निरन्तर बढ़ रहा है। कपड़ा आजकल छपे हुए दामों की अपेक्षा १५ प्रतिशत अधिक दाम पर बिक रहा है। लेकिन अभिभाषण में यह कहा गया है कि हम वस्तुओं का मूल्य निम्नस्तर पर लाने में समर्थ हुए हैं। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि मूल्य जब एक बार बढ़ जाते हैं तो फिर नीचे नहीं आते। अतः हम इस बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि हमारी कृषि अर्थ व्यवस्था में सुधार हो रहा है। तब फिर कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि की रफ्तार घट क्यों रही है? हमें बताया जा रहा है कि कृषीय उत्पादों के मूल्य सारे देश में गिर रहे हैं। तब फिर निर्वाह-व्यय क्यों बढ़ता जा रहा है, सामान्य मूल्य-स्तर क्यों दिन-दिन बढ़ता जा रहा है?

मैं इसलिये पूछता हूं कि पिछली बार मूल्य देशनांकों और निर्वाह-व्यय की वृद्धि का कारण यही बताया गया था कि कृषीय उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई थी। लेकिन इस बार तो वैसा नहीं हुआ कारण शायद यही है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर सट्टेबाज छाये हुए हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार मूल्य-नीति के बारे में क्या करने जा रही है। सरकार ने बार बार कहा है कि वह सभी महत्वपूर्ण स्तरों पर नियंत्रण कर के मूल्यों में स्थिरता लायेगी। लेकिन अभी तक सामने कुछ भी नहीं आया।

हमारे देश की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से निराशाजनक, आर्थिक दृष्टि से भ्रामक और राष्ट्रीय दृष्टि से फूटवादी शक्तियों और प्रवृत्तियों का अखाड़ा बनी हुई है। हमारे देश में एकता की जगह फूटवाद का बोलबाला क्यों हुआ? इस का मुख्य कारण यही है कि कांग्रेस दल में आन्तरिक फूट और झगड़े चल रहे हैं। उसी के परिणामस्वरूप, उड़ीसा की विधि सम्पन्न सरकार की हत्या हुई है। अब उत्तर प्रदेश में भी इसी की पुनरावृत्ति होने जा रही है। इस लिये राष्ट्रीय फूट और दल बन्दी की जिम्मेदारी साम्प्रदायिक तत्वों पर कम और कांग्रेस दल पर ज्यादा है। कांग्रेस दल को अपना हृदय टटोल कर देखना चाहिये।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): राष्ट्रपति के अभिभाषण में नेपाल का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे प्रधान मंत्री ने कुछ समय पहले एक वक्तव्य दिया था कि नेपाल में लोकतन्त्र पर कुठाराघात हुआ है। लेकिन उस के सम्बन्ध में कुछ किया भी तो जाना चाहिये। वहां की जनता ने इतने कठिन और लम्बे संघर्ष के बाद नेपाल से सामन्तशाही निरंकुशता को उखाड़ पाया था। लेकिन अब वहां की संसद् भंग कर दी गई है।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: अभी तक हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण थे। इसलिये वहां के महाराजा के कार्यों की इस प्रकार आलोचना करते जाना उचित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : नेपाल हमारा एक पड़ौसी देश है, इसलिये वहां होने वाली घटनाओं को हम अनदेखा नहीं कर सकते। मैं कह रहा था कि नेपाल में लोकतन्त्र की हत्या की गई है। नेपाल के प्रधान मंत्री तक को नजरबन्द कर लिया गया है। हमारी सरकार को कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिये, जिस से उस पर प्रभाव डाला जा सके और वहां लोकतांत्रिक सरकार को फिर से प्रतिष्ठित किया जा सके। नेपाल की जनता इस के लिये संघर्ष कर रही है, और हमें उसके साथ पूर्ण सहानुभूति है।

हमारे लिये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भूटान और सिक्किम के शासक हमारे देश में आये थे। भूटान को उस के विकास के लिये और अधिक सहायता दी जानी चाहिये, जिस से भूटान और भारत की एकता और भी अधिक सुदृढ़ हो सके। लेकिन साथ ही, हमारी सरकार को अपने प्रभाव का इस्तैमाल कर के सिक्किम की प्रशासकीय व्यवस्था में कुछ ऐसे सुधार कराने चाहियें, जिन से वहां की जनता को पूर्ण संतोष हो सके। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिक्किम के महाराजा के भारत के दौरे के समय उन के साथ इस विषय में कोई वार्ता हुई थी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के अन्तिम भाग में कहा गया है कि "राष्ट्र की समस्त जनता के सामाजिक कल्याण की एक सूत्रता, जनतन्त्रात्मक और समाजवाद मूल्य समाज के संगठन की ओर ऐसी प्रगति जिस में परिवर्तन सामयिक हो और उन्नति आत्मचलित हो—हमारा लक्ष्य है, जिस को हमें शान्तिपूर्वक और लोगों की सहमति से प्राप्त करना है।" अच्छा तो यह होता कि अभिभाषण में हम बताया जाता कि इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है। सरकार इस नीति को कहां तक आगे बढ़ाने में सफल हो सकी है।

देश में लोकतांत्रिक स्थायित्व पैदा करने का श्रेय देश की जनता को है, भारत सरकार को नहीं। गांधी जी ने हमारी जनता को अलोकतांत्रिक नीति का विरोध करना सिखाया है। भारत सरकार की नीति और निर्णय संकीर्ण दलगत दृष्टिकोण से तय किये जाते हैं, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं। इसीलिये देश में फूटपरस्ती बढ़ती जा रही है। कांग्रेस दल के संगठन में फूट का बोल बाला है। उड़ीसा का उदाहरण हमारे सामने है। कांग्रेस दल संविधान की व्यवस्थाओं की कोई भी परवाह किये बिना, उन के विरुद्ध आचरण करता है अपने दल को सत्तारूढ़ बनाने के लिये। संसद् को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिये।

देश में इतनी फूट क्यों है। भाषा वार राज्यों के बारे में जो भी निर्णय किया गया है, उस में जनता की इच्छा का कोई ध्यान नहीं रखा गया। वह भी दलगत दृष्टिकोण से ही किया गया। बम्बई राज्य को अलग करने का निर्णय भी जनता की इच्छा के कारण राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं किया गया। वह निर्णय तभी हुआ जब भूतपूर्व बम्बई राज्य की जनता ने कांग्रेस दल को अल्पसंख्यक बना दिया था। अब पंजाबी सूबे का प्रश्न सामने आ रहा है। सरकार उसे भी स्वीकार करेगी ? क्या सरकार भाषा के आधार पर देश के खंड बनाने का सिद्धान्त मानती है ? इस सम्बन्ध में कोई एक निर्णय किया जाना चाहिये।

सीमा समस्याओं के बारे में राष्ट्रपति ने कहा है कि जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाना चाहिये। इस के लिये ज़ोनीय परिषदों की स्थापना की गई थी लेकिन वे इन समस्याओं का कोई हल नहीं निकाल सकीं। इन समस्याओं का मात्र हल यही है कि स्थानीय जनता की इच्छाओं के आधार पर, भाषावार विभाजन किया जाये और उस की इकाई गांव को माना जाये।

यदि इन समस्याओं का हल न किया गया तो, आसाम जैसी व्यवस्था सभी राज्यों में फैल सकती है। भाषाई अल्पसंख्या आयुक्त के प्रतिवेदनों से स्पष्ट हो जाता है कि कई राज्यों ने भाषाई अल्पसख्यकों की समस्या की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है। कोई उन की बात सुनता ही नहीं। इस समस्या की ओर अधिक उपेक्षा करना खतरनाक होगा।

सरकार ने अभी तक भी भाषा के प्रश्न के बारे में एक निश्चित नीति नहीं अपनाई है। इसी कारण, देश की एकता छिन्न भिन्न हो रही है।

म नागा राज्य के निर्माण का स्वागत करता हूं, पर सरकार मनीपुर जैसे पर्वतीय राज्यों के बारे में क्या करने जा रही है ?

सरकार जिस समाजवादी समाज की बातें करती है, उस की कोई भी एक निश्चित परिभाषा नहीं है। डा० राव जैसे अर्थ शास्त्री तक ने कहा है कि तृतीय योजना के पीछे कोई एक विचारधारा नहीं है। और हमारी कृषीय नीति कुछ ऐसी रही है कि देहाती और शहरी जनता के बीच की असमानता और ज्यादा बढ़ती जा रही है।

आश्चर्य की बात है कि इस अभिभाषण में सहकारी खेती का कोई भी उल्लेख नहीं है। राज्य-व्यापार की नीति भी अभी सिर्फ कागजी है।

अभी तक कृषीय और औद्योगिक क्षेत्रों की सारी शक्ति चन्द लोगों ही के हाथों में केन्द्रित है। इसे समाजवाद का सूचक तो नहीं माना जा सकता।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर प्रकाश डाला, हमें उन प्रश्नों पर विचार करने का जो मौका दिया है, उस के लिये हम सब उनके उपकृत हैं, और इस के सम्बन्ध में हमारे मित्र माननीय श्री भक्त दर्शन जी ने जो प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित किया है, उस का समर्थन करते हैं।

विश्व के रंगमंच पर आज जो एक दुखान्त नाटक कांगो में खेला जा रहा है उसकी तरफ आज सारे मानव समाज का ध्यान है। राजनैतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय अनैतिकता कितनी हद तक बढ़ सकती है, कांगो इस का प्रमाण है। कांगो में साम्राज्यवादी देशों ने और संसार के अन्दर राजनैतिक क्षेत्र में जो दो गुट बने हुए हैं उन गुटों के देशों ने जो पार्ट प्ले किया है, वह किसी तरह से सम्मान-जनक नहीं ठहराया जा सकता। वहां जिस तरह से लुमुम्बा की हत्या की गई है वह निन्दनीय है। बावजूद संयुक्त राष्ट्र की सेना के मौजूद होते हुए, जिस पर हमने और सारी मानव जाति ने विश्वास कर रक्खा है कि उसके द्वारा बड़े बड़े राष्ट्रों के पंजों से छोटे राष्ट्रों को बचाया जायेगा और आपसी झगड़ों को समझौतों द्वारा हल किया जायेगा, मि० लुमुम्बा की हत्या नहीं रोकी जा सकी। यह हमारे लिये और संयुक्त राष्ट्र के लिए शर्मनाक बात है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कुछ राष्ट्रों की सेना लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि वहां इसलिये भेजे गये कि वहां शान्ति कायम हो, गृह युद्ध आगे न बढ़े। लेकिन उसके पीछे जो काम करने वाली शक्ति है उसने दबाव देकर, या वैसे समझा बुझा कर, जो यूनाइटेड नेशन्स के सेक्रेटरी जनरल हैं उनको इस बात के लिये राजी किया कि उन्हें कांगो के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इस बात का सहारा लेकर यूनाइटेड नेशन्स ने, जिसके ऊपर हमारा इतना विश्वास है और जिसको शक्तिशाली बनाने के लिये न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों के लोग भी अपनी शक्ति लगा रहे हैं, गृह कार्यों में हस्तक्षेप न करने के बहाने से मि० लुमुम्बा की हत्या होने दी। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस दुखान्त नाटक का कब अन्त होगा। यद्यपि सिक्योरिटी कौंसिल की बैठक बार बार होती है, बार बार भाषण होते हैं और बहुत से अच्छे विचार वाले देश इस बात की खोज में हैं कि किसी बात पर अधिक से अधिक एकमत हो सकें, फिर भी कांगो की समस्या का हल होता नहीं दिखता है।

जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा, हमारे राष्ट्रपति ने क्यों नहीं श्री लुमुम्बा की हत्या का जिक्र अपने अभिभाषण में किया। मेरे ख्याल से इस बात का जिक्र उसमें होना चाहिये था। जहां

[श्री श्रीनारायण दास]

उन्होंने कांगो की स्थिति का वर्णन किया है और यह कहा है कि कांगो से किन किन समस्याओं का सम्बन्ध है, वहां इस अभिभाषण में इस बात का जिक्र न होना उचित नहीं है जबकि हमारे प्रधान मंत्री भी बराबर इस बात पर जोर देते हैं और उन्होंने श्री लुमुम्बा की हत्या की घोर निन्दा की है। ऐसे अवसर पर इस संसद के सामने हमारे राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं और उसमें इस बात का जिक्र नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह हमारी गवर्नमेंट के लिये कुछ प्रशंसा की बात नहीं है। मैं इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र का सारा अस्तित्व कांगो को लेकर खतरे में है। कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि भेजा गया, उस की तरफ से कुछ फौजें भेजी गईं, लेकिन फिर भी वहां शान्ति नजर नहीं आती है। न केवल श्री लुमुम्बा, बल्कि उनके समर्थकों की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिनिधि वहां हैं या जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो फौज वहां हैं, वह उनकी हिफाजत नहीं कर सकी। मैं समझता हूं कि जो हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति है, कांगो के सम्बन्ध में भारत सरकार ने जो अपनी नीति प्रदर्शित की है, वह प्रशंसाजनक है, लेकिन प्रशंसाजनक होते हुए भी जो हमारी नीति है वह सफल नहीं हो रही है। वह क्यों सफल नहीं हो रही है, इस बात की विवेचना हमें करनी चाहिये।

आज संयुक्त राष्ट्र में जो दो प्रभावशाली गुट हैं, उन दोनों गुटों के कारण संयुक्त राष्ट्र ठीक से काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह जो संस्था है वह दोनों गुटों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती है। इसलिये मेरा खयाल है कि इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि जहां तक संयुक्त राष्ट्र के संगठन का ताल्लुक है, उसका फिर से निर्माण किया जाये। उसकी जो बनावट है उसमें परिवर्तन होना चाहिये, लेकिन जब भी यह सवाल उठता है तो हमारे प्रधान मंत्री यह अक्सर कह दिया करते हैं कि अभी समय नहीं आया है और इसलिये इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर संयुक्तराष्ट्र को क्रियाशील होना है और बड़े बड़े राष्ट्रों के पंजों से उसे छोटे राष्ट्रों को बचाना है, तो संयुक्त राष्ट्र की बनावट में परिवर्तन होना चाहिये और संयुक्त राष्ट्र एफेक्टिव हो सके इसके लिये प्रयत्न होना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर जिस समस्या से हमारा बहुत गहरा सम्बन्ध है वह चीन की है। यह बात सही है कि अब तक हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की है वह बहुत हद तक ठीक रास्ते पर है, चीन ने हमारे मुल्क के बहुत बड़े हिस्से पर दखल कर लिया है, हमें उसे खाली कराना है। यह बात सही है कि जिस हिस्से पर उसने दखल किया है वह ऐसा है जहां आदमी नहीं रहते, जहां प्रशासन का कोई काम नहीं है, फिर भी मैं समझता हूं कि हमारी लापरवाही का नाजायज फायदा उठा कर हमारे पड़ौसी मित्र ने, जो उस समय हमसे मित्रता करना चाहता था, हमारी पीठ में छुरा भौंक कर हमारे देश के हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस अभिभाषण के अन्दर जो नीति निर्धारित की गई है वह सही है लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए दुःख होता है कि उसके पांचवें पैराग्राफ में चीन की सीमा के सम्बन्ध में जो वाक्य लिखा गया है वह हिन्दुस्तान की नीति का पूरा परिचायक नहीं है। हिन्दुस्तान की सरकार अब चीन को अपने देश में घुसने नहीं देगी और इसके लिये वह पूरी तैयारी सामरिक दृष्टि से कर रही है। जब भी हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हिन्दुस्तान की जनता हमसे पूछती है कि जिस क्षेत्र पर चीन ने दखल कर लिया है उस से उसको हटाने के लिये भारत सरकार क्या करती है। हम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत सरकार से पहले चाहे कुछ भी भूल चूक हुई हो, लेकिन अब वह इस बात के लिये सतर्क हैं कि हमारे देश में चीन कहीं भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल सुरक्षा की तयारी करना ही हमारे

लिये काफी नहीं है। हम को सुरक्षा की तैयारी तो करनी ही चाहिये ताकि चीन एक इंच भी आगे न बढ़ सके। हमको केवल सुरक्षा की तैयारी ही नहीं करनी चाहिये लेकिन जिस इलाके पर उसने कब्जा कर लिया है उससे उसको हटाने की तैयारी भी हमको करनी चाहिये। वह समय कब आएगा और कैसे आयेगा। इसका निर्णय तो सरकार ही करेगी। पर सरकार से अनुरोध है कि वह इस तरफ शीघ्र प्रयत्न करे। यह सही है कि सैनिक क्षेत्र में तैयारी के सम्बन्ध में सारी बातें संसद में नहीं बतलाई जा सकतीं। इसके बारे में अभिभाषण में कहा गया है :

> "मेरी सरकार को आशा है कि चीन वर्तमान अनिच्छा अथवा दुराग्रह के बावजूद शीघ्र ही उन सीमाओं के बारे में, जो हमारे और उसके बीच सांझी हैं, हमारे देश के साथ संतोषजनक समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो वाक्य है यह हमारी जनता के हृदय में जो बात अंकित है उसके अनुकूल नहीं है। जनता यह चाहती है कि हम कहें कि जिस हमारे प्रदेश पर चीन ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है उससे वह समझौते से अगर नहीं हटता तो हम उसको उस क्षेत्र से निकाल बाहर करेंगे। अगर सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है तो उसे कहना चाहिये कि अगर समझौते से हो सकेगा तो समझौते से और अगर समझौते से नहीं हो सकेगा तो किसी दूसरे ढंग से हम चीनियों को अपने देश के उस भाग से जिस पर उसने कब्जा कर लिया है निकाल देंगे।

मुझे इस बात की खुशी है कि लाओस के सम्बन्ध में भारत सरकार की जो नीति रही है वह समझौते की नीति है। वहां भी शान्ति कायम करने की नीति रही है। अभी हाल में वहां के राजा ने प्रस्ताव रखा है कि तीन देशों का कमिशन बनाया जाये जो वहां जाकर स्थिति को देखे। लाओस किसी भी गुट में शामिल होने के लिये तैयार नहीं है, वह केवल शान्ति चाहता है, न वह किसी देश के लिये खतरा है और न वह किसी देश को अपने देश के अधीन लाना चाहता है। मैं समझता हूं कि भारत को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये और उसका समर्थन करना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि इस तरह का कमिशन शीघ्र बन जाए।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि योजना के अन्तर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है और अब तक हमने इस दिशा में जो कुछ कर पाया है वह प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, और भी क्षेत्रों में हम बड़े बड़े कारखाने खोल रहे हैं, देश की सम्पत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहां की पुरानी गरीबी की रीढ़ नहीं टूटी है। मैं समझता हूं कि इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम ११ वर्ष से अपने देश की गाढ़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज ले ले कर बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिये खर्च कर रहे हैं, और देश में धन भी पैदा हो रहा है, जो कि खुशी की बात है, लेकिन फिर भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? मैं समझता हूं कि यह सोचने की बात है।

यह सही है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं लेकिन समाजवाद के रास्ते पर भी ठीक ठीक चलें तो भी हम यह अन्दाजा नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। यह सही है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहां जाता है। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी की रीढ़ नहीं टूट पा रही है। गरीबों को खाने के लिये अन्न नहीं मिलता, पहनने के लिये कपड़ा नहीं मिलता। इसका क्या कारण है, यह गम्भीरतापूर्वक सोचने की बात है।

[श्री श्रीनारायण दास]

यह समस्या केवल समाजवाद के ढांचे वाला प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी। और न योजनापूर्वक बड़े-बड़े कारखाने खोलने से हल होगी। यह आवश्यक है कि बड़े बड़े कारखाने खोले जायें, इस्पात के कारखाने खोले जाएं, इस्पात का उत्पादन बढ़े, लोहे का उत्पादन बढ़े, कोयले का उत्पादन बढ़े, यह जरूरी है। लेकिन सरकार को इस बात को सोचने की जरूरत है कि क्या कारण है कि इतना उत्पादन बढ़ते हुए भी देश के जो असली गरीब हैं, जो खेतों में काम करने वाले खेतिहर मजदूर हैं, जो गांवों के लोग हैं, उनकी दशा में क्यों सुधार नहीं हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिये। यह बात सही है कि हाल में इस बात की जांच करने के लिये एक कमेटी बिठाई गई है। उसके सुपुर्द यह काम किया गया है कि वह पता लगाए कि देश में जो धन पैदा हो रहा है वह देश के किस वर्ग की जेब में जा रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें केवल इस कमेटी पर, जो कि कई वर्ष में अपनी रिपोर्ट करेगी, भरोसा कर के नहीं बैठे रहना चाहिये। सरकार को सोचना चाहिये कि हमारी अर्थ व्यवस्था में तो कोई दोष नहीं है। यह सही है कि हमने समाजवादी पद्धति अपनायी है और योजना कमीशन भी है जो कि देश के विकास को देखता है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमारी अर्थ-व्यवस्था है उसमें कुछ ऐसी कमी है जिससे देश में धन पैदा होते हुए भी उस धन का लाभ जिन लोगों को पहुंचना चाहिए था उनको नहीं पहुंच पाता।

एक प्रोफेसर हैं जिन्हों ने इगलैंड में इस बात की जांच की है कि देश के अन्दर औद्योगीकरण में जो पूंजी लगाई जाती है जो समाज का सब से नीचे का तबका है उस को उस पूंजी का लाभ कितने वर्षों में पहुच पाता है। उन का अनुमान है कि औद्योगीकरण का प्रभाव जो समाज का सब से नीचे का तबका है उस तक सौ वर्षों में पहुंचताहै। यह बात तो एक पूंजीवादी देश की हुई। हो सकता है कि समाजवादी देश में यह प्रभाव कुछ जल्दी पड़े लेकिन हम देखते हैं कि बमुकाबले अमरीका के रूस में, जोकि साम्यवादी देश है, अभी भी साधारण स्तर के लोगों का जीवन स्तर अमरीका से कम है। उन का जीवन स्तर इंगलैंड और दूसरे पूंजीवादी देशों से भी कम है। तो हम देखते हैं कि पूंजीवादी देशों में एक तरफ सम्पन्न वर्ग है तो दूसरी तरफ गरीब तबका है और इसी तरह साम्यवादी देश में भी जो नीचे के तबके के लोग हैं उन का जीवन स्तर अभी पूरी तरह नहीं सुधर पाया है। मैं समझता हूं कि हम को हिन्दुस्तान में जांच करनी चाहिये कि क्या हम को अपनी अर्थ-व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन करना जरूरी है कि जिस से जो हम हजारों अरब रुपया लगा कर जो देश में धन पैदा करते हैं उस का लाभ देश के गरीब लोगों को भी पहुंच सके। मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसी कमेटी बनाई जाय जोकि इस बात पर विचार करे कि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था में क्या परिवर्तन करें कि जिस से देश के जो नीचे से नीचे तबके के लोग हैं उन की दशा में सुधार हो।

उपाध्यक्ष महोदय आप ने घंटी बजा दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दूसरी भी बजाने वाला हूं।

श्री श्रीनारायण दास : आप को धन्यवाद।

ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर (अमृतसर) : डिप्टी स्पीकर साहब, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण होते आज तीसरा दिन है। बहुतसी बातें मेम्बर साहिबान ने कह दी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी बात को दुहराऊं न।

राष्ट्रपति ने तरक्की के प्लानों का जहां जिक्र किया है वहां उन्हों ने यह विश्वास प्रकट किया है कि हमारी आमदनी कहीं न कहीं बढ़ रही है । इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुतवस्त दरजे के जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री का काम या दूसरे धन्धे करते हैं, या छोटे लोग हैं, उन की हालत में मेरे खयाल में तरक्की नहीं हुई है, बल्कि वह बुरी हो रही है । मैं आप के सामने पंजाब की मिसाल रखना चाहता हूं । पंजाब के अन्दर बहुत से लोग थोड़े थोड़े सरमाये से स्माल स्केल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और थोड़ा थोड़ा काम करते हैं । मसलन लुधियाना वालों ने बड़ा काम किया । उन्हों ने अपने वहां होजरी, सुईंग मशीन्स वगैरह की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाईं । वे छोट छोटे धंधे करते हैं थोड़ा ही उन का सरमाया होता है और वे लोग खुद मेहनत करते हैं और अपनी उन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं ।

अब मिसाल की तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अमृतसर में जो स्मॉल स्केल वूलेन मैनुफैक्चरर्स हैं उन के पास ४, ४ लूम्स हैं मगर इन दिनों उन को बड़ी दिक्कत पेश आ रही है । सारे हिन्दुस्तान भर में बड़े बड़े मोनोपलिस्टस जोकि स्पिनिंग करते हैं करीब २० के होंगे । ८ करोड़ रुपया उन को लाइसेंस वगैरह से मिलता है । अभी पिछले दिनों जब मैं अपने हलके अमृतसर में गया था तो मुझे यह बतलाया गया कि उन्हों ने अपना यार्न धागा जोकि वे ७ रुपये और ५ पैसे प्रति पौंड में खरीदा है उस को वह काफी महंगा बेचते हैं और वह उसी यार्न को साढ़े १५ रुपये प्रति पौंड के हिसाब से बेचते हैं अब जाहिर है कि वह हमारे छोटे छोटे धंधे वाले इतना महंगा खरीदेंगे तो वे अपना काम नहीं चला सकेंगे । वे अपना काम एक तरह से ठप्प करने पर मजबूर हो गये हैं ।

यहां हिन्दुस्तान भर में यह स्मॉल स्केल वूलेन मैनुफैक्चरर्स की २७१ के करीब यूनिट्स हैं जिन में से कि २५० के करीब सिर्फ अमृतसर में हैं । वे सारे के सारे ही इस तंगी की वजह से अपना काम बन्द करने वाले हैं । उन्हों ने एक तरीके से अपना अपना काम बन्द करने का फैसला कर लिया है और उन के पास जो मजदूर वगैरह काम करने वाले लोग हैं उन को नोटिस दे दिया है कि २४ तारीख से हम अपना सब कामकाज बंद कर रहे हैं । ऐसा उन्हें सिर्फ इस वजह से मजबूरन करना पड़ रहा है कि अपने ही जो थोड़े से मोनोपोलिस्ट्स हैं वह उन के साथ हमदर्दाना बर्ताव नहीं कर रहे हैं और उन के धंधे को चालू रखने का कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं और इस मौके पर मुझे फारसी का एक शेर याद आता है :—

"मनअज़ बेगानगां हरगिज़ न नालम् कि बामन् आंचे कर्द आ आशना करद"

मैं बेगानों से तो इतना तंग नहीं हूं मगर जो कुछ भी मेरे साथ सलूक हो रहा है वह अपनों की तरफ से हो रहा है । इसलिये सब से पहले मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता था ।

दूसरी बात जिस की कि पार्लियामेंट के इस इजलास में पिछले दो दिन से बहुत चर्चा हुई है वह हमारी इंटरनेशनल पालिसी की बात है । हमारे राष्ट्रपति जी ने भी जो ३९ पैराज़ का अपना भाषण दिया है उस में पहले २० पैराज़ में इसी बाहर की जो सिचुएशन है उस का जिक्र किया है । यह तसल्ली की बात है कि हिन्दुस्तान भर की जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, कम्युनल पार्टीज़ की मैं बात नहीं करता क्योंकि उन का नुक्तेनज़र तंग होता है, मगर जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हों ने हमारी वैदेशिक नीति का समर्थन किया है । हमारी जो वैदेशिक पालिसी है वह सही लाइन्स पर है और यह हमारे प्रधान मंत्री जी की पालिसी एक आलमगीर पालिसी है ।

कांगो का जिक्र बारबार आया है । अफ्रीका की दूसरी स्टेट्स जो अभी आजाद हुई हैं उन का जिक्र आया है और उन सारे मामलात में और कांगो के मामले में मैं ने खास तौर से देखा है कि जितनी भी पोलिटिकटल पार्टीज़ हैं उन्होंने हिन्द सरकार की पालिसी का समर्थन किया है । इसमें जरा भी शक नहीं है कि हिन्दुस्तान की जनता में और अवाम में भी हमारी सरकार की विदेशी पालिसी को

[ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर]

हिमायत हासिल है। यहां मलिका एलिजबेथ का इतना स्वागत होना और लोगों का उस में शरीक होना इस बात का सबूत है कि हमारी जो विदेशी पालिसी है उस को पसन्द किया जाता है।

हमारी जो यह लड़ाई न करने की पालिसी थी और बातचीत के जरिये सब मामलों और झगड़ों का निबटारा करने की जो पालिसी थी और है उस में हमें यह बड़ी चिन्ता रहती थी और हमें कुछ इस में शर्म भी महसूस होती थी कि हमारा जो यह पड़ौसी मुल्क पाकिस्तान है उस के साथ हमारी खटपट उसी तरीके से जारी है। दूसरी इस्लामी सलतनतों के साथ और दूसरी दूर दूर की सारी सलतनतों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं लेकिन बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं। इस दफे यह भी एक तसल्ली की बात है कि पाकिस्तान से भी जो हमारी बातचीत हुई वह सफल रही है और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस बात को जाहिर कर दिया, यकीन दिला दिया कि बावजूद इस के भी कि मुल्क में उस के खिलाफ कुछ इख्तलाफ और नाराजगी भी हो, हम ने अपने पड़ौसी मुल्क पाकिस्तान के साथ जो आपस में अहदनामा कर लिया है उन पर हम कायम रहेंगे।

मेम्बर साहबान को पता है और डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी इस बात को जानते हैं कि यहां पार्लियामेंट में और बाहर बेरूबारी को ले कर काफी झगड़ा हुआ मगर हमारे प्रधान मंत्री महोदय अपने उस इरादे पर दृढ़ रहे, वायदे पर कायम रहे जोकि उन्होंने आपस में तय कर लिया था। अब उस का असर होना जरूरी था मैं समझता हूं कि कल भी उस का यहां पर जिक्र किया गया था।

हिन्दुस्तान में कुछ मामलात होते हैं और उन के ऊपर पाकिस्तान के सदर जनरल अय्यूब का जो स्टेटमेंट आया है उस पर बजा तौर पर बहुत से मेम्बरान साहाबान ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। मैं समझता हूं कि जनरल अय्यूब को ऐसे मौको पर बगैर पूरी तरह जांच पड़ताल किये और वाकयात से पूरी तरह वाकफियत हासिल किये बगैर उस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिये था। मगर इस का मतलब यह भी नहीं है कि उन के स्टेटमेंट से हमें अपने आदमियों पर कोई शक पैदा हो जाय कि सचमुच ही इन का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है कि जिसके लिए वह हमदर्दी करते हैं। किसी के दिल में यह शक व शुबहा और ऐसा खयाल नहीं होना चाहिये।

भारत सरकार की जो मौजूदा विदेशी पालिसी है उसको सब तरफ से हिमायत हासिल होने के बावजूद एक बात यह साफ जाहिर है जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले मेम्बर साहब ने भी प्रकट किया है कि चीन के सवाल को लेकर कुछ जज़्बा हमारे लोगों के दिल में मौजूद है इसी तरह गोआ के मुताल्लिक हमारे लोगों में कुछ जज़्बा ऐसा मौजूद है कि उसके बारे में सरकार की पालिसी को जरूर कुछ न कुछ स्पष्ट होना चाहिये। चीन से अब इस वक्त कोई समझौते की उम्मीद रखना जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में फरमाया है, यह बात बहुत दूर चली गई है। चीन ने कोई मौका फरोगुजाश्त नहीं किया जब उसने हमारे साथ ऐसा सलूक न किया हो जो कि एक दोस्त मुल्क को जेबां न था और मुझे चीन के रवैये के बारे में एक शैर याद आता है जो कि उन पर खूब फबता है :

"उनकी आदत कि वफाओं पर भी हो चीं बजूवीं,
अपनी फितरत की जफाओं का भी शिकवा न करें"

बिल्कुल आज ऐसी हालत बन गई है। चीन ने हर मौके पर अपने रवैये से जो सबूत दिया है वह ऐसा है कि वह तमाम दोस्ती को और तमाम जो उसकी पुरानी रवायतें हैं उनको वह भूल गया है।

तीसरी बात डिप्टी स्पीकर साहब, वह सचमुच ही एक बड़ी तल्ख ड्यूटी है कि उसका जिक्र यहां पालियामेंट में किया जाय। बहुत से मेम्बरों ने उसका जिक्र किया है। मुझे एक पुराने शायर हाली का वह शैर याद आ जाता है :

"मुसीबत का एक एक से हैवाल कहना,
मुसीबत से है यह मुसीबत ज्यादा।"

बार बार किसी मुसीबत का जिक्र करना भी एक बड़ी भारी मुसीबत है मगर जिक्र किये बगैर भी नहीं रह सकते और वह है कि हमारी कौमी यकजहती का सवाल। हमारे प्रधान मंत्री ने ३१ दिसम्बर को यहां एक बड़े भारी जलसे में जब कांग्रेस की ७५ साला जुबली मनाई जा रही थी, फंक्शन हो रहा था तो उसमें बड़े जोर से कहा था कि हमें कांग्रेस के आयन्दा सेशन में यह जो कौमी यकजहती का सवाल है, कम्युनलिज्म, प्राविंशिएलिज्म, कास्टिज्म और लैंग्वेजिज्म का जो सवाल है उनका हल सोचना है। इससे जाहिर है कि हमारे प्रधान मंत्री जी के दिमाग पर भी यह बात अच्छे तरीके से इस वक्त छाई हुई है कि हमारे देश में कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और इसी किस्म की दूसरी इज्म बढ़ रही हैं। यह तो ठीक है कि जैसा मैंने शुरू में कहा बार बार इस चीज का जिक्र करना हमारे लिये कोई फायदे-मन्द चीज नहीं है लेकिन इसका आखिर हमें कोई न कोई इलाज तो सोचना ही होगा। आजादी से पहले तो हमारे पास एक बहाना था और हम कह दिया करते थे कि अंग्रेज हमें लड़ाते हैं ताकि वे हम लोगों पर अपनी हुकूमत कायम रख सकें। अंग्रेज हमें आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं ताकि उनकी हुकूमत की जो उम्र है उसको लम्बी करें, यह हमारे पास एक बहाना था। उस वक्त हमारे पास यह बहाना था। मगर हमारे मुल्क में अब जो हालत पैदा हो गई है, उस में हम में से कुछ कोताह-अन्देश लोग यह कहने लग गये हैं कि इससे तो अंग्रेज अच्छे थे। बात यह है बहुत बुरी, लेकिन हमारे लिये यह निहायत शर्म की बात है कि किसी के मन में यह ख्याल आये कि इन से अंग्रेज अच्छे थे। लेकिन :

अपनों की दोस्ती ने सिखाया है यह सबक़,
ग़ैरों की दुश्मनी भी इनायत से कम नहीं।

यह ख्याल हमारे दिल में पैदा होने लग गया है। छोटी छोटी बातों पर हम में लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जबलपुर या आसाम में जो बातें हुईं, जो फ़साद हुए, ख्वाह उनका कम्यूनलिज्म से कोई ताल्लुक न हो, उनको कुछ शरारती आदमी करते हों, यह ठीक है, मगर यह ख्याल करना भी ठीक नहीं है कि इन बातों में डिस-सैटिसफ़ैक्शन का दख़ल नहीं है। अगर हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पर प्राविंसिज़ बनाने की बीमरी सहेड़ी है, तो फिर इसको हल करना पड़ेगा। जबलपुर के बारे में तो हम कह सकते हैं कि वहां कम्युनलजिम के कुछ ख्याल पैदा हो गये, हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा पैदा हो गया। मगर आसाम में हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा कहां था? वहां तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं था। क्या वजह है कि वहां पर ऐसी बातें हुईं?

मैं समझता हूं कि यह बड़ी खुशी की बात है और इस के लिये मैं पंजाब के लोगों को शाबाश देता हूं—कि वहां पर बड़ी-बड़ी आंधियां और तूफान चले, अपनों और बेगानों की तरफ से एक्सप्लायट करने की कोशिश की गई, इस बात को फैलाया गया कि वहां पर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा कम्यूनल बातों के ऊपर, लेकिन फिर भी वहां पर हिन्दुओं और सिक्खों की लड़ाई झगड़े जैसा कोई वाकया नहीं हुआ, यह मैं दावे से कहता हूं। पंजाब के लोगों ने, वहां की जनता ने इस सिलसिले में इस क़द्र समझदारी से काम लिया कि बावजूद इश्तग्रालअंग्रजी के वहां ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। हम समझते हैं कि इस सिलसिले में हम खुश-किस्मत हैं। मगर हम इस

बात को नज़र-अन्दाज़ नहीं कर सकते कि हम अलाहिदा नहीं रह सकते और जबलपुर, आसाम और बंगाल का असर पंजाब पर भी हो सकता है। पंजाब एक बार्डर का सूबा है। वहां हमें और भी ऐहतियात रखनी पड़ती है। मैं यह अर्ज़ करूंगा कि इस इजलास में इसकी तरफ़ इस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। अंग्रेज ने हमारे मुल्क में सैपेरेट इलैक्ट्रेट कायम कर के झगड़े की सब से बड़ी बुनियाद डाल दी थी। हमारे हाथ में जब हुकूमत आई, तो हमारी सरकार ने सब से पहले सैपेरेट इलैक्ट्रेट को छोड़ा और ज्वायंट इलैक्ट्रेट का विधान बनाया। एडल्ट फ्रैंचाइज़ के बेसिस पर, यानी इन्सानी बुनियादों पर, हमारे चुनाव हुए और सारी दुनिया ने देखा कि एडल्ट फ्रैंचाइज़ पर हमारे पहले और दूसरे चुनाव हुए। वे चुनाव इस खूबी से हुए, इतनी अच्छी तरह से हुए कि यह साबित हो गया कि हमारा यह तजुर्बा अच्छा रहा, लेकिन यार लोगों ने इसमें भी झगड़े की बातें निकाल लीं, यानी ज्वायंट इलैक्ट्रेट होते हुए भी, बीमारी की जड़ को गिराते हुए भी, जिन्होंने लड़ना था, उन्होंने उसको एक बहाना बना लिया।

डा० काटजू ने कहा है कि जबलपुर एक श्मशान-भूमि की तरह है। तो क्या सारा हिन्दुस्तान एक श्मशान-भूमि नहीं बन सकता, अगर हमारी ज़हनियत यही रही और हम छोटी छोटी बातों पर भड़कते रहे। आज अगर एक माननीय सदस्य, जिसका रुख़ हमारी तरफ़ है, इस भरे इजलास में खड़ा हो कर कह सकता है कि माइनारिटीज़ के लिए ठीक इन्तज़ाम नहीं किये गये, तो ज़रूरत इस बात की है कि यह ख्याल पैदा न होने दिया जाये और इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिये। अगर बार बार इस तरह का ज़िक्र आयगा, तो हम हर जगह बदनाम होंगे और हमारे जितने प्लान हैं, वे सब धरे के धरे रह जायेंगे। हो सकता है कि माइनारिटीज़ इस तरह की बात सोचने लग जायें कि हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं होता है। मैं यह नहीं कहता कि वह सलूक अच्छा होता है या नहीं होता है, लेकिन वाकयात की बिना पर मेरा कहना यह है कि इस तरफ़ हमें बड़ी संजीदगी के साथ ध्यान देना चाहिये कि हमारी कौमी यकजहती बरकरार रहे और हम सब हिन्दुस्तान पर फ़ख्र करें, इस बात पर फ़ख्र करें कि मैं हिन्दुस्तानी हूं और हमारा फ़ख्र किसी और बात पर न हो। लेकिन वह तभी हो सकता है, जब हम में सब बातों से सैटिसफ़ैक्शन होगी और हम छोटी छोटी बातों पर न झगड़ेंगे। बहुत मुल्कों ने ज़बान के आधार पर यकजहती कायम कर ली है और हिन्दुस्तान में हम लोग ज़बान की बिना पर लड़ाई कर रहे हैं, हालांकि यह मिलाने और यकजा करने की चीज़ है। हमारे यहां एक लिंग्विज्म पैदा हो गई है और ज़बान पर लड़ाई होने लगी है।

कहां ले जायें दिल दोनों जहां में, इस की मुश्किल है,
इधर परियों का मजमा है उधर हूरों की महफिल है।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जैसा कि श्री डांगे ने कहा है कि यदि चीन को काश्मीर के मामले में पाकिस्तान से बातचीत करने का अधिकार नहीं, तो फिर आक्साईचिन क्षेत्र पर चीन का दावा भी बिल्कुल निराधार है। चीन उस क्षेत्र को तभी खाली करेगा जब अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति इसके लिये प्रतिकूल होगी।

मेरा ख्याल है कि चीन और भारत के बीच युद्ध नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन भारत पर इस तरह आक्रमण करके रूस और अमरीका को मित्र बना रहा है, जो चीन और भारत समेत, सारे अफ्रीकी-एशियाई देशों की जनता के लिये घातक होगा। उसे तभी रोका जा सकेगा जब भारत और चीन की मैत्री सुदृढ़ रहे।

यदि विश्व युद्ध की आग में संसार भस्म नहीं होता, तो कुछ दशकों बाद चीन संसार का सबसे शक्तिशाली देश बन जायेगा। सभी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विश्व सरकार का रूप दे दिया जाये।

कांगो के बारे में सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव से पश्चिमी देशों की सहमति का मुख्य कारण यही है कि उनको रूस द्वारा हस्तक्षेप का भय है। मैं उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। अब जरूरत इस बात की है कि यदि कांगो के वर्तमान शासक—कर्नल मोबुटू—और अधिक हत्याकांड करें, तो उन पर राष्ट्र संघ के विमानों को हमला बोल देना चाहिये। यदि बेल्जियन अधिकारी कांगो खाली न करें, तो कटंगा पर जोरों से बम बरसाये जाने चाहियें। कटंगा में, खास तौर से एलिज़ाबेथबिल में सिर्फ बेल्जियन अधिकारी ही हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि बल का प्रयोग किया जायेगा।

कांगों में एक तटस्थ सरकार स्थापित की जानी चाहिये। कांगो को फौज रखने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। उसकी रक्षा का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ पर रहना चाहिये। निःशस्त्रीकरण का यही अर्थ है।

रूस और अमरीका के बीच सारा झगड़ा एशिया और अफ्रीका पर ही है। यदि रूस का डर न होता तो पाश्चात्य देश सारे कांगो पर छा चुके होते। इसलिये भारत को कांगों के प्रश्न पर रूस से झगड़ा नहीं करना चाहिये।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) :

"कृष्णम् बन्दे जगद्गुरुम्"

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बराबर दो दिन से सम्माननीय सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया है। अभिभाषण को आद्योपान्त पढ़ने के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि देश में और विदेशों में जो राजनीतिक घटाक्रम चला हुआ है, उसकी सूची दे दी गई है। हमारे देश में व्यापार के, उद्योग के क्षेत्र में जो हमने कार्य किये हैं उनकी भी संख्या का दिग्दर्शन करा दिया गया है। साधारणतया इन सब बातों को बतलाना आवश्यक था। अभिभाषण में इनका जिक्र न किया जाता ऐसा तो मैं नहीं कहता हूं। परन्तु आज जो देश की अवस्था और स्थिति है, उसको सामने रखते हुए समूचे देश को राष्ट्रपति के द्वारा और साथ ही साथ इस सदन को जिस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिये थी वह प्रेरणा इसके द्वारा प्राप्त नहीं हो रही है। मैं समझता हूं जिन का राजनीति से सम्बन्ध है, इस में जिन बातों का जिक्र किया गया है, उनको वे भलीभांती जानते हैं। पर आज की विषम स्थिति में देश को क्या करना चाहिये और सदन को क्या करना चाहिये, इसके सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये था।

राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों राजनीतियों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का जहां तक सम्बन्ध है, मैं समझता हूं भारतवर्ष ने मानवता के आधार पर, बुद्धिमता के आधार पर, दूरदर्शिता के आधार पर संसार को एक स्थान पर एकत्रित करके गम्भीरतापूर्वक समस्याओं का समाधान करने की प्रेरणा दी, और इस दृष्टि से उनका मार्गदर्शन किया है। हम संसार में शान्ति चाहते हैं, हम शान्त रहना चाहते हैं, दूसरों को भी शान्तिपूर्वक रहने का सन्देश देते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है। आज संसार का कोई भी बुद्धिमान आदमी यह नहीं

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

कह सकता है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिये। हम जो बोलते हैं वह युक्तियुक्त है, सामयिक है, दूरदर्शितापूर्ण है और मानवता की भावना से ओतप्रोत है...

श्री प्र० सिं० दौलता (झज्जर) : इसका क्या मतलब हुआ ?

पंडित ब्रिज नारायण "ब्रजेश" : इसका मतलब यह है कि हम मनुष्यता का संहार नहीं चाहते और साथ ही साथ यह भी नहीं चाहते कि आप हिन्दी को बिल्कुल ही न समझें । अगर माननीय सदस्य ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे तो उनकी समझ में मेरी बात आ जायेगी। हिन्दुस्तान में उत्पन्न होने के पश्चात् मेरी भाषा वह समझ न सकें, यह मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं।

श्री प्र० सिं० दौलता : आपकी भाषा पुराने जमाने की है।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : बिल्कुल एक दम नई है। इस सरकार ने, इस देश ने जिस भाषा को स्वीकार किया है, वही मैं बोल रहा हूं। इससे पहले यह भाषा नहीं थी। देश में इससे पहले संस्कृत भाषा थी और अब जिस भाषा में मैं बोल रहा हूं, वह राष्ट्रभाषा है, राज-भाषा है जिसको प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी को समझना चाहिये ।

श्री प्र० सि० दौलता : अगर यही राज-भाषा है, तो हम इसके मुखालिफ हैं।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : आप तो अभी तक सरकार के भी मुखालिफ थे, अब उसके पक्ष में आ गये हैं। कल कहां जायेंगे, पता नहीं है। यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है।

मैं निवेदन कर रहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, इसको मैंने अपनी जापान यात्रा में अच्छी प्रकार से अनुभव किया है। जापानियों के भीतर भ्रमण करके मैंने देखा कि मेरे देश के प्रधान मंत्री ने देश के प्रति सम्मान की भावना का वहां उदय किया है। लोगों के मन में सम्मान है, प्रेम की भावना है। इसी प्रकार दूसरे अन्यान्य देशों में भी हो सकता है। चीन को शत्रुता हम से करनी ही है, चीन ने निश्चय कर लिया है वह हम से मैत्री सम्बन्ध रक्खेगा ही नहीं, उस के सम्बन्ध में हम को विचार करना चाहिये। जहां तक सज्जनता, महानता के आधार पर किसी को साथ लेने का प्रश्न है, वहां तक हमारी कार्य पद्धति में कोई दोष नहीं है, परन्तु सज्जनता का व्यवहार करते हुए भी यदि कोई हमारे साथ दुर्जनता का व्यवहार करता है, तो उस समय हम को क्या करना चाहिये, कब तक सज्जन बने रहना चाहिये अथवा उस सज्जनता को हमें किस भाव के साथ मिला कर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहिये, यह एक विचारणीय प्रश्न है। हमें अपनी विदेश नीति को किस प्रकार उपयोग में लाना चाहिये, जिस को इम्प्लिमेंटेशन कहते हैं, उस की जो पद्धति है, उस पर गम्भीरतापूर्वक मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में प्रधान मंत्री को और बुद्धिमान लोगों को बैठकर सोचना चाहिये। अभी तक हम ठीक प्रकार से चले, संसार में शांति का वायूमंडल पैदा किया, लोगों को मैत्रीभाव से प्रेरित किया, किन्तु इस के होते हुए भी पूरी तरह त्री नहीं हो रही है। बराबर आक्रमण हो रहा है। हम तो शांति का व्यवहार करते हैं और उधर से शस्त्र का उपयोग होता है। यह जो स्थिति है उस पर संसार को तो विचार करना ही चाहिये यदि उसे ध्वस्त होने से बचाना है, पर हम को भी विचार करना चाहिये। हमें अपनी विदेश नीति में अब परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, ऐसा मैं समझता हूं। चाइना की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। जो हमारे वार्तालाप करने वाले अधिकारी थे उनकी रिपोर्ट भी बड़ी विद्वत्तापूर्ण और दूरदर्शिता पूर्ण है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। परन्तु उस का उपयोग क्या है ? रिपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन रिपोर्ट से तो चाइना नहीं हट जायेगा। रिपोर्ट

के साथ उस को सपोर्ट भी तो चाहिये। किसी मनचले आदमी के सामने अपनी पत्नी को मैडम कहा जाय तो खुश हो जाता है, वैसे ही यह बात है। हमारे सामने जो सूचना आई है उस के आधार पर हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना ही होगा, और उस परिवर्तन के सम्बन्ध में इस समय मेरा इतना ही सुझाव है कि हम शांति का उद्‌घोष करें, व्यवहार सज्जनता का करें, वार्तालाप भी कर सकते हैं चाइना से, परन्तु इस के साथ ही साथ यदि वह अन्दर आ जाये तो हमें "शठे शाठ्यम् समाचारेत" के आधार पर खड़ा भी होना पड़ेगा।

"शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे, शास्त्र चिन्ता प्रवर्तते"

शास्त्र की चिन्ता करना, शास्त्र का पठन पाठन करना अच्छी बात है, परन्तु यदि कोई शास्त्र को दियासलाई लगाने आ जाय तब भी हम शास्त्र पढ़ते रहें तो न शास्त्र बचेगा और न शास्त्री बचेगा। दोनों ही बच नहीं सकते।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

तो जहां तक चाइना के साथ वार्तालाप का प्रश्न था, वह तो समाप्त हो गया, अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। बातचीत को रोकना चाहिये और अब अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में सोचना चाहिये। इस के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी को अवश्य उल्लेख करना चाहिये था। यह मेरा निश्चित मत है कि जहां हम को अपनी सैना को शक्तिशाली बनाना चाहिये, उस के साथ जितना सीमान्त प्रदेश वहां पर सारी जनता को सशस्त्र बना कर किसी भी समय युद्ध के खतरे से अपनी रक्षा करने के लिये सन्नद्ध कर देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : इस के लिये प्रशिक्षण भी चाहिये।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : बिना प्रशिक्षण के क्या वे १२ बोर की बन्दूक से गाय चरायेंगे ? यदि ऐसी साधारण साधारण बातें हम यहां सोचने लगें तो काम कैसे चलेगा ? मैं नहीं समझता कि इतना ज्ञान हमारे सदन के अन्दर आने वाले सदस्यों को नहीं होगा। परन्तु शायद वे विनोद में ऐसा कहते होंगे, आखिर आमोद प्रमोद भी तो चाहिये। मृत्यु के समय यदि थोड़ी सी मुस्कराहट आ जाये तो बुरा क्या है ?

मैं निवेदन कर रहा था कि देश अत्यन्त संकटापन्न अवस्था में से गुजर रहा है। पाकिस्तान के साथ हम सद्‌भावना का व्यवहार कर रहे हैं, लोग राजनीतिक भाषा में बोलते तो हैं कि हमारे बड़े अच्छे सम्बन्ध हैं, परन्तु अच्छे सम्बन्धों का परिणाम यह है कि प्रधान मंत्री महोदय पानी दे कर वापस नहीं लौटे और आंखें लाल होने लगीं। उस के बाद ठंडक आनी चाहिये थी पैसा मिला, संधि हो गई, उस पर हस्ताक्षर हो गये, पर प्रधान मंत्री लौट कर वापस भी नहीं आये थे कि अय्यूब साहब बोलते हैं कि सेनायें बहुत दिन नहीं देख सकती हैं कश्मीर को इस तरह से उलझा हुआ। स्वाभाविक है कि यदि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार अय्यूब खां साहब कर सकते हैं तो मेरे सरीखे तिलकधारी मिल जायें तो भगवान जाने क्या होगा ? यह गम्भीरतापूर्वक सोचने की बात है। देश में यदि कोई साधारण घटना घट जाती है तो अय्यूब खां साहब तत्काल उचक कर खड़े हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि जब सज्जनता का व्यवहार करने पर जवाब दुर्जनता का आता है तो यदि कहीं किसी से कोई भूल हो जाय तो क्या कहना है ? हिन्दुस्तान के मुसलमान प्रधान मंत्री पर विश्वास कर के हिन्दुस्तान में रहे हैं, जवाहरलाल जी पर विश्वास कर के रहे हैं, आज भी हैं, परन्तु ठेकेदारी अय्यूब खां सहाब की है।

---

[1]मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य : जवाहरलाल जी पर या हिन्दुस्तान पर ?

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : प्रधान मंत्री माने हिन्दुस्तान और अय्यूब खां के माने पाकिस्तान यह सीधी बात भी नहीं समझते ?

मैं यह निवेदन कर रहा था कि वे यहां बैठे हैं इस आधार पर, और बोलते उधर से वे हैं। इससे प्रतीत क्या होता है ? वे यहां के मुसलमानों को बतलाते हैं कि तुम्हारा मैं हूं, यह कोई नहीं हैं। हो सकता है कि जिस के बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, क्योंकि सभी तरह के लोग होते हैं, वे कहें कि यह हमारे आका नहीं हैं यह तो केवल नाका है। ऐसा भाव उदय होता है कि एक तरफ तो आप सैन्य संगठन की बात करते हैं चाइना से लड़ने के लिये, दूसरी तरफ यहां के निवासियों को भड़काते हैं।

जहां तक हमारे एक दूसरे के साथ मैत्री सम्बन्ध और तटस्थता की नीति का प्रश्न है, वहां हम को बड़ी गम्भीरतापूर्वक कार्य करना चाहिये। एक तरफ अधिक लापरवाही से देखना और दूसरी तरफ बिल्कुल ध्यान ही न देना। यहां कांगो, कांगो की रोज चर्चा होती है। मैं पूछता हूं कि जब हंगरी में झगड़ा हुआ तो हम को कौन सी हंगर सताती है। हंगरी के मामले में हम चुप रहें और कांगों के मामले में बोलें। एक मामले में हम बोलें और दूसरे मामले में न बोलें, यह ठीक नहीं है। या तो किसी मामले में न बोलें और यदि हम सत्य के लिये बोलें तो सर्वत्र सत्य का समर्थन करें। इस तरह की नीति होनी चाहिये चाहे वह किसी के साथ हो, चाहे अमरीका हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, कोई भी देश हो, हम सत्य का प्रतिपादन करेंगे तो जहां भी अन्याय होगा वहां खम ठोंक कर लड़ेंगे। पर ऐसा करते नहीं हैं। अभी क्या हुआ है ? हिन्दु मुसलमान का अगर झगड़ा हुआ तो चूंकि संख्या हिन्दुस्तान में हिन्दुओं की ज्यादा है इसलिये कम संख्या जिनकी है उन्होंने अन्याय भी किया तो भी हम उनके पक्ष में बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिये। यदि यहां हिन्दुस्तान में हिन्दुओं की संख्या ज्यादा है तो सब हिन्दू मिल कर जिन की कम संख्या है उन को भस्म कर डालें, मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं। चाहे बहुमत वाले हों चाहे अल्पमत वालें हों, मैजारिटी हो या माइनारिटी हो, चाहे ऊंचे से नीचे आये हों चाहे नीचे से ऊंचे आये हों, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिये। कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, न हिन्दू-मुसलमान को सता सकता है और न मुसलमान हिन्दू को सता सकता है। जो सतायेगा उसका यह राज्य दमन करेगा, इस प्रकार की सुदृढ़ नीति होनी चाहिये। इसमें जाति का प्रश्न नहीं है, इसमें धर्म का, प्रश्न नहीं है। यही धर्म है। न्याय से बढ़ कर दूसरा धर्म नहीं है संसार में। जो न्याय की हत्या करने के पश्चात् धर्म का उद्घोष करता है वह पिशाच है, राक्षस है, वह मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है, हो ही नहीं सकता है, हमने कभी भी इस प्रकार की बात को बर्दाश्त नहीं किया। जबलपुर में जो कांड हुआ उसमें आप को झिझकना नहीं चाहिये था, राष्ट्रपति को उसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये था, अपने अभिभाषण में कहना चाहिये था कि इस प्रकार की घटना जो देश में घटित हुई है उससे मेरा मस्तक लज्जा के कारण झुक गया है। किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी जाति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर मुसलमान ने हिन्दु लड़की के साथ अन्याय किया तो बुरा किया और अगर हिन्दू में मुसलमान के लड़की के साथ किया तो और भी बुरा किया। ऐसा करने का किसी को अधिकार नहीं है। एक नारी के सतीत्व का अपहरण जो करता है उससे बढ़ कर राष्ट्रद्रोही और पिशाच इस देश में हो नहीं सकता। किसी भी नारी के सतीत्व को अपहरण करने की घटना देश में घटित हो, इससे बढ़ कर लज्जास्पद बात कोई नहीं हो सकती, घृणास्पद बात नहीं हो सकती। किसी भी पुरुष को किसी नारी की

तरफ नहीं देखना चाहिये। आप देखने का तात्पर्य समझे? जो घटनाक्रम चला आ रहा है, जो भाव चला आ रहा है, उससे आप हट जाते हैं। आप इस दृष्टि से देखना पसन्द करते हैं क्या? मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति महोदय को इसका भी उल्लेख करना चाहिये था और इस के प्रति अपनी लज्जा प्रकट करनी चाहिये थी और देश को सावधान करना चाहिये था ।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। अभी मेरे एक बन्धु ने इस पर उग्रता भी प्रकट की थी। मुसलमानों के अधिकारों का प्रश्न था और जबलपुर में जो कांड हुआ है उसमें मुसलमानों पर अधिक अन्याय हुआ है यह भी उनके भाषण से प्रकट होता था। अब अगर कभी हिन्दू पर कोई घटना घटे तो मैं उसको बढ़ा कर बताऊं या कभी किसी मुसलमान पर कोई घटना घटे तो वह उसको बढ़ाकर बताएं, यह भाव भी हममें नहीं होना चाहिए। कहीं गीता जलाया जाता है, कहीं कोई खुले आम गाय को काट कर हिन्दुओं को लड़ने के लिए प्रेरणा देता है, उनको उत्तेजित करता है, कहीं आग लगाई जाती है, तो इन छोटी-छोटी बातों से उत्तेजना पैदा हो जाती है। जबलपुर में जो कांड हुआ उसके सम्बन्ध में दिल्ली से निकलने वाले एक अखबार, नई दुनिया ने लिखा कि उस लड़की का उससे सम्बन्ध था और उसे हमल रह गया था। एक तो लड़की पर बलात्कार हुआ, वह जल कर भस्म हो गयी, उसका आपरेशन भी हुआ और उसके कोई गर्भ नहीं निकला।

अखबार में जो निकला है मैं वही कह रहा हूं। इस घटना को इस प्रकार का रंग दिया जाता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इससे और लोग भड़क सकते हैं या नहीं। इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाना चाहिए। इनसे तो देश में और विद्वेष बढ़ता है। इनसे तो शत्रुता के भाव बढ़ते हैं। हम सोचते थे कि पाकिस्तान बनने का यह परिणाम होगा कि हम हिन्दुस्तान के लोग एक दूसरे से कन्धे से कन्धा मिला कर खड़े होंगे और हमारा परस्पर का विद्वेष खत्म हो जाएगा लेकिन इसके विपरीत इस प्रकार की बातें की जाती हैं। हम दूसरों से सम्बन्ध नहीं रखना चाहते लेकिन विदेशी लोग यहां आकर गड़बड़ी फैलाते हैं। वह कुचक्र रचते हैं। कोई नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान में ऐसा आदर्श खड़ा रह सके जिससे कि वह संसार के दूसरे देशों का मार्गदर्शन कर सके। प्रत्येक अपनी शक्ति का यहां प्रयोग करता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय गम्भीरतापूर्वक इस प्रकार की घटनाओं को रोकें।

साथ ही साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से काश्मीर की समस्या उलझी हुई है क्या चीन की समस्या भी उसी तरह कोल्ड स्टोरेज में पड़ी रहेगी। और फिर उसके पश्चात यह बात आती है कि वह वहीं रहने दीजिए, जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारा और जो हमारे पास है वह हमारा। फिर इस प्रकार वह कहते हैं कि नहीं हमारा और भी है और हमको और भी चाहिए। तो इस प्रकार नेगोसिएशन और वार्ता करते रहना और चीजों को बराबर देते चले जाना, निरन्तर देते जाना ठीक नहीं है। हमने सज्जनता से अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया है दिया ही है। ठीक है इस भाव को रखना। पर इसके सम्बन्ध में हमको आत्म निर्भर होना होगा, आपको सैन्यीकरण करना होगा, देश को शस्त्र सज्जित करना पड़ेगा। देश को एकात्मता की भावना से खड़ा रखना पड़ेगा।

लेकिन सबसे बड़ी बात जो मझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में खटकी वह यह कि बेचारे ईश्वर का गला घोट दिया गया। हम सिक्यूलर हो सकते हैं सम्प्रदायों से दूसरी बातों से, लेकिन ईश्वर से हम सिक्यूलर नहीं है। अगर हम भगवान से ही प्रार्थना नहीं करेंगे

[पंडित ब्रजनरायण ब्रजेश]

कि देश को सद्बुद्धि दे, अगर ईश्वर को ही हम भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। और मैं तो समझता हूं कि मेरे देश में अधिकांश लोग, ९० पर सेंट लोग--मैं दस पर सेंट के बारे में नहीं कह सकता, हो सकता है कि वह बिगड़ गए हों चाहे वे समझें कि हम सुधर गए हैं—ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं, वह समझते हैं कि वह सब का कल्याण करने वाला है, वह सबका देखने वाला है। उसी के आधार पर हम यहा खड़े हुए हैं वह हमको बचाने वाला है। यह हमारा विश्वास होना चाहिए और हमको बोलना चाहिए:

ईशावास्यमिदं सर्वम् यक्किंचित जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा: मा गृध: कस्यचिद्धनम्।।

और इसी आधार पर हमारा इतिहास है। हमारी यह भावना है:

मातृवत् पर दारेषु पर द्रव्येणु लोष्ठवत्।
आत्मवत् सर्वभूतेषु य: पश्यति स पश्यति।

हमें संसार को यह सन्देश देना चाहिए। हम अपनी धर्मपत्नी को छोड़ कर हर स्त्री को माता या बहिन की भांति देखते हैं, दूसरे के पैसे को मिट्टी या ढेला समझते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग सुरैया को देख कर मुग्ध हो जाते हैं, बात करने की अलग है। लेकिन हम सबको आत्मवत् देखते हैं। इस प्रकार की भावना का देश में निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर): जनाब चेयरमैन साहब, मैं सदर जम्हूरिया हिन्द के इस एड्रेस का खैरमकदम करता हूं। सदर जम्हूरिया ने इस एड्रेस में हमें यकीन दिलाया है कि हिन्दुस्तान की हुकूमत और हिन्दुस्तान के लोग चीन के मौजूदा हमले के सामने या चीन की धमकियों से मरऊब नहीं होंगे और हिन्दुस्तान के उस हिस्से को जिस पर चीन ने कब्जा किया है आजाद कराके रहेंगे। मुझे सदर जम्हूरिया से निहायत ही अफसोस के कहना होगा कि जहां उन्होंने चीन के गसब का तजकिरा किया, वहां उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा।

आज पिछले १६–१७ साल से पाकिस्तान हमारे एक खूबसूरत हिस्से पर काबिज है। हमने हर मुमकिन तरीके से यह कोशिश की कि हम पाकिस्तान के साथ एक हम साया मुल्क की हैसियत में, एक दोस्त मुल्क की हैसियत में रहें और दोस्ती और रवादारी और बाहरी इत्तफाक कायम कर सकें लेकिन मुझे इन्तहाई अफसोस है कि पाकिस्तान ने हमारी रवादारी को, हमारी फैयाजी और हमारे खलूस को हमारी कमजोरी समझा और हर बार हमारे हर जायज फैसले को धमकियों से मरऊब करने की कोशिश की।

जनाब वाला, इस ऐवान के मेम्बरान को इस बात का इल्म होगा कि अभी हाल में नाम निहाद आजाद काश्मीर के नाम निहाद सदर ने इस बात की धमकी दी थी कि हम चीन के साथ काश्मीर के मसले को तै करेंगे, हम चीन का हक तसलीम करेंगे काश्मीर के उस हिस्से पर जिस पर चीन ने कब्जा किया है, और इसके बदले में हम चीन से और दूसरे कम्मुनिस्ट मुल्कों से हथियार ले कर काश्मीर से हिन्दुस्तान को निकाल देंगे। यह एक इन्तहाई अफसोसनाक बात थी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कैसे यह बात सदर जम्हूरिया के एड्रेस से निकल गई, कैसे यह नक्ता हुकूमत हिन्दुस्तान ने नजर अन्दाज किया।

यही नहीं, इसके बाद पाकिस्तान के सदर जिस वक्त हमने पानी का झगड़ा तै किया, उसके फौरन बाद हमें धमकी देते हैं कि पाकिस्तान की फौजें खामोश नहीं बैठ सकतीं। इसके बाद पाकिस्तान के वजीर खारिजा का वह बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ काश्मीर की सरहदों का मामला तै करेंगे। इसके बाद फिर ताजा एक और बयान आ जाता है पाकिस्तान के नाम निहाद सदर का कि हम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में नाम निहाद आजाद काश्मीर के फारिन आफिसेज खोलेंगे ताकि हम बाहर के मुल्क को इस बात पर मजबूर कर सकें और साबित कर सकें कि हिन्दुस्तान एक गासिब की हैसियत से काश्मीर में बैठा है।

जनाब चेयरमैन साहब, यही नहीं, बल्कि अभी जो ताजा दौरा किया फील्ड मारशल अय्यूब खाँ ने इस्लामी मुमालिक का और मशरिक बयीद में जहां भी वह गये उन्होंने इस चीज का रोना रोया कि हिन्दुस्तान एक गासिब की हैसियत से काश्मीर में बैठा है। इस बात का जिक्र मैं वजारत खारिजा की डिमाड्स पर करूंगा कि किस हद तक हमारे इनफारमेशन सेंटर्स और हमारी वजारत एक्सटरनल एफेयर्स का पबलिसिटी डिवीजन इस बात में कामयाब हुआ है कि बाहर की मुल्कों को हमारी हकीकत बता सके।

जनाब वाला, जिस तरीके से, जिस गैर दोस्ताना तरीके से चीन ने पाकिस्तान से मिल कर हमको काश्मीर के मामले में ब्लेक मेल करने की कोशिश की है और हमारे हक को चैलेंज किया है वह निहायत ही शर्मनाक है। और मैं चीन की हुकूमत की तवज्जह उनके दूसरे अजीम दोस्त और मौजूदा जमाने में और मौजूदा दुनिया में सोशलिस्ट निजाम के लीडर रूस के वजीर आजम मिस्टर खुश्चेव की तरफ दिलाना चाहता हूं जिन्होंने तसलीम किया है कि काश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कि मद्रास, या बंगाल या पंजाब। बल्कि मुझे याद है कि जिस वक्त मिस्टर ख्रुश्चेव काश्मीर जा रहे थे तो उन्होंने चन्द दोस्तों के सामने इस बात का तजकरा किया था और उन्होंने कहा था--चाहे उन्होंने यह बातें एक लाइट मूड हो कही हों कि मैं तुम्हारा हमसाया हूं, इस पहाड़ी के पीछे रहता हूं। उन्होंने कहा था कि ए काश्मीर के लोगों अगर किसी वक्त तुम पर किसी हमसाया मुल्क ने हमला किया तो मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा। यह हकीकत है। हम तमाम सोशलिस्ट मुल्कों को एक नजर से नहीं देख सकते। लेकिन हमें इस बात का अफसोस है मैं किसी तरह का अहसान नहीं जताना चाहता--कि चीन के साथ कितनी रवादारी कितनी दोस्ती और कितने खलूस का सबूत हिन्दुस्तान ने दिया, लेकिन उसका जवाब चीन पाकिस्तान के साथ मिल कर हमको ब्लैक मेल करके दे रहा है।

मेरे चन्द दोस्तों ने कल और हमारे बुजेर्ग मौलवी हिफजुर्रहमान ने जबलपुर के वाकए की तरफ ऐवान की तवज्जह दिलायी। मैं जबलपुर के वाकए को एक फिरकावाराना शक्ल में नहीं देखता क्योंकि मेरे पास सबूत हैं। अभी चन्द महीने हुये इधर आसाम में झगड़ा हुआ। इससे चन्द महीने कब्ल एक आध साल कब्ल, बम्बई में झगड़ा हुआ। ये फिरकापरस्तों के झगड़े नहीं थे। आसाम में कोई हिन्दू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। आसाम में जो झगड़ा हुआ उसमें हिन्दू को हिन्दू ने लूटा और हिन्दू ने हिन्दू को मारा। बम्बई में यह हुआ और दूसरी बहुत सी जगहों पर ऐसा हुआ। दरअसल यह वाकयात हमें यह देखने का मौका देते हैं कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक इन छोटे छोटे मामलात पर फौरी काबू पाने और हालात को मालूम पर लाने में कामयाब होता है। मुझे यह कहते हुये निहायत अफसोस है कि जहां जहां भी हमने देखा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन

[श्री अ० मु० तारिक]

आजादी के बाद कहीं पर भी अपने आप को इस काबिल नहीं बता सका कि हम उस पर पूरा ऐतमाद कर सकें ।

हमें निहायत अफसोस है कि तीन तारीख को एक वाकया होता है, एक बहुत शर्मनाक वाकया होता है और मैं बहैसियत एक हिन्दुस्तानी के नदामत महसूस करता हूं । मेरे मजहब में यह जायज नहीं है कि मैं किसी भी मजहब की या खुद अपने मजहब की किसी भी गैर औरत की अस्मत पर हाथ डालूं । मैं किसी भी औरत की अस्मत पर हाथ डालूं यह मेरे मजहब ने ममनून करार दिया है । मैं उस शख्स को जिसने यह शर्मनाक फैल किया इस लिहाज से नहीं देखता कि वह मुसलमान है या कौन है । यकीनी तौर पर उस इंसान का वह फेल एक गैर इंसानी फेल है और वह सजा के काबिल है । ३ तारीख को यह वाकया हुआ । ४ और ५ तारीख को कुछ नहीं होता । ६ और ७ को भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । जब वहां की हुकूमत को यह इल्म हुआ कि यह वाकया एक ऐसी शक्ल अखत्यार कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जहां दो फरीकों के दरमियान फसादात का ऐहतमाल है, हमारी हुकूमत के लिये यह निहायत आसान बात थी कि उस इलाके के गुंडों को क्योंकि हुकूमत बखूबी जानती हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो कि इस तरह की शरारतें करते हैं और फसादात बरपा करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेती । अब हुआ यह कि जिन साहब के फरजंद ने यह काम किया उनके मकान पर तो पुलिस ने पहरा बिठा दिया क्योंकि यह मालूम हो गया था कि यहां पर हमला होगा लेकिन उन गरीबों का जिनका कि उस वाकये से कतई कोई ताल्लुक नहीं था उन की पुलिस ने कोई हिफाजत नहीं की । मुझे इंतिहाई अफसोस है कि कल मेरे एक दोस्त ने शायद महाराजा साहब टिहरी गढ़वाल ने यह फरमाया था कि उन्हें निहायत अफसोस है कि डाक्टर काटजू ने यह क्यों कहा कि जबलपुर शमशान भूमि बन गया है । फील्ड मार्शल अय्यूब खां इसे ऐक्सप्लाएट करते हैं तो हम कोई फील्ड मार्शल अय्यूब खां के गुलाम नहीं हैं । यह हमारा मुल्क है । इस मुल्क में हम ४० करोड़ लोग बसते हैं । हम में अच्छे लोग भी हो सकते हैं और बुरे लोग भी हो सकते हैं । यहां पर हिन्दू भी बसते हैं और मुसलमान भी बसते हैं । इस मुल्क में मैं समझता हूं कि बहैसियत एक इंसान के मुझ से ज्यादा कोई दूसरा फर्द हिन्दुस्तान की निजाम हुकूमत पर हक नहीं रखता चाहे उसका नाम श्री महावीर त्यागी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो । मैं बराबर का शरीक हूं इस मुल्क की हुकूमत के चलाने में क्योंकि इस हुकूमत की नींव को मैंने भी उसी तरह से मजबूत करने में हिस्सा लिया है जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या और किसी शख्स ने । मैं किसी के सामने इस मुल्क में वहैसियत एक मुसलमान के या वहैसियत एक इंसान के इनफीरियारिटी कम्प्लेक्स फील नहीं करता । मैं अपने को किसी इंसान से कम नहीं समझता । मुझे यहां की जम्हूरियत पर पूरा हक हासिल है । मैं क्या फील्ड मार्शल अय्यूब खां से पूछ सकता हूं कि क्या आज से दो साल कब्ल आपने हुकूमत हासिल करने के लिये पाकिस्तान में खुद मुसलमान को मुसलमान से नहीं लड़वाया था ? क्या यह हकीकत नहीं है कि सयालकोट और लाहौर के बाजार में आपने खुद मुसलमानों को जिंदा जलवाया जब कि आप कुरान को मानते हैं और यह जानते है कि कुरान में आग हराम है । आपने वहां पर १७, १८ मुसलमानों को जिन्दा जलवाया लेकिन हम ने यह समझ कर कि यह उनका अपना मामला है हमें उसमें कोई मदाखलत नहीं करनी चाहिये, हम ने अपनी जबान नहीं खोली । काश्मीर पर जिस वक्त पाकिस्तान की फौजों ने पठानों की शक्ल में हमला किया तो मकबूल शेरवानी के मत्थे पर किस ने कील ठोंकी, उसके हाथ पर किस ने कील ठोंकी और किस ने उनके सीने पर १७ गोलियां चलाईं ? इसी तरह मुजफ्फराबाद जल में मौलवी अब्दुल अजीज के बदन के किस ने १७ टुकड़े किये ? उस

इंसान ने जब उसके बदन के १७ टुकड़े किया जा रहे थे तो उसके आखिरी अल्फाज थे "हिन्दुस्तान जिन्दाबाद"

हम हिन्दुस्तान में रहते हैं। यह हमारा मुल्क है। इस मुल्क के मामलात कुछ हमारे अगर कहीं बुरे हों तो हम इस डर से कि उनका फायदा कोई दूसरा उठायेगा अपनी खामियों को और अपनी कमियों की मंजर आम न लायें, मुनासिब चीज न होगी। हमें अपनी खामियों को और कमजोरियों को सामने लाना चाहिये।

कल मेरे दोस्त श्री वाजपेयी ने फरमाया था कि इस जबलपुर के वाकये के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब अगर यह हकीकत हो तो हम ऐसे लोगों को बख्श नहीं सकते जो कि इस मुल्क में किसी और दूसरे की ताकत के बलबूते पर चाहे वह पाकिस्तान हो या और कोई हो, देश के अंदर बदअमनी पैदा करते हैं और फसादात करना चाहते हैं। हमारी हुकूमत का यह अव्वलीन फर्ज है कि इस साजिश को बेनकाब कर दें और यह साबित करें कि इस के पीछे कोई गैर-मुल्क का हाथ है लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेकर और पाकिस्तान के बहाने मुझ को मरूब करने की कोशिश न कीजिये क्योंकि उससे आप एक शिकायत को और एक जायज शिकायत को गुस्से की शकल में बदल देना चाहते हैं जोकि ठीक बात न होगी। अगर मुझे कोई शिकायत है और मैं उसके बारे में आप के पास शिकायत करूं तो आप अगर उसको यह कह कर खत्म कर देते हैं कि इसके पीछे किसी और मुल्क का हाथ है, तो आप मेरी शिकायत को गुस्से की शकल देते हैं। अब यह गुस्सा आज भड़के या कल को भड़के लेकिन यह किसी न किसी दिन भड़क कर रहेगा। आप को हमारे ऊपर यकीन करना चाहिए। आप को यह देखना चाहिए कि बहैसियत एक मुसलमान के मैं ने पाकिस्तान को कभी तसलीम नहीं किया। पाकिस्तान को तसलीम किया आप ने और यहां की अक्सरियत ने। हम नेशलिस्ट मुसलमानों को इस बात का फख्र है कि हम ने आखिरी वक्त तक पाकिस्तान को नहीं माना। आज आपके पी० एस० पी० के नेता श्री अशोक मेहता और कांग्रेस के नेताओं ने, मुझे यह कहने में कोई ताम्मुल नहीं है कि उन्होंने चन्द महीनों की वजारत या चंद घंटों की ताकत हासिल करने के लिए फिरकापरस्तों से कोआपरेट किया। वैसे मैं श्री अशोक मेहता का ऐहतराम करता हूं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है लेकिन इस मुल्क की अजसरे नौ फिरकावाराना जमात मुस्लिम लीग को जिंदा करने में जितना अहम पार्ट उनका रहा है, उतना शायद और किसी का न रहा होगा और हम उस पर कोई फख्र नहीं कर सकते।

आज हम नेशनलिस्ट मुसलमान अपने को इस हिन्दुस्तान में जिसकी कि तवारीख हमारे खून से लिखी गई है और जिससे कि कोई मोअरिक्ख इंकार नही कर सकता, आज अपने को यहां पर बेबस पाते हैं। हमारे साथ जो सलूक हो रहा है वह इस शेर से वाजे हो जायगा:

"जाहिद तंग नजर ने काफिर मुझे जाना
काफिर यह समझता है कि मुसलमां हूं मैं।"

हम पर कभी यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम पाकिस्तान के एजेन्ट हैं। यह आपको जेबा नहीं देता। आपको देखना चाहिए कि हकीकत क्या है।

मेरे एक दोस्त श्री फरीदुल हक अंसारी जो कि दूसरे ईवान के मैम्बर हैं वह जबलपुर गये और उनके सामने यह वाकया आया कि वहां जिस वक्त बाजार में गोली चली तो उन में एक ऐसा आदमी भी शामिल था जिसके कि पास पाकिस्तान का पासपोर्ट था।

[श्री अ०, मु० तारिक]

उसके हाथ में गन थी और बाजार में दो तीन गंस पड़ी हुई थीं। अब अगर यह वाकया दुरुस्त हो कि वह पाकिस्तान का मुसलमान था और उसने बंदूक चलाई तो उसके लिए कानून है लेकिन उसका आप मुझ से बदला नहीं ले सकते। ऐसे बेगुनाह मुसलमानों के साथ जिनका कि उस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं था और जिन बेचारों को उसकी खबर तक नहीं पहुंची थी उनके साथ यह जबलपुर, सागर और दूसरी जगहों पर आखिर यह जुल्म क्यों हो रहा है? यह हकीकत है कि उन को मारा गया। एक बहुत पुरानी साजिश इस मुल्क में सैकुलरिज्म को नाकामयाब करने के वास्ते होती चली आई है . . .

†श्री आचार (मंगलौर) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य अंग्रेजी या हिन्दी में नहीं बोल रहे हैं।

काजी मतीन (गिरडीह) : जब उर्दू को कांस्टीट्यूशन ने १४ जुबानों में से एक जुबान माना है तो फिर यह अजीब तरह का एतराज है और इस तरह का एतराज करना बेकार है।

†श्री आचार : लोक सभा नियमों के अधीन यदि भाषण अंग्रेजी या हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में दिया जाय तो भाषण के अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद की एक प्रति अध्यक्ष महोदय के पास पहले से भेजी जानी चाहिये।

†सभापति महोदय : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

श्री अ० मु० तारिक : मुझे इन्तहाई अफसोस है कि मैं अपनी तकरीर अपने दोस्त को नहीं समझा सकता, लेकिन चन्द सालों में मैं कोशिश करूंगा।

जनाबे वाला, मैं आप की तवज्जह इस तरफ दिला रहा था कि यह सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, यह हिन्दुस्तान में रहने वाले वाशिन्दों का भी मसला है। मुझे वे वाकयात याद हैं—हम उन को भूल नहीं सकते—कि जब १९४७ में यहां ओखला के करीब चन्द मुसलमानों पर हमला हो रहा था और यह सुन कर हिन्दुस्तान का वजीरे आज़म सुबह ५ बजे वहां पहुंचता है और उस के पीछे पुलिस पहुंचती है, देहरादून में किसी मकान में मुसलमानों को बन्द किया जाता है, तो पीछे से महावीर त्यागी दाखिल हो कर एलान करता है कि अगर तुम मुसलमानों को जिन्दा जलाओगे, तो मैं भी जल जाऊंगा, बम्बई में मुसलमानों पर हमला होता है, तो श्री मोरारजी देसाई स्टेटमेंट देते हैं कि अगर बम्बई में किसी हिन्दू ने एक मुसलमान को मारा, तो मैं दो हिन्दुओं को गोली से उड़ा दूंगा और अगर किसी मुसलमान ने एक हिन्दू को मारा, तो मैं दो मुसलमानों को गोली से उड़ा दूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे वतन-परस्त कहां गये, वे नेता कहां गये, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, तो वे लोग कहां गये, जो जम्हूरियत और सैकुलरिज्म को मानने वाले हैं, जिन का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने पी० एस० पी० के मेम्बर, कितने कम्यूनिस्ट पार्टी के मेम्बर और कितने कांग्रेस के कारकुन और वालंटियर वहां थे। आखिर चुन चुन कर बेगुनाह हिन्दू और बेगुनाह मुसलमान क्यों मारे गये? जनाबे वाला, मैं आप की तवज्जह और इस ऐवान की तवज्जह इस मसले की

†मूल अंग्रेजी में

तरफ सिर्फ इसलिए दिलाना चाहता हूं कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से देखें कि क्या हमारी हुकूमत चलाने में कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं, जो हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं, जो फसादियों को शह देते हैं ।

गोआ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जिस तरह से गोआ को भूल बैठे हैं, वह यकीनन हमारे लिये कुछ फख्र का मुकाम नहीं है । अभी चन्द दिनों की बात है, गोआ के कुछ लोग यहां आये थे । उन्होंने हम तमाम लोगों को वहां के हालात से रूशनास किया । उन की ख्वाहिश थी कि हम हिन्दुस्तान के लोग इस मौके पर, जब खुद पुर्तगाल में ऐसे हालात पैदा हो गये हैं और वहां की जम्हूरी ताकतों ने वहां की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ बगावत की है, गोआ का पूरा साथ दें ।

कल एक मुअजिज मेम्बर ने जेनरल थिमैया का किस्सा इस ऐवान में लाया । मैं बहैसियत एक काश्मीरी के जितना जेनरल थिमैया को जानता हूं और जितना नाज हम को उन पर है, शायद आनरेबल मेम्बर को नहीं होगा, लेकिन हमें यह भी हक है कि अगर हमारे जेनरल---सिर्फ फौजी जेनरल ही नहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फर्द भी---ऐसी कोई हरकत करते हैं, जिस को कोई बाहर का मुल्क खुद हमारे मुल्क के खिलाफ एक्सप्लायट करे, तो हम उस को ऐवान में लायें । हम यह नहीं चाहते कि दूसरी आपोजीशन पार्टीज उस को एक्सप्लायट करें, ताकि वे लोगों पर अपना असर डालें । वे यकीनन इस मुल्क के साथ इन्साफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे इस मुल्क के इन्तजामिया मामलात में एक बदतरीन आपोजीशन का रंग दे कर यहां के मुलाजमीन और आला अफसरों को एक गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं ।

इन चन्द अलफाज के साथ मैं सदरे जम्हूरिया की तकरीर का खैर-मकदम करता हूं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव): सभापति जी, परसों से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो भाषण-माला चल रही है, उसमें एक बात विशेष रूप से प्राय: सभी वक्ताओं ने चर्चा का विषय बनाई है और वह है भारत सरकार की विदेश नीति । मैं नहीं कह सकता कि यह हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य कि कुछ समय से धीरे-धीरे हमारी इस तरह की नीति बनती जा रही है कि हमारे मस्तिष्क की सोचने की धारा कुछ अधिक मात्रा में विदेशों के सम्बन्ध में अग्रसर हो रही है । हमारे प्रधान मंत्री जी की, जो कि सौभाग्य से हमारे विदेश मंत्री भी हैं, रुचि आरम्भ से ही विदेशी मामलों में रही है और विदेश मंत्री होने के साथ साथ वह वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में समय समय पर अपना वक्तव्य देते रहते हैं । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे प्रधान मंत्री के वक्तव्यों को केन्द्र-विन्दु मान कर न केवल भारतीय प्रशासन की अपितु भारतीय समाचारपत्रों और प्रसारण संस्थाओं की नीति धीरे-धीरे इस प्रकार की बनती जा रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की ओर हमारा झुकाव बढ़ रहा है और राष्ट्रीय समस्यायें धीरे-धीरे हमारी आंखों से ओझल हो रही हैं ।

इसमें सन्देह नहीं कि पराधीन राष्ट्रों के साथ हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि हम स्वयं पराधीन रह चुके हैं और जानते हैं कि पराधीनता में किसी देश को कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसलिए एक पराधीन राष्ट्र के साथ हमारी सहानुभूति होना स्वाभाविक है । किंतु जब हम इन तमाम बातों की चर्चा करते हैं कि अल्जीरिया में क्या हो रहा है, लाओस में क्या हो रहा है, कांगो में क्या हो रहा है, लुमम्बा की हत्या किस प्रकार हुई

[श्री प्रकाशवीर शस्त्री]

है और अफरीका में क्या स्थिति होने जा रही है, तो हम जरा अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखें कि जिस देश के हम निवासी हैं, उसकी स्थिति कहीं धीरे-धीरे विषाक्त तो नहीं हो रही है कि कल चल कर यही नीति अपने पैरों पर कुल्हाड़ा बन कर लगे। मेरा नम्रता के साथ निवेदन यह है कि जब हम विदेशों की समस्याओं के सम्बन्ध में विस्तार से सोचते हैं, तो हमें अपने देश की समस्याओं को दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहिए।

अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि भावनगर में कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर हमारे देश के एक नेता श्री मोरारजी देसाई ने राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव उपस्थित किया। समाचारपत्रों में यह बात पढ़ कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं और सरकार के प्रशासकों का ध्यान इस ओर गया है कि राष्ट्रीय एकता को किस प्रकार पुष्ट किया जाये। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि राष्ट्रीय एकता की पुष्टि के लिए प्रस्ताव उपस्थित करते समय क्या हमारे देश के नेता इस बात पर विचार कर रहे थे कि उनके घर में, उनके दायें बायें इस प्रकार के आदमी तो नहीं छिपे बैठे हैं, जो राष्ट्रीय एकता को भंग कर रहे हैं, या जिन से राष्ट्रीय एकता छिन्न-भिन्न और तितर-बितर होती जा रही है? अगर आप मुझे आज्ञा दें, तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में, जो कि साढ़े छः करोड़ निवासियों का प्रान्त है, उन साढ़े छः करोड़ लोगों का भाग्य जिस सरकार के हाथ में है, उसकी जो स्थिति एक वर्ष से रही है और प्रशासकों में आपस में जो विवाद और चर्चाएं चल रही हैं, वे आये दिन समाचारपत्रों में आती हैं। कल, परमात्मा न करे, सीमा पर किसी प्रकार की दुर्घटना घटी, तो जिन लोगों को अपनी लड़ाई से फुरसत नहीं, क्या वे अपने साढ़े छः करोड़ निवासियों के प्रान्त को बचायेंगे, देश की रक्षा करेंगे और विदेशी सेनाओं का सामना करेंगे?

यह केवल एक प्रान्त की स्थिति नहीं है, दुर्भाग्य से इस समय कोई प्रान्त ऐसा नहीं है, जिसमें प्रशासक वर्ग के अन्दर और उन लोगों में, जो उनके सहयोगी होते हैं, आपस में टकराव न हो। उनकी घरेलू राजनीति से मेरा किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, लेकिन जहां तक देश की सुदृढ़ता का सम्बन्ध है, देश के वातावरण को पुष्टि देने का सम्बन्ध है, मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, जो इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। अगर आप श्री अजित प्रसाद जैन की आसाम के दंगों के सम्बन्ध में रिपोर्ट को देखें, तो क्या आप निष्पक्ष रूप से कह सकते हैं कि आसाम के दंगों के पीछे उसी दल के लोगों का हाथ नहीं था, जिन्होंने भावनगर में राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव पास किया था। क्या यह भी सत्य नहीं है कि इस दिल्ली शहर के अड़ोस-पड़ोस के ऐसे नेता हैं, जो इस सदन में बैठते हैं और जो गवर्नमेंट की नीति के विपरीत बाहर नारा लगाते हैं कि महादिल्ली का प्रान्त बनना चाहिए और उसका विस्तार होना चाहिए? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सत्तारूढ़ दल पहले अपने घर में प्रायश्चित की नीति अपनाये। वहां पर इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा नहीं हो रही है। राष्ट्रीय एकता का वातावरण पुष्ट करना अत्यन्त अपेक्षित है, लेकिन उसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सत्तारूढ़ दल आत्म-शुद्धि करे और यह देखने का प्रयत्न करे कि इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति किस प्रकार की है।

जहां तक हमारे देश के आर्थिक वातावरण का सम्बन्ध है, मुझे यह देख कर दुख हुआ कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि हम आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़े हैं। लेकिन

मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि १९५९-६० में हमको जो व्याज देना पड़ा, उसकी रकम ११२ करोड़ रुपए थी। जो देश इतना कर्जदार है, उसके निवासियों को इतना अवकाश है कि वे ब्रिटेन की सम्राज्ञी, महारानी, एलिजाबेथ, के अभिनन्दन पर करोड़ों रुपये खर्च करें। कम से कम उन लोगों को यह समझना चाहिए, जो कि गांधीजी को अपना आदर्श मान कर चलते हैं। महात्मा गांधी जिस समय इंग्लैंड में जार्ज पंचम से मिलने गये और उनको कहा गया कि दरबारी पोशाक में जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी दिन-रात की पोशाक, घुटने तक की धोती में जाऊंगा और इसका कारण उन्होंने यह बताया कि जिस देश की नुमायंदगी करने के लिए मैं यहां पर आया हूं, दुर्भाग्य स वहां पर मरे करोड़ों भाई इस प्रकार के हैं, जिन के शरीर पर घुटने तक की धोती भी नहीं है। आज उस दश के प्रशासकों को इतना अवकाश है कि वह करोड़ों रुपये अभिनन्दनों पर व्यय करें। आज हमें इस बात का निश्चय पूर्ण रूप से लेना चाहिए कि इस प्रकार के महंगे अभिनन्दनों की परम्परा को समाप्त कर दिया जाये। कम से कम महारानी एलिज़ाबेथ के सम्बन्ध में उस पर रोक लगा देनी चाहिए। हमारा देश अभिनन्दन करे, लेकिन दूसरे देशों में अभिनन्दन की जो परम्परा है, उसकी तुलना में यह हमारा गरीब देश जितना महंगा अभिनन्दन करता है, वह हमारे लिए शोभा की बात नहीं है।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं यह है कि राष्ट्रीय एकता के वातावरण को स्थापित करने के लिए हमको विशेषकर उन प्रान्तों की स्थिति को देखना होगा जो कि सीमावर्ती प्रान्त हैं और दूसरे देशों की सीमाओं से जिनकी सीमायें जा कर टकराती हैं। पंजाब का प्रदेश इसी प्रकार का एक प्रदेश है। दुर्भाग्य से जैसे अभी चर्चा कुछ हुई कि पंजाब की स्थिति बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल इसी प्रकार की है जिस प्रकार की स्थिति कि एक तपेदिक के रोगी की होती है। ऊपर से देखने में वह भला चंगा लगता है....

श्री प्र० सिं० दौलता : हम बिल्कुल तन्दुरुस्त हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : आप यह बात इसलिए कह रहे हैं कि आप उधर चले गए हैं। कल तक आप इधर थे तो इस चीज का आप समर्थन करते थे।

पंजाब की स्थिति इस प्रकार की है कि उसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कल तक पंजाब के अन्दर एक आन्दोलन चल रहा था जोकि अब समाप्त हो चुका है। इस आन्दोलन का केन्द्रीय सरकार के इशारे पर और केन्द्रीय सरकार के संकेत पर पंजाब की सरकार ने जिस दृढ़ता के साथ मुकाबला किया, उसके लिए मैं केन्द्रीय सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आन्दोलन की समाप्ति से यह न समझ लिया जाए कि पंजाब की स्थिति सर्वथा शान्त हो गई है। अभी जैसी मेरी अपनी जानकारी है केन्द्रीय सरकार की ओर से असम और पंजाब के सम्बन्ध में पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है कि वहां जो जनगणना हो उसमें कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और अधिकृत आंकड़े प्राप्त हो जायें।

इतनी सावधानी बरते जाने के पश्चात् भी जितनी अपेक्षा की जाती थी कि शुद्धि का वातावरण बने, वह शुद्धि का वातावरण नहीं है। न केवल जन-गणना के सम्बन्ध में बल्कि साधारण निर्वाचनों की जब स्थिनि आई थी तो एक अप्रिय घटना घटी थी। वह आने वाली भयंकर भविष्य का संकेत करती है। अगर पंजाब जैसे सीमावर्ती प्रान्त के अन्दर शान्ति का वातावरण बनाये रखना है तो सामान्य निर्वाचनों से छः महीने पहले से पंजाब में राष्ट्रपति का शासन हो जाना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो पंजाब

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

की स्थिति ठीक रह सकेगी । न केवल इतना बल्कि मैं यह भी चाहता हूं कि अगर हमें अपनी सीमा को पुष्ट करना ह, तो हमको हमारे जो भाग पाकिस्तान की सीमा के साथ जाकर टकराते ह, उनको विशाल प्रान्त बनाना होगा । अभी तक तो हम प्रान्तों को छोटा बनान पर जोर देते आए हैं और इसक लिए आन्दोलन करते आए हैं लेकिन अब समय आ गया है जबकि हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा । पंजाब को, हिमाचल प्रदेश को, राजस्थान को और यू० एन० ओ० अगर हमारी समस्या का समाधान कर दे तो काश्मीर को भी मिला कर के, इसको भारत का एक सुदृढ़ और विशाल प्रान्त बनाना चाहिए ताकि हमारी सीमा की रक्षा हो सके । इस प्रकार की स्थिति आनी चाहिए ।

अब मैं अल्पमत को जो संरक्षण दिये गये है उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारी सरकार की जो नीति है हम और हमारा देश उसके समर्थक रहे हैं और समर्थन इस दृष्टि से कर रहे हैं कि अल्पमत के जितने भी निवासी हमारे देश में हैं, वे चाहे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हों या दूसरी दृष्टियों से पिछड़े हुए हों, उनको संरक्षण प्राप्त होना चाहिये । लेकिन जैसा कि मैंने कुछ दिन पूर्व निवेदन किया था और आज फिर उसको दौहराना चाहता हूं कि अल्पमत को संरक्षण देने का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि हम उस संरक्षण को तुष्टीकरण की नीति में परिवर्तित कर दें जिससे कि आगे चल कर वातावरण बनने के बजाय बिगड़े । कल परसों और आज भी जबलपुर में जो कुछ हुआ है उसकी विस्तार से यहां चर्चा की गई है । क्या मैं पूछ सकता हूं कि जबलपुर काण्ड पर जब इतने विस्तार से चर्चा की जा रही है तो सात तारीख को वहां क्या हुआ ? यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह वहां के अधिकारियों की रिपोर्ट पी० टी० आई० जोकि आपकी अधिकृत न्यूज एजेंसी है उसकी रिपोर्ट है कि तीन तारीख को वहां पर घटनायें घटी, चार पांच और छः, इन दिनों बराबर शान्ति बनी रही और शान्ति की स्थिति को देखते हुए अगर मिलिट्री को वापिस बुला लिया गया तो क्या बुरा किया और मिलिटरी वहां पर ड्यूटी पर हमेशा लगी नहीं रह सकती थी, लेकिन सात तारीख को मुसलमानों की ओर से फिर से आन्दोलन शुरू हुआ, अल्ला हू अकबर के नारे लगाये गये और इस प्रकार की चीजें चलीं और उसके पश्चात् यह आन्दोलन आया और आगे चल कर शान्तिपूर्ण वातावरण बिगड़ा । मैं कहना चाहता हूं उपद्रव किसी ओर से भी किया जाये, चाहे मुसलमानों की ओर से या हिन्दुओं की ओर से, उसकी निन्दा की जानी चाहिये और मैं उसकी निन्दा करता हूं । लेकिन जबलपुर की घटनाओं की चर्चा करते वक्त हमारे मित्र क्यों भूल जाते हैं इस बात को कि क्या यह तथ्य है या नहीं कि फिरोजाबाद की एक मस्जिद से विजय दशमी के जुलूस पर बम फेंका गया था, भोपाल में, मुबारकपुर में होली के जुलूस के वक्त किस प्रकार की स्थिति लाई गई थी और किस प्रकार की घटनायें घटी थीं, कल परसों की ही बात है सीतामढ़ी के अन्दर क्या काण्ड हुआ है, केरल में त्रिचूर के अन्दर क्या काण्ड हुआ है ? मैं शासन का ध्यान एक दूसरी बात की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं । गृह मंत्री जी से मैंने एक प्रश्न पूछा था कि हमारे देश में कितने पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं जो पाकिस्तान से आ कर अपने रिश्तेदारों से मिलने के बहाने यहां पर निवास करते हैं । इसका उत्तर देते हुए गृह मंत्री ने बताया था कि ३१ दिसम्बर, १९५९ को हमारे देश में ५७,१४४ पाकिस्तानी नागरिक निवास कर रहे थे । मैंने उनसे पूछा था कि ५७,१४४ जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जोकि हिन्दुस्तान में रह रहे हैं क्या इनमें कोई इस प्रकार के भी हैं जिन के पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई है और गैर-कानूनी तरीके से हिन्दुस्तान में रह रहे हैं ? गृह मंत्री जी ने इसके उत्तर में कहा था कि पंजाब प्रान्त के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं और पंजाब के अतिरिक्त दूसरे प्रान्तों में करीब साढ़े पांच हजार पाकिस्तानी नागरिक ऐसे हैं जो बिना पासपोर्ट के हिन्दुस्तान में आ कर रह रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि ये जो बिना पासपोर्ट के साढ़े पांच हजार हिन्दुस्तान में रह रहे हैं और ५७,१४४ जोकि रिश्तेदारों से मिलने के बहाने रह रहे हैं, ये कैसे रह रहे हैं ? क्या गवर्नमेंट के पास इस प्रकार

की इत्तला है कि फरीद उल हक अन्सारी ने या किसी ने यह कहा है कि जबलपुर के काण्ड में फिरोजाबाद के काण्ड में, मुबारकपुर के काण्ड में, सीतामढ़ी के कांड में पाकिस्तान से आये हुए नागरिकों का हाथ रहा है ? मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया से इस बात को दृढ़ शब्दों में कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को पासपोर्ट देने के सम्बन्ध में आप अपनी नीति के अन्दर सख्ती बरतें, जो हमारे राष्ट्रीय वातावरण में आ कर इस प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं, देश में शान्ति के वातावरण को विषाक्त बनाते हैं, उनके प्रति दृढ़ता बरतें और आगे के लिये अपनी नीति में परिवर्तन लायें ।

एक और बात है जिस पर मुझे थोड़ा सा दुःख हुआ है और उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । यह कल परसों की ही घटना है । ईसाई प्रचारक अगर अल्पमत के नाम पर संरक्षण पायं और हम उनको संरक्षण दें और वे धार्मिक प्रचार करें, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन हमारे देश में करोड़ों रुपये विदेशों से आ रहे हैं । एक अनस्टार्ड प्रश्न का उत्तर देते हुए १८ फरवरी, १९६१ को गृह मंत्री महोदय ने बताया था कि हमारे देश में पिछली तीन सालों में ईसाई धर्म के प्रचार के लिये ३९ करोड़ ३२ लाख रुपया आया है । ३९ करोड़ ३२ लाख रुपये की सूचना देते हुए कि किस देश से कितना आया, गृह मंत्री महोदय ने नीचे एक टिप्पणी में कहा है कि यह सूचना प्राप्त नहीं है कि इस राशि का कितना भाग विशुद्ध रूप से ईसाई प्रचार के लिये अभीष्ट था । आप अनुमान लगायें कि करोड़ों अरबों रुपया हिन्दुस्तान में आ रहा है और उसके कितने हानिकर परिणाम निकल सकते हैं । सीमा के क्षेत्र में इससे एक नागालैंड बना है और अगर इस प्रवृति को हम बरदाश्त करते चले गये तो पता नहीं आने वाले वर्षों में कितने नागालैंड आपको बनाने पड़ेंगे । झारखंड बनाने के लिये मांग आपके सामने है, केरल में भी इसी प्रकार की स्थिति बनती जा रही है । तमाम आन्दोलन जो इस प्रकार के हैं उनके पीछे ईसाई प्रचारकों का हाथ है और इसको आपको देखना होगा और उसके सम्बन्ध में विचार करना होगा ।

एक बात मैं हिन्दी के सम्बन्ध में कह कर अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाऊंगा । राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में यह कहा है कि प्रशासन में हिन्दी को स्थान देने की दिशा में उन्नति हुई है । हिन्दी के विकास और प्रचार के सम्बन्ध में सरकारी निर्णयों को कार्यरूप देने के लिये एक केन्द्रीय हिन्दी विभाग की स्थापना की गई है । इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ, लेकिन किस प्रकार इसको व्यवहारिक रूप दिया जा रहा है, प्रशासन में हिन्दी की क्या स्थिति है उसको आप देखेंगे तो बिल्कुल दूसरी तसवीर आप देखेंगे । सभापति महोदय, यह स्थिति बिल्कुल इसी प्रकार की है जैसे इलाहाबाद के कुछ यात्री बनारस में एक बार रात्रि में नाव से यात्रा करना चाहते थे और उन्होंने सोचा कि शराब पी कर सफर करते चलेंगे, बड़ा आनन्द रहेगा और पतवार चलाते हुए चलेंगे । नाव चलाते हुए चलेंगे । वे पतवार चलाने लग गये और सारी रात चलाते गये । क्योंकि वे शराब के नशे में थे वे नाव की रस्सी को खोल नहीं सके, उनको खयाल ही नहीं आया कि रस्सी को खोल दिया जाये । अगले दिन प्रातः उन्होंने देखा कि नाव जहां की तहां ही थी । यही हाल केन्द्रीय प्रशासन की हिन्दी सम्बन्धी नीति का है । राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आगे किस आधार पर बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, इसका अनुमान आप भी लगा सकते हैं । इसका अनुमान आप लोक सभा की कार्रवाई देख कर लगा सकते हैं । सिवाय पांच दस माननीय सदस्यों के, जो हिन्दी में बोलते हैं जब हम लोक सभा की कार्रवाई को दखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष की लोक सभा का अधिवेशन नहीं बल्कि इंग्लैंड में किसी पार्लियामेंट का अधिवेशन हो रहा है । मुझे क्षमा किया जाये जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसके लिये । क्या मैं सामने बेंचिज पर बठने वाले माननीय सदस्यों से पूछ सकता हूं कि १९३६ में, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनती थीं, आपने गांधी जी से जा कर पूछा था कि हम विधान सभाओं में जा कर किस भाषा का

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

प्रयोग करें, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था ? आप अपने हृदयों पर हाथ रख कर बतायें कि क्या उन्होंने आपको यह परामर्श नहीं दिया था कि आप वहां जा कर हिन्दी भाषा का प्रयोग करें ?

लेकिन आज स्वतंत्र होने के बाद क्या इस प्रकार की प्रवृत्ति है कि हम उसका पालन करें ? दस वर्ष हो गये हैं जब हमने अपने संविधान में इसको स्थान दिया था । अभी भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की स्थिति क्या है, राष्ट्रपति जी ने एक आदेश निकाला था और उस आदेश में जो कि २७ अप्रेल, १९६० को निकाला था राष्ट्रपति जी ने लिखा था कि अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च पदों के ऊपर हम यह चाहेंगे कि यू० पी० एस० सी० के द्वारा जो नियुक्तियां हों वे अंग्रेजी के माध्यम के साथ साथ हिन्दी के माध्यम से भी हों । लेकिन अभी पिछले जुलाई में ३६ इस प्रकार के स्थान निकले थे जो सैंट्रल इनफार्मेशन सर्विस के थे । इस केन्द्रीय सूचना सेवा के सम्बन्ध में यह लिखा था विज्ञापन में कि इस में तीन पर्चे होंगे, दो पर्चे तो विशुद्ध रूप से केवल अंग्रेजी के होंगे और एक पर्चा इस प्रकार का होगा जिसमें भारत की तेरह भाषाओं में से किसी भाषा को माध्यम बनाकर परीक्षा दी जा सकती है । थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि कुल तीन सौ नम्बर थे । अब दो सौ नम्बर तो विशुद्ध रूप से अंग्रेजी के हो गये और केवल सौ नम्बर भारतीय भाषाओं के माध्यम के परीक्षा-पत्र के लिए रह गये । जब ऐसी स्थिति है तो कैसे कहा जा सकता है कि केन्द्रीय प्रशासन में हिन्दी को गति दे रहे हैं । अब जबकि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में ये पंक्तियां लिखी हैं तो आप यह भी देखें कि आगे के लिये यह जो दुर्बलता है, यह हटे ।

हमारे यहां वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में ज्यादा चर्चायें होती हैं । और कुछ हो या न हो, इतना अवश्य होना चाहिये कि भारतसरकार को अब थोड़ा हिलने जुलने की प्रवृत्ति अवश्य चालू करनी चाहिये । हमारे विमान पाकिस्तान की सीमा में जायें वे तो वहां गिराये जा सकते हैं, अमरीका के विमान रूस के अन्दर जायें, वे तो गिराये जा सकते हैं लेकिन हमारी सीमाओं में जो दूसरे देशों के विमान आते हैं, हम उनको सुरक्षित वापिस चले जाने देते हैं, इस भय से कि किसी दूसरे के विमान गिराने से लड़ाई न हो जाये । अमरीका के विमान रूस ने गिराये, लड़ाई नहीं हुई, हिन्दुस्तान का विमान पाकिस्तान ने गिराया लड़ाई नहीं छिड़ी, चीन के विमान भारतीय सीमा का उल्लंघन करें और लौट कर सुरक्षित वापिस चले जायें और हमारी केन्द्रीय सरकार बराबर वक्तव्य देकर कहती है कि इतनी बार आये थे और लौट कर चले गये, क्या यह भारत सरकार की दृढ़ नीति का परिचायक है ? अब समय आ गया है कि थोड़ा सा हमको इस विषय में दृढ़ता से पग उठाना चाहिये और भारत सरकार की इस प्रकार की प्रवृत्ति का परिचय देना चाहिये कि जिस से देश को कम से कम इस दिशा में सन्तोष हो कि आगे आने वाली किसी विपत्ति का सामना भारत सरकार दृढ़ता के साथ कर सकती है ।

†**श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

हमारे लिये अभिभाषण का सब से महत्ववपूर्ण भाग वही है कि जिसमें भारत और चीन के सीमा-विवाद का उल्लेख है । चीन ने जम्मू तथा काश्मीर की संवैधानिक प्रतिष्ठा को मान्यता नहीं दी है ।

काश्मीर की सारी जनता अपने आप को भारत का एक अविभाज्य अंग मानती है । यह चीन की बहुत बड़ी ज्यादती है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस मामले में वार्ता के आधार पर हम कितना आगे बढ़ सकेंगे । हमें चीन के साथ तब तक कोई वार्ता नहीं करनी चाहिये जब

†मूल अंग्रेजी में

तक कि वह पाकिस्तान के साथ काश्मीर के समझौते की बात करना बन्द नहीं कर देता। मुझे विश्वास है कि जम्मू तथा काश्मीर की जनता की भांति शेष समूचे देश की जनता भी इस से काफी उत्तेजित्त है। सरकार को दृढ़ता से अपना दृष्टिकोण पेश करना चाहिये ।

कम्युनिस्ट चीन ने तथा-कथित आजाद काश्मीर के साथ बात चला कर विचित्र सी परिस्थिति पैदा कर दी है । इसी तरह हम भी कह सकते हैं कि हम फारमोसा की चीनी सरकार के साथ बात करेंगे, उसी को मान्यता देंगे ।

मैं कम्युनिस्ट पार्टी के हाल के उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं, जिस में उस ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में वह जम्मू तथा काश्मीर को भारत का एक अविभाज्य अंग मानती है और कम्युनिस्ट चीन का समर्थन नहीं करती । यदि इस पर भी कम्युनिस्ट चीन अपनी नीति नहीं बदलता , तो भारतीय कम्युनिस्ट आगे क्या करेंगे ?

कुछ माननीय सदस्यों ने अधिक उर्वरकों और बीजों को सुलभ बनाने के लिये कहा है । लेकिन कृषीय क्षेत्र में प्रगति करने के लिये, इस के साथ ही कृषीय गवेषणा कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है, । हमारे प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि इस के लिये देश में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी है । लेकिन दूसरी ओर भारतीय कृषि गवेषणा संस्था का यह हाल है कि गवेषणा कार्यकर्ताओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में दो महीने पहले तक एक युवक कार्य कर्ता काम कर रहा था। उस ने इंगलैण्ड के एक विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट भी ले ली थी। लेकिन उसका वेतन ३०० रुपये से अधिक नहीं था । इसी से निराश हो कर उस ने कनाडा में नौकरी के लिये प्रार्थना पत्र दिया था। और अब वह भारत के मुकाबले पांच गुना अधिक वेतन कनाडा में पा रहा है। तकनीकी दृष्टि से कनाडा हमारे देश की तुलना में कहीं अधिक उन्नत है । हमारे देश में तकनीकी कार्यकर्ताओं का उचित सम्मान नहीं होता। उनको देश से बाहर काम तलाशना पड़ता है । हमें अपने ही देश में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उनको देश से बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े । यदि यही हाल बना रहा, तो हमारे, देश में तकनीकी कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा कमी हो जायेगी।

केन्द्रीय सरकार ने जिन गवेषणा-पदों को मान्यता दी है। उस में भी कृषीय गवेषणा सेवाओं की बड़ी उपेक्षा की गई है । कृषीय गवेषणा एककों को वैज्ञानिक कार्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है । उस से भी अन्य वैज्ञानिक सेवाओं के समान ही माना जाना चाहिये ।

†**श्री द० अ० कट्टी** (चिकोड़ी) : आज देश में समाज विरोधी तत्व बढ़ रहे हैं। इसी को दृष्टि में रखते हुए माननीय सदस्यों ने देश की एकता कायम रखने की बात की है। सचमुच यह बहुत ही महत्व की बात है और विशेषकर उस समय जब कि भारत की सीमा पर चीन आंखें लगाये बैठा हो। चीन के साथ हमारा कोई शांतिपूर्ण समझौता हो जायगा, ऐसी आशा करना व्यर्थ है । मेरा निश्चित मत है कि चीन के साथ सीमा विवाद को हल करने के लिये बातचीत जारी रखना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा । हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि यदि हमें युद्ध के लिए मजबूर किया गया तो हम उसका

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द० अ० कट्टी]

पूरी शक्ति से मुकाबला करेंगे। चीन से बातचीत करने मे समय नष्ट न कर के हमें राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने की दिशा में प्रयत्न करने चाहिए।

देश में समाज विरोधी तत्व प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता तथा भाषावाद के नाम से उभर रहे हैं। इस के अतिरिक्त सबसे बड़ा रोग जातिवाद का है। इस से अतीत में भी हमें काफी हानि पहुंची है। परन्तु खेद यह है कि इस से भी हमारी आंखें नहीं खुली सकी। जातिवाद की बुराई को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कांग्रेस दल आज की फूट की अवस्था के लिए उत्तरदायी है। कुछ सीमा तक यह बात ठीक भी है। आज हमारा समाज बहुत बुरी तरह से विभाजित है, एकता की भावना का नितान्त अभाव है। कांग्रेस दल इस फूट का अनुचित शोषण कर रहा है।

जातिवाद की कुप्रथा से दुःखी और तंग हो कर ही कुछ अनुचित अनुसूचित जाति लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाने की सोची थी। परन्तु इस से भी उनकी अवस्था सुधरी नहीं। बौद्ध भी हिन्दु समाज का एक कमज़ोर अंग है। सरकार को उन्हें ऊपर उठाने के लिये प्रयत्न करने चाहिएं। केन्द्रीय सरकार ने बौद्धों की सहायता की मांग को ठुकरा दिया है क्योंकि इस के लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गयी। मेरा निवेदन है कि सरकार को बौद्धों की सहायता करनी चाहिए जो कि हमारे समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, ताकि वे देश के शेष लोगों के समान स्तर पर आ जायें। यदि महाराष्ट्र की सरकार बौद्धों को सुविधायें दे सकती है, तो केन्द्रीय सरकार क्यों नहीं दे सकती ?

आज देश में भ्रष्टाचार की बात आम हो रही है। हमें याद रखना चाहिए कि हम इस देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की ओर बढ़ रहे हैं, परन्तु यह स्वप्न तब ही साकार हो सकता है यदि हमारा प्रशासन शुद्ध हो और योजनायें संतोषजनक ढंग से चल पाये। भ्रष्टाचार के साथ कारण ही हमारी योजनाओं को समुचित सफलता प्राप्त नहीं हो रही। मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कठोर दंड का विधान किया जाना चाहिए।

इस के अतिरिक्त मैं सदन का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करवाना चाहता हूं। आज सामान्य व्यक्ति का जीवन बहुत शोचनीय हो रहा है। सरकार को सामान्य जनता का स्तर ऊंचा करने की दिशा में ठोस पग उठाने चाहिए। लोगों को समुचित रोटी, कपड़ा और शिक्षा प्राप्त करने के साधन तो उपलब्ध होने ही चाहिएं।

अन्त में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र और मैसूर का सीमा विवाद समस्त राज्यों से हल नहीं होगा। इस के बारे में स्वयं केन्द्रीय सरकार को कुछ निर्णय करके लागू कर देना चाहिए।

†श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मेरा यह निश्चित मत है कि हमें अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था और इस दिशा के नेतृत्व में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने चाहिए। हमारे वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री के हाथ में देश इस समय मुझे सुरक्षित दिखाई नहीं देता। मैं इस मामले को व्यक्तिगत रूप से नहीं ले

†मूल अंग्रेजी में

रहा हूं, क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारी विदेश नीति आन्तरिक दलगत नीति से ऊपर उठ कर बनाई जानी चाहिए। मैं तो इस सह अस्तित्व की नीति को भी सन्देह से देखने लगा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में बहुत शोर गुल कर के हम अपने देश की कुछ सेवा नहीं कर रहे।

मेरा नाम झारखंड की मांग के साथ जोड़ा जा रहा है। इस दिशा में मैं इस सन्देह को दूर कर देना चाहता हू कि झारखंड राज्य की मांग की प्रेरणा के पीछे विदेशी इसाई मिशनरियों द्वारा की गयी है। मेरा निवेदन है कि हमें इस के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। हम आगे भी अपनी मूर्खताओं से देश का विभाजन कर चुके हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान स्वीकार किया था और आज जो शासन संभाले बैठे हैं, उन्हें पाकिस्तान मानने की अनुमति देश ने नहीं दी थी, झारखंड शब्द शास्त्रों में भी आता है और इस में केवल छोटा नागपुर डिवीजन और संथाल परगना ही नहीं है प्रत्युत छत्तीसगढ़ से लेकर पूर्वी तट तक सम्पूर्ण शासन क्षेत्र इस में सम्मिलित है।

मेरा विचार है कि राष्ट्रपति एक बात का उल्लेख करना भूल गये हैं। आज उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में तथा अन्य देश के भागों में क्या हो रहा है। देश को ठोस प्रशासन की आवश्यकता है और उसी की नितान्त उपेक्षा की जा रही है। आज सर्वत्र अस्थिरता दिखाई दे रही है। हमें शक्तिशाली और संगठित होने की आवश्यकता है, हम निरन्तर देश का विभाजन करने जा रहे हैं। झारखंड का निर्माण इसलिए भी आवश्यक है कि इस से सारा उड़ीसा राज्य एक सूत्र में बंध जायेगा और इस के प्रशासन को सुधारने में कुछ कठिनाई नहीं होगी।

भाषावाद देश के लिये सब से बड़ा अभिशाप है। यदि इसे पनपने दिया तो देश नष्ट हो जायेगा यदि हम अपनी सहनशीलता और उदारता की परम्पराओं का ध्यान इमानदारी से पालन नहीं करेंगे, तो हम अपनी वर्तमान कठिनाइयों का कोई भी हल नहीं निकाल सकेंगे।

अन्त में मेरा निवेदन है, कि यद्यपि मैं राष्ट्रपति के सन्देश से बहुत सन्तुष्ट नहीं हूं परन्तु फिर भी मैं यह अनुभव करता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा, इस से अधिक अच्छा वह कुछ कह भी नहीं सकते थे। अतः मैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री प्र० सिंह दौलता (झज्जर) : जनाब चेयरमैन साहब, मैं उस खिताब का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं जोकि राष्ट्रपति जी ने दोनों ऐवानों के मुशतरिका इजलास में १४ फरवरी को दिया था।

इसमें पंचायतों का जिक्र किया गया है। वे लोग जो देहातों से ताल्लुक रखते हैं और वे आनरेबल मैम्बर्स जिन्होंने पंचायतों द्वारा जो ओथ ली गई थीं उन फंकशंस को एटेंड किया है, वे जानते हैं, कि पंचायतों के इलैकशन के बाद हिन्दुस्तान के देहातों में कितना जोश है, अपनी और अपने मुल्क की बेहतरी करने का। मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूं और यह आइंदा के लिए एक अच्छी चीज़ है।

अब मैं एग्रिकलचर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एड्रेस में कहा गया है कि एग्रिचलकर की पैदावार बढ़ रही है। मुझे इसमें शक है। जमीन जिस से एग्रिकलचर की पैदावार

[श्री प० सिं० दौलता]

होती है वह तो घट रही है, तो फिर पैदावार कैसे बढ़ रही है, यह मेरी समझ में नहीं आया है । मेरी पंजाब स्टेट में आज एक चौथाई जमीन का हिस्सा सैलाब की नज़र हो चुका है और इस सैलाब का जब तक इलाज न हो, पैदावार बढ़ने का कोई तरीका नहीं है, कोई इलाज नहीं है । समझ में नहीं आता है कि कैसे कह दिया जाता है कि पैदावार बढ़ रही है । एक तरफ तो कहा जाता है कि पैदावार बढ़ रही है, दूसरी तरफ अमरीका से गेहूं के जहाज़ चले आ रहे हैं और उनकी तादाद बराबर बढ़ती ही जा रही है ।

एग्रिकलचर पर ज्यादा न बोलते हुए मैं पंजाब में सैलाबों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमारी दिल्ली की जो हुकूमत है जोकि सैंटर के मातहत है वह पंजाब की स्कीम को आगे बढ़ने नहीं देती है । हमारे महबूब लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि सैलाब रोके नहीं जा सकते, इनको रेक्युलेट किया जा सकता है । अब सवाल पैदा होता है कि रेग्युलेट कैसे किया जाये । इसका एक ही तरीका है कि इनका पानी दरियाओं में बहा दिया जाये । पंजाब का पानी और खास तौर पर दिल्ली से लगे हुए हरियाना का पानी यमुना में ही डाला जा सकता है, ज़मीन से खुद कर ही आ सकता है, दरिया में जा सकता है और किसी तरीके से नहीं जा सकता है । इसके लिए आज तक कोई एयर रूट तलाश नहीं हो सका है । पंजाब गवर्नमेंट की कोशिशों को, उसकी तजवीज़ों को दिल्ली गवर्नमेंट ने सैवो किया है । जब उसने कहा कि वहां का पानी यमुना में वह डालना चाहती है तो इसने उसको नहीं माना । इस पर मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर पंजाब का पानी दरिया में जाना है तो वह यमुका के रास्ते ही ज सकता है जा सकता है और उसके रास्ते जाना चाहिये । मैं प्रार्थना करना हूं कि दि.ली की गवर्नमेंट को बात की इजाज़त न दी जाए कि वह पंजाब के पानी को जाने से रोके ।

अभी एक माननीय मैम्बर साहब ने जो कुछ कहा, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । वह अभी अभी हाउस में आये हैं . . .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं इसीलिए आया हूं कि आप जो कहने जा रहे हैं उसको सुन सकूं ।

श्री प्र० सिं० दौलता : गुड़गांव से आने वाले मेरे दोस्त ने शिकायत की है कि हिन्दी को हिन्दुस्तान में तरक्की नहीं मिलती है । मैं अर्ज़ करता हूं कि हिन्दी कौन सी है ? हिन्दी वही है जोकि हिन्दुस्तानी कहलाती है और जो लिखी जाये देवनागरी लिपि में । हिन्दुस्तानी कौन सी है ? यह वही है जो दिल्ली और लखनऊ के इस हिस्से में हर आदमी, गली में चलने वाला आदमी समझ सकता है । हिन्दी बोलने वाले जब ऐसी भाषा बोलते हैं जिसको हम न समझ सकें, जो दिल्ली के बाशिन्दे न समझ सकें, जिन की हिन्दुस्तानी जबान है, वे न समझ सकें, वह जबान कुछ और तो हो सकती है, हिन्दी नहीं हो सकती है ।

रहा सवाल तरक्की का, मेरे दोस्त ने ताना मुझे दिया कि जो उर्दू बोलता है या उर्दू जानता है, वह पाकिस्तान चला जाये । कोई हर्ज नहीं इसमें । मैं अभी पाकिस्तान हो कर आया हूं । पाकिस्तान मेरे मुल्क से जुड़ा हुआ है । लेकिन जो लोग वह भाषा बोलते हैं जोकि सात हज़ार बरस पहले मुर्दा लोग बोलते थे तो क्या वे मर कर सात हज़ार बरस पीछे जाने के लिए तैयार हैं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर । मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा माना गया है या हिन्दुस्तानी को माना गया है ?

इसके अतिरिक्त जो केन्द्र की ओर से एक शब्दावली तैयार की जा रही है, वह कौन सी शब्दावली है ? यह कहना कि वह भाषा जो दिल्ली के आसपास के लोग समझते हैं, वही राजभाषा है, ठीक नहीं है । दक्षिण के लोग हैं वे यह कहते हैं यह भाषा उनकी समझ में नहीं आती है ।

श्री प्र० सि० दौलता : एक्सट्रीम मैजोरिटी के नुक्तेनिगाह को, कम्युनल नुक्ते-निगाह को पेश करने वाले मैम्बर साहब इस हाउस में नहीं थे, जिस वक्त हिन्दी को नैशनल जबान करार दिया गया था। आज हिन्दी हिन्दुस्तान की जबान हो सकती है और है । हिन्दी के वे हिमायती जिन में फिरकापरस्ती की कुछ चाशनी है, मजहब की कुछ चाशनी है, अगर वे कहेंगे कि हिन्दी पढ़ो तो मुसलमान कहेंगे, नहीं पढ़ेंगे । क्योंकि इसे चोटी की गांठ वाला कहता है, इसलिए यह एक खतरनाक चीज़ है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे । घनघोर किस्म के हिन्दू फिरकापरस्त आज हिन्दी के रास्ते में जबर्दस्त रुकावट बन रहे हैं और इस वजह से वह तरक्की नहीं कर पा रही है । जो लोग इसको मज़हब के साथ जोड़ते हैं, मैजोरेटी के मज़हब के साथ बांधते हैं, वे हिन्दुस्तान में हिन्दी को कभी राजभाषा नहीं बनने देंगे । इसे गुरुकुलों में, मंदिरों में रखेंगे, पढ़ेंगे और दंड पेलेंगे । यह कभी जनता की भाषा नहीं बन सकती है । गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है । मैं केरल में गया था उस वक्त जबकि पंजाब में हिन्दी आन्दोलन चल रहा था जिसका ताल्लुक मेरे दोस्त के साथ था । वहां के लोगों ने मुझे कहा कि हिन्दी तो हिन्दुस्तान की ज़बान है लेकिन अब तो यह आर्य समाज की, दयानन्द की ही ज़बान बन कर रह गई है । यह बात मुझे क्रिश्चियन लोगों ने केरल में कही थी । इसका जवाब मेरे पास कोई न था और न आपके पास है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह तिलक की भाषा थी, गांधी की भाषा थी ।

श्री प्र० सि० दौलता : मैं हिन्दू फिरकापरस्तों को, नुमाइंदगी करने वाले बुजुर्गों और दोस्तों से कहूंगा कि वे हिन्दी के हाल पर रहम करें । वह एक मुशतरिका जबान बन सकती है, अगर वे इसकी हिमायत करना छोड़ दें ।

अब मैं काश्मीर के बारे में चन्द अलफाज़ कहना चाहता हूं । एड्रेस में मुझे काश्मीर का कोई जिक्र नहीं दिखाई दिया है । काश्मीर में दो चीज़ें हैं । एक तो उसका वह हिस्सा जो गुलाम है, जिस पर पाकिस्तान का कब्ज़ा है और दूसरा वह हिस्सा जो बाहर है । मैं समझता हूं अगर चाइना समझता है या कुछ और लोगों के दिलों में इसके लिए टैम्पटेशन आती है, तो उनके लिए हम जिम्मेवार हैं । जो काश्मीर बाहर है वह हिन्दुस्तान का वैसा ही हिस्सा है जैसे पंजाब है या राजस्थान है या दूसरे हिस्से हैं । हम खुद उसको अलग रखे हुए हैं जिससे दूसरे लोगों में उसके लिए टैम्पटेशन आती है । जब ऐसा होता है तो कुछ लोग नाराज होते हैं और कहते हैं कि चीन क्यों बात करता है । इस स्थिति को हमें बदलना होगा । दूसरा हिस्सा वह है जो गुलाम है, जोकि पाकिस्तान के कब्जे में है । अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं किया गया है । उसके बारे में चाहे कुछ हो या न हो लेकिन हर साल प्रेज़ीडेंट साहब के एड्रेस में उसका जिक्र जरूर होना चाहिये ताकि पाकिस्तान यह न समझ बैठे कि यह तो एक फोरगोन कनक्लूज़न है ।

अब मैं चीन और हिन्दुस्तान के सवाल पर आता हूं . . .

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : आप इधर क्यों देख रहे हैं ?

श्री प्र० सि० दौलता : मुझे इनकी जरूरत है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० सिं० दौलता]

कुछ लोग हैं जो कहते हैं चढ़ाई कर दो, लड़ाई कर दो । वे बेचारे न चढ़ाई को जानते हैं और न ही लड़ाई को जानते हैं । उसका क्या मतलब है इसको नहीं समझते हैं । मैं एक सिपाही का बेटा हूं । सिपाही की सातवीं नस्ल में हूं । सिपाही का बेटा फौज में जाता है और मुझे मालूम है कि लड़ाई क्या होती है । यह लोग जो लड़ाई की बात करते हैं, आम तौर से वह हैं जो ब्लैक मार्केटिंग क्लासेज से आते हैं और लड़ाई में खूब कमाना चाहते हैं ।

चाइना के बारे में कई हल हैं । मेरे पास बड़ा आसान हल है । मैं कोई तानेजनी की बात नहीं कहता, बड़ी संजीदगी से कहता हूं । चाइना इस वक्त हाथ में है हिन्दुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी के । मेरे दिल में बड़ी इज्जत है अपने साबिक साथियों की ।

एक माननीय सदस्य : पुराने साथियों की ।

श्री प्र० सिं० दौलता : अब भी वे मेरे दोस्त हैं, मुल्क के वाशिंदे हम हैं, मुल्क के वाशिंदे वह हैं, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि तमाम इंडियन आर्मी के पास सोल्यूशन नहीं है वार्डर का, मेनन के पास नहीं है । अगर वह है तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, और अगर इस वक्त कम्यूनिस्ट पार्टी ने नेशन से गद्दारी की तो मुल्क मिटा देगा, कम्यूनिस्ट पार्टी के नाम व निशान को । इसलिये मैं तानेजनी में नहीं कहता, संजीदगी से कहता हूं कि दो तरह से चाइना का ऐटिट्यूड ठीक हो सकता है । नं० १ है आईसोलेशन वर्ल्ड ओपीनियन में । चाइना इस वक्त आप की यू० एन० ओ० का मेम्बर नहीं है, वह एक और यू० एन० ओ० का मेम्बर है, और वह है कौन सी यू० एन० ओ० ? वह कम्यूनिस्ट मुल्कों की अपनी बिरादरी है । अगर वह कम्यूनिस्ट पार्टी कह दे कि चाइना ने ऐग्रेशन किया है, अगर नोटिस दे दे यह कम्यूनिस्ट बिरादरी, जो कि उनकी यू० एन० ओ० है, कि चाइना ऐग्रेशन को वकेट करे वर्ना कम्यूनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल कम्यूनिज्म से उसका बायकाट करती है, तो चाइना में खलबली मच जायेगी । अब एलेक्शन सामने आ रहा है, इसलिये इस किस्म का रेजोल्यूनशन हुआ है कि हमारा केस मजबूत है । लेकिन चाइना ने भी काफी मैटीरियल इकट्ठा कर लिया है । मैं मुबारकबाद देता आज अपने साथी डांगे साहब को और कम्यूनिस्ट पार्टी को, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त मुबारकबादी देश की अवाम को है, जिस ने थपेड़े मार मार कर इस पार्टी से कहला लिया, एलेक्शन के मौके पर कि हां, हां, केस तो मजबूत है ।

दूसरी चीज जिस में इस वक्त कम्यूनिस्ट पार्टी मुल्क की सेवा कर सकती है वह है नेशनल यूनिटी । इस नेशनल यूनिटी का जिक्र होता रहा, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा । मैं याद दिलाता हूं हाउस को और अपने दोस्तों को संजीदा पार्टी को जैसी कि कम्यूनिस्ट पार्टी है । एक वक्त चीन की सरजमीन पर बाहर के लोगों ने कब्जा किया तो चीन के प्रेजेन्ट लीडर, चीन के कम्यूनिस्ट लीडर माऊ-त्से-तुंग हाथ जोड़ कर च्यांग के पास पहुंचे और कहा कि इस वक्त आपकी लीडरी की जरूरत है । आप नेशनल लीडर हैं, चीन के मुल्क पर किसी और का कब्जा है, इसको वकेट कराने के लिये सारे मुल्क की रहनुमाई कीजिये । च्यांग ने इस को कबूल किया और उन को दूसरे लोगों के कब्जे से निकाला । आज मैं डांगे से पूछता हूं, कम्यूनिस्ट पार्टी से पूछता हूं कि जब सरजमीन हिन्दुस्तान पर दूसरों ने कब्जा किया है तो क्या उन का फर्ज नहीं था कि वह हाथ जोड़ कर नेहरू के पास आते और कहते

कि ऐ नेशनल लीडर, तुम्हारी रहनुमाई हम कबूल करते हैं, हम ऐलान करते हैं कि हम चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। आज नेशनल लीडर नेहरू के सिवा और कौन है? मैं कम्यूनिस्ट बेंचों पर बैठा करता था, एक बार मेरी बीवी और मेरे बच्चे पार्लियामेंट का सेशन देखने आये। उस दिन नेहरू नहीं आये थे। सेशन देखने के बाद बीबी कहती है कि आज तो नेहरू आये ही नहीं। मैं ने कहा डांगे तो आया था। मेरी बीवी पूछने लगी कि वह कौन है। इस आदमी के १७ साल पार्टी में रहने के बाद इसकी बीबी उसे लीडर ऐकनालेज नहीं करती। एक ऐसी क्राइसिस के मौके पर जिद कर बैठना कि हैं, हैं, हम लीडर हैं हिन्दुस्तान के, यह कहां तक ठीक है? आज हिन्दुस्तान का एक ही नेशनल लीडर है चाइना का दिमाग दुरुस्त करने के लिये। एक दम कम्यूनिस्ट पार्टी को ऐलान कर देना चाहिये कि साहब, हम नेहरू की रहनुमाई कबूल करते हैं, जिस तरह से चाइना में च्यांग जैसे लीडर की रहनुमाई कबूल की गई। यही है चाइना की प्राब्लेम की कुंजी, जो हमारे साथी कम्यूनिस्टों के पास है। यह उन का काम है कि वह फैसला करें कि उन को इस नाजुक मौके पर हिन्दुस्तान की आवाम की खिदमत करना है या नहीं, वर्ना हिन्दुस्तान की अवाम उन्हें माफ नहीं करेगी।

अगला सवाल है नैशनल यूनिटी का।

एक माननीय सदस्य : हमें छोड़ दीजिये, हम आप के साथ हैं।

श्री प्र० सिं० दौलता : आप तो हमारे साथी हैं। तो अगला सवाल है नैशनल यूनिटी का। मुझे माफ किया जायेगा, मैं जरा साफ बयानी से काम लेना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में यह कहना...

एक माननीय सदस्य : टिकट भी तो लेना है।

श्री प्र० सिं० दौलता : टिकट तो मिला था जब उन को पीट कर आया था।

एक मनानीय सदस्य : पीट कर आये थे?

श्री प्र० सिं० दौलता : हां, पीट कर आया था, ४८,००० वोटों से मेरे दोस्त। उस वक्त मुझे आपकी पार्टी की मदद भी नहीं थी और उनकी मुखालिफत थी, तब मैं पार्लियामेंट में आया था अपनी ताकत से, अब की क्या कहूं?

मैं अर्ज कर रहा था हिन्दुस्तान की यूनिटी के बारे में। हिन्दुस्तान की यूनिटी जबलपुर में एक रेप की वजह से खराब हुई, यह बात नहीं है। रेप तो मुसलमान मुसलमान की लड़की से कर सकता है, एक चमार चमार की लड़की से रेप कर सकता है, इसलिये यह बात नहीं है, कि रेप ने ऐसा किया। सवाल यह है कि इस वक्त हिन्दुस्तान में फिर्कापरस्ती रिस्पेक्टेबिलिटी पा चुकी है। हिन्दुस्तान में फिरकापरस्त होना अब बेशर्मी नहीं रही, अब वह एकनालेज हो चुकी है और हम ने उस को बहुत इज्जत दी। जब मि० जिन्नाह यहां बुलन्द हुए, तो पहले यहां लोग शर्मिन्दा होते थे पब्लिकली कहते हुए कि मैं हिन्दू हूं और मैं मुसलमान हूं। लेकिन जिन्ना ने उस को फ़रोग दिया और हम ने उस को ऐकनालेज किया। हम पार्टिशन से पहले उस के साथ वजीर, बने, उस की पार्टी के साथ बैठे, नैशनलिस्ट मुसलमानों के साथ गद्दारी की। उस दिन से लेकर आज दिन तक फिर्कापरस्ती को रिस्पेक्टेबिलीटी हासिल है जब तक वह मौजूद है, तब तक ऐसी पार्टियां मौजूद हैं; ऐसे आनरेबल मेम्बर्स एलेक्ट हो

[श्री प्र० सि० दौलता]

हो कर आते हैं जो नहीं समझते हैं कि ईसाई भी हिन्दुस्तान के बाशिंदे हैं, ईसाइयों को भी हक है अपने धर्म का प्रचार करने का, तब तक हालत सुधर नहीं सकती । मैं कहता हूं कि आप अपना प्रचार कीजिये वह अपना प्रचार करेंगे क्योंकि यह सब का मुल्क है । तो मेरी अर्ज है कि जब तक फिर्कापरस्ती एक सोशल जुर्म के तौर पर नहीं समझ लिया जाता उस वक्त तक कोई इन्स्दाद इस की नहीं हो सकती । यह पार्टियां आज खुल्लमखुल्ला हिन्दू, मुसलमानों, सिक्खों और ईसाइयों को एक दूसरे का डर दिखा कर पार्लियामेंट और असम्बलियों में आते हैं। इन को कोई ऐकनालेजमेंट नहीं मिलना चाहिये एलेक्शन कमिशन से । और जो अखबारात और लीडर इस तरह की गैरजिम्मेदाराना बातें करते हैं उन को किसी लीडर को इंटरव्यू नहीं देनी चाहिये। मुझे खुशी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े आदमी हैं और उन्हें सब से मिलना चाहिये । लेकिन अगर कोई पार्टी यह कहे कि हम एक पार्टी हैं और प्राइम मिनिस्टर दूसरी पार्टी है और पंजाब के मामले का फैसला करना है, वह गवर्नमेंट की बराबर है, और प्राइम मिनिस्टर साहब उस से मिलते हैं, तो वे मुल्क की सेवा नहीं कर रहे हैं; वे फिरकापरस्ती को फूंक दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की पार्टी के लिये मैं ने ऐप्लाई किया है, वह पता नहीं कब मुझे अपना मेम्बर बनायेंगे, यह उन की मर्जी है, लेकिन अगर वह संजीदगी से इस बारे में यह तवक्को रखते हैं कि केरल में मुसलिम लीग से कोलिशन कर के, पंजाब में अकालियों से समझौता कर के, फिर्कापरस्ती हिन्दुस्तान से खत्म हो सकती है, तो या तो उन की सूझ की गलती है, या वह ईमानदार नहीं है । फिर्कापरस्ती को पार्टी से बिलकुल बायकाट किये बगैर, वह हर्गिज़ नहीं हटेगी । पंजाब में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, वह एक सेहतमन्द प्रदेश है । आनरेबल मेम्बर जो यू० पी० के बाशिंदे हैं गलती से पंजाब से एलेक्ट हो गये, वे पंजाब को नहीं जानते हैं, (Interruptions) पंजाब एक तन्दुरुस्त प्रदेश है । हमारा बार्डर भी तबदील हुआ । मैं खुद उस डेलिगेशन में था, मैं ने लाहौर में जा कर जश्न मनाया । अभी बंगाल की टेरीटरी का सवाल उठा, तो लोग बेरूबाड़ी बेरूबाड़ी कहने लगें पंजाब में पैदावर हम खुद करते हैं, पंजाब के जो हुक्मरां हैं, ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रताप सिंह कैरों, उन के मुकाबले पर ऐडमिनिस्ट्रेटर कोई और नहीं । आज जो फिर्कापरस्त कहते हैं कि ऐसा होना चाहिये, मैं उस को १०० परसेन्ट सर्टिफिकेट देता हूं, आज जब अकाली और हिन्दी माता वाले चीखते हैं, इस से ज्यादा सर्टिफिकेट और कोई नहीं हो सकता ।

एक आनरेबल मेम्बर ने कहा कि यहां पर लोग बैठे हैं जो हरियाना प्रान्त की बात करते हैं, पंजाबी सूबे की बात करते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि मैं उन में से हूं जो यह समझते हैं कि शुरू में गलती हुई, उस वक्त यह पंजाबी सूबा और हरियाना प्रान्त बन जाना चाहिये था, लेकिन मैं उन में से भी हूं जो अब यह समझते हैं कि महा गलती होगी अगर अब यह गवर्नमेंट पंजाबी स्पीकिंग सूबा और हरियाना प्रान्त को मान ले, क्योंकि इस चार, पांच साल के अर्से में फिर्कापरस्तों ने इस सवाल को मजहबों के साथ जोड़ दिया है, अब यह कल्चरल डिमान्ड नहीं रह गई । यह फिरकापरस्ती की डिमांड है । आज हरियाना प्रान्त की मांग का मतलब है आर्य समाजियों की डिमांड । आज पंजाबी सूबे की मांग का मतलब है अकालियों की डिमांड, और पंजाब की जनता इसको

कबूल नहीं करेगी। अगर यह गवर्नमेंट, जो आदी है फिरकापरस्तों से सुलह करने की इलेक्शन के ऊपर, अगर उन्होंने एक बार फिर ऐसा किया कि इलेक्शन की खातिर अकालियों या आर्यसमाजियों से बात करके पंजाब का बंटवारा कर दिया तो पंजाब की जनता इसे बरदाश्त नहीं करेगी।

इतना कह कर जनाब चेयरमैन साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित, आंग्ल भारतीय) : जबलपुर में जो कुछ हुआ है वह अपने प्रकार की अकेली ही घटना नहीं है; आज सर्वत्र देश में समाज विरोधी तत्व बढ़ रहे हैं। प्रत्येक देश-हितैषी को इस समस्या को सुलझाने के लिए चिन्तित होना ही होगा। भय के वातावरण में देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकता। प्रत्येक स्थान पर हमें अल्पसंख्यकों में यह विश्वास पैदा करना होगा कि उनका जीवन, प्रतिष्ठा और सम्पत्ति सरकार के हाथों में सुरक्षित है। अल्पसंख्यकों की रक्षा का उत्तरदायित्व वास्तव में केन्द्रीय सरकार का है। इस प्रयोजन के लिए उसे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की कार्यवाही करनी चाहिए। मुझे इस बात का खेद है कि आसाम में जो दंगे हुए उसमें पुलिस ने अपने उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से नहीं निभाया है। यह सन्तोष की बात है कि शासक दल की कार्य समिति ने दंगों की गम्भीरता को समझा है और इसकी जांच का आदेश दिया है।

मेरा मत है कि जबलपुर में जो जांच होगी वह निष्पक्ष नहीं हो सकती। राजनीति के दबाव में आकर सब कुछ समाप्त हो जायेगा और इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

अब मैं राष्ट्रपति के अधिकारों की ओर आता हूं। और राष्ट्रपति ने इस विषय को आरम्भ करके बहुत ही अच्छा किया है। संसदीय लोकतंत्र के हित में इस बात का स्पष्ट हो जाना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रपति की शक्तियों सम्बन्धी संवैधानिक उपबन्धों को बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि ऐसा न हो कि किसी स्थिति का लाभ उठाकर किसी भी राष्ट्रपति द्वारा तानाशाही शक्तियां हस्तगत कर लिये जाने की सम्भावना ही न रह जाय। इस मामले पर हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** (बल्लारी) : मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं। मेरे विचार से यह आलोचना गलत है कि यह अभिभाषण शुष्क और नीरस है मेरे विचार से भावना तथा शब्द दोनों ही प्रकार से अभिभाषण गांधीवादी है।

अभिभाषण में चीन के अतिक्रमण का निर्देश किया गया है, यह उचित ही है, क्योंकि चीन ने हमारा १२ वर्ग मील का प्रदेश हड़प लिया है और अब वह ५० हजार वर्गमील पर दावा कर रहा है। इसमें संदेह नहीं कि दोनों अधिकारियों के बीच की वार्ता निष्फल रही तथापि में उन सरकारी अधिक्कारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस सम्बन्ध में प्रशंसनीय कार्य किया है।

यह प्रसन्नता की बात है कि अफ्रीका अब जाग्रत हो रहा है, जिस अफ्रीका को १९वीं सदी में अन्ध महाद्वीप कहा जाता था वहीं अब अनेकानेक स्वतंत्र राष्ट्रों का अभ्युदय हो रहा है, १९६० में वहां लगभग २५ देशों को पूर्ण स्वतंत्रता मिली इतना ही नहीं उन्हें संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी बनने योग्य समझा गया। यह भी संतोष का विषय है कि इन नव-स्वतंत्र देशों ने भारत की तटस्थ रहने की नीति को अपनाया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टे० सुब्रह्मण्यम]

अभिभाषण में यह लिखा है कि सरकार गोवा की स्वाधीनता के लिये वचनबद्ध है। वस्तुतः यह हमारी बुनियादी नीति के ही अनुकूल बात है। जब हम विश्व के तमाम देशों को अहिंसा की सीख देते हैं तो भला किस प्रकार अपने ही देश में हिंसा की नीति अपना सकते हैं, अतः गोवा के सम्बन्ध में देश की शांतिपूर्ण नीति बिल्कुल उचित है।

भारत ने पिछले दस वर्षों में अपनी वैदेशिक नीति के द्वारा जो प्रशंसा अर्जित की है वह महत्वपूर्ण है।

अब मैं देश की समस्यायें लेता हूं। हम लोकतंत्रात्मक तरीके से देश में सामाजिक और आर्थिक कल्याण करना चाहते हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि देश में १६६१ के अन्त तक पंचायती राज्य की स्थापना देश भर में हो जायगी। वस्तुतः हम पंचायती राज्यों को वह महत्व नहीं दे रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिये, जनता के लिये स्वतंत्रता, लोकतंत्र और स्वराज का महत्व तभी है जब कि पंचायती राज्य सफल हो। निस्संदेह कुछ क्षेत्रों में हमें इस दिशा में अच्छा नेतृत्व, उचित सरकारी सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप पंचायती राज्य को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। इस दिशा में कुछ त्रुटियां भी होंगी तथापि मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में हमें इस दिशा में पूर्ण सफलता मिलेगी।

अब मैं खाद्य उत्पादन के प्रश्न को लेता हूं। इस वर्ष हमारा खाद्य उत्पादन ७ करोड़ ६० लाख टन हो जायेगा। हमें आशा है कि हम १६६५ तक खाद्य के मामले में स्वावलंबन प्राप्त कर लेंगे। इसके लिये हमें किसानों को अच्छे बीज उर्वरक और अच्छे खेती के औजार देना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य में एक उर्वरक कारखाना खुलाना चाहिये, किसानों को सुधरी किस्म के औजारों के निर्माण के लिये उन्हें इस्पात उपलब्ध किया जाय।

अब मैं औद्योगिक उत्पादन को लेता हूं। पिछले दस वर्षों में राष्ट्रीय आय में ४० प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में ६६ प्रतिशत, कृषि उत्पादन में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है। पूंजी विनियोजन ७५० करोड़ से बढ़ कर २७५५ करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार देश के उद्योगीकरण के लिये नींव की स्थापना हो चुकी है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम कृषि की उपेक्षा कर रहे हैं वस्तुतः देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि बड़े, मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योगों की ओर समुचित ध्यान दिया जाय।

देश की एकता के विषय में कई बातें कही गई हैं, इसके लिये यह भी एक आवश्यक शर्त है कि देश के विभिन्न भागों का उचित विकास किया जाय, यदि देश के अन्य भागों में लोहे के बड़े कारखाने स्थापित करना संभव नहीं है तो वहां पर छोटे कारखाने खोले जा सकते हैं। उदाहरणार्थ बल्लारी में लोहे का संयंत्र खोला जा सकता है।

सरकार जब रेल के डिब्बों के निर्यात करने की स्थिति में हो गयी है तो यह उचित है कि दक्षिण में नयी रेल की लाइनें खोली जायें। मैं जानता हूं कि योजना आयोग ने इस कार्य के लिये अतिरिक्त राशि दी है, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर उचित ध्यान देगी।

योजनाओं की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि हमारा प्रशासन कुशल और दक्ष हो। यह दुख की बात है कि अभी प्रशासन में बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य स्थानीय सरकारें प्रशासन की इस कुशलता की ओर ध्यान देंगी।

†श्रीमती मंजुला देवी (ग्वालपाड़ा) : दुख की बात है कि एक ओर पाकिस्तान और दूसरी ओर चीन भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। इस कारण विशेषतः आसाम की दशा बहुत बुरी हो गई है। इसके एक ओर चीन है और दूसरी ओर पाकिस्तान, आसाम की कोई भी बात पाकिस्तान से छिपी नहीं है। वस्तुतः आसाम की सीधाई का लाभ उठाया जा रहा है। हाल में हुए साम्प्रदायिक दंगे पाकिस्तान के बुरे इरादों का केवल एक संकेत है।

भारतीय सरकारी अधिकारियों के दल ने अपने पक्ष के प्रमाण में जो अकाट्य तर्क दिये हैं वे उसके लिये बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपने प्रमाणों से चीन के तर्कों का थोथापन सिद्ध कर दिया है।

मैं श्री अशोक मेहता के इस सुझाव से सहमत हूं कि प्रतिरक्षा पर एक प्रतिवेदन प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाय, इसमें भारतीय जनता को प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण आश्वासन दिया जाय। अपनी रक्षा के हित में भारत की तटस्थ नीति सब से उत्तम है। क्योंकि यदि हम इस नीति का बहिष्कार कर किसी एक गुट का साथ करते हैं तो इसका यह परिणाम होगा कि हम रूस की मित्रता से हाथ धो बैठेंगे। हम रूस और अमेरिका दोनों की मित्रता की समान कदर करते हैं।

अफ्रीका तथा एशिया के नव जाग्रत राष्ट्र मार्ग दर्शन के लिये भारत की ओर देखते हैं। यह दुख की बात है कि दक्षिण अफ्रीका में अभी तक जाति भेद की नीति अपनायी जा रही है। कांगो में लुमुम्बा की हत्या वस्तुतः मानवता के लिए एक चुनौती है, इस हत्या का मार्जन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि कांगो से सभी विदेशी सेनायें न हटा ली जांय। अतः अब संयुक्त राष्ट्र को केवल दर्शक ही नहीं बने रहना है अपितु कांगोवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति में सक्रिय सहयोग देना चाहिये। मैं प्रधान मंत्री से यह अपील करती हूं कि वे राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को बहिष्कृत करने के लिये जोरदार प्रयत्न करें। इससे उनके चुनाव घोषणा पत्र में अपेक्षित प्रभाव होगा। पुर्तगाली अफ्रीका में भी जनता के प्रति अत्याचार जारी है। उनके कष्टों का निराकरण किया जाय।

अल्जीरिया निवासी भी अपनी स्वतंत्रता के लिये कष्ट उठा रहे हैं मेरे विचार से फ्रांस और पुर्तगाल को समझ लेना चाहिये कि समय की गति को देखते हुए यह उचित है कि वे अपनी आंखें खोलें।

यह उचित है कि देश में पंचायतों की स्थापना हो तथापि इसके पूर्व पंचों को उचित **प्रशिक्षण** देना आवश्यक है।

मुझे दुख है कि दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भी जनता के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है अपितु उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ी है। दुख की बात यह है कि जनता पर एक ओर करों का भार बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर हम विदेशी ऋण के भार से दबे जा रहे हैं। दुख की बात है कि भ्रष्टाचार और अपव्यय से देश की सम्पत्ति की हानि की जा रही है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम भ्रष्टाचार और विषमता का उन्मूलन करें और समाज में समता स्थापित करने का प्रयत्न करें।

†श्री रघुबीर सहाय (बदायूं) : मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं। उन्होंने चीन के अतिक्रमण की ओर हमारा ध्यान दिलाया है। निःसंदेह इस समय यह देश की सब से

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुवीर सहाय]

बड़ी समस्या है, यह दुख का विषय है कि चीन से प्रधान मंत्री तथा सरकारी अधिकारियों के स्तर पर हुई वार्त्ता निष्फल रही, अब ज्ञात हुआ है कि चीन सिक्किम के सीमान्त पर अपनी सेनायें जमा कर रहा है, संतोष का विषय है कि हमारी सेनायें पूरी तरह कटिबद्ध हैं और चीन को उसकी कार्यवाहियों का समुचित उत्तर देने को तैयार हैं।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पंचायती राज का भी जिक्र किया है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि पंचायतें देश के लिये वरदान सिद्ध हो रही हैं। इस सम्बन्ध में आंध्र और राजस्थान देश में सब से आगे हैं, वस्तुतः जिस ढंग से आंध्र और राजस्थान में पंचायती राजों का संचालन किया जा रहा है वह प्रशंसनीय है। गुजरात में भी पंचायतों का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। वहां के पंचायतों की विशेष बात यह है कि वहां के चुनाव सर्वसम्मत होते हैं, वस्तुतः यदि हम पंचायतों को सफल बनाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि पंचायतों में राजनैतिक दलबन्दी का विष न फैलने पाये।

भावनगर कांग्रेस में एक संकल्प इस आशय का पारित किया गया था कि १९६१ के अन्त तक सभी राज्यों में पंचायती राज कायम हो जाय तथापि कई राज्यों में इस मामले में काफी ढिलाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में तो तत्सम्बन्धी अधिनियम पिछले दो वर्षों से लटका हुआ है। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि इस दिशा में राज्य सरकारों को शीघ्र कार्यवाही करने के लिये सचेत करे।

पिछले दिनों केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने एक हड़ताल की थी, यदि वह सफल हो जाती तो देश का समूचा प्रशासन ही ठप्प हो जाता। अतः सरकार को चाहिये कि वह इस मामले में प्रस्तावित कानून को शीघ्र पारित करे।

अब मैं दहेज विधेयक को लेता हूं इस सम्बन्ध में राज्य सभा और लोक सभा के बीच जो मतभेद हैं वह बुनियादी हैं, अतः मेरे विचार से दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन भी बुलाकर कोई लाभ नहीं होगा अपितु सरकार को चाहिये कि वह इसके स्थान पर दूसरा विधेयक प्रस्तुत करे।

स्वामी रामानन्द शास्त्री (बाराबंकी--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए अवसर प्रदान किया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समर्थन में बोलते हुए आप के सामने दो चार बातें मैं रखना चाहता हूं। वैसे तो सभी महानुभावों ने भारत सरकार की वैदेशिक नीति पर विशेष रूप से जोर दिया है और प्रकाश डाला है और आम तौर पर करीब-करीब हर एक पहलू पर प्रकाश डाला है और उनके सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार से अपने अपने विचार रखे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि राष्ट्र की उन्नति में अस्पृश्यता सम्बन्धी जो विचारधारा बाधक है उसके सम्बन्ध में किसी का भी ध्यान नहीं गया है और उस समस्या की ओर आपका और सदन् का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं दो, चार बातें कहूंगा।

हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम ने करोड़ों रुपये खर्च किये परन्तु फिर भी जितनी हमको सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं

मिली। मैं समझता हूं कि उसका कारण यह है कि जो गांवों में खेतों में काम करने वाले खेतिहर मजदूर लोग हैं उन को हम भरपेट भोजन नहीं देते हैं। आज के दिन उन को भरपेट रोटी नहीं मिल पाती है।

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। बाराबंकी मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। बाराबंकी से लेकर उधर पूर्वी जिलों तक में एक खेतिहर मजदूर को ४ आने अर्थात् २५ नये पैसे प्रतिदिन बतौर मजदूरी के मिलते हैं। अब आप ही बतलाइये कि जब गेहूं का भाव २० रुपये प्रति मन हो तो वह मजदूर ४ आने रोज में कैसे अपने कुटुम्ब का पालन करता होगा, कैसे अपने बालबच्चों का पेट भरता होगा। उधर तो आप मजदूर को भूखा मार रहे हैं और दूसरी तरफ देश में अधिकतम अन्न के उत्पादन के हेतु जो बड़ी-बड़ी योजनाएं बना कर लाखों और करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं उसकी तरफ किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिलाया और कुछ नहीं कहा। राष्ट्रपति महोदय के इतने सुन्दर भाषण में कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं किया गया और मैं समझता हूं कि हम मकान की बुनियाद को न देख कर जिसके कि आधार पर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, अर्थात् मजदूर जोकि राष्ट्र में उत्पादन करने वाले हैं उन मजदूरों की ओर ध्यान न देकर हम उनका पेट नहीं भरते हैं तो हम भले ही देश के उत्पादन को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपये क्यों न खर्च करें हम किसी भी हालत में देश का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मैं इस बात का सुझाव देता हूं कि हमारी सरकार इस बात की तरफ ध्यान दे और इस प्रकार की कोई विशेष व्यवस्था करे और अगली आने वाली योजना में उस का पूरा ध्यान रखा जाय।

अभी पिछले दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद में हरिजन लेजिस्लेटर्स कान्फ्रेंस के अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि हम ने अस्पृश्यता मिटाने के हेतु और हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए जो लक्ष्य निश्चित किये थे वह पूरे नहीं हुए हैं और इसी वजह से हम को यह दस साल का रिजर्वेशन देना पड़ा है। उन्होंने कहा था कि हमें चाहिए कि इस दस साल के अर्से में हमारे देश में जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको हम ऊपर उठाने और अन्य सवर्ण जातियों के बराबर लाने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि हमें दुबारा इस रिजर्वेशन को बढ़ाना पड़ जाय। मैं पंडित जी के उस भाषण के समय स्वयं उपस्थित था और वहां पर उपस्थित प्रैस रिपोर्टर महोदय ने उसको खाली इस तरह से छापा कि पंडित जी हरिजनों का रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं। किसी जाति विशेष के नाम से रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं। अब केवल इतना जो छापा गया तो उससे तो पंडित जी के भाषण का सार ही निकल गया। आज प्रेस रिपोर्टर भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। मैं वहां स्वयं मौजूद था और इसलिए आज मुझे हाउस में इस चीज को कहना पड़ा। अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए श्री जगजीवन राम ने कहा था कि हरिजनों की वास्तविक समस्या उनको मानवता का दर्जा देने की है। उन्होंने कहा था कि हम हरिजन लोग रिजर्वेशन नहीं चाहते। हम तो उसको आज ही खत्म कर देना चाहते हैं लेकिन हमको मानवता का दर्जा दो। आज कोई भी अछूत बन कर अपनी उन्नति करने के लिए तैयार नहीं है। हम अन्य मानवों के समान बराबर का दर्जा चाहते हैं हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। वह एक भी शब्द किसी भी अखबार वाले ने नहीं छापा और पंडित जी के भाषण को उस तरह से जैसा मैंने जिक्र किया तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने रखा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आगे के लिए इस चीज का ध्यान रखा जाय।

अस्पृश्यता निवारण के हेतु हमारी सरकार आज करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन हम जानते हैं कि अभी भी अस्पृश्यता हमारे बीच में से मिटी नहीं है। हमारे वित्त मंत्री महोदय श्री मुरारजी देसाई यहां पर मौजूद हैं और वे यह जानते होंगे कि वीरमगांव में जो विश्वनाथ का मंदिर है वहां पर मजिस्ट्रेट को रहने की जगह नहीं मिल रही है और जोकि पहले भतपूर्व

[स्वामी रामानन्द शास्त्री]

एम० पी० का दामाद था । शेड्यूल्ड कास्ट का होने के कारण अभी भी उसको वीरमगांव में रहने की जगह नहीं मिल रही है । यह हालत अभी भी मौजूद है जबकि गवर्नमेंट ने एक मुहकमा खोला है । हमारे दातार साहब मौजूद हैं उनके सामने यह चीजें हैं ।

इसके अलावा और भी बहुत सी समस्याएं हैं । उत्तर प्रदेश की बात मैं कहता हूं वहां अभी भी छूआछूत मौजूद है । यह ठीक है कि उसके निवारण की दिशा में कुछ काम हो रहा है लेकिन शहरों में वह नहीं के बराबर है । आज आप सरकारी अफसरों को देखें । वे यह सोचते हैं कि यदि हरिजनों को हम चपड़ासी रख लेंगे तो हमारे घरों में औरत को पानी कौन देगा या उन को पानी कौन देगा । जिन लोगों की इस प्रकार की भावनायें हैं, उन के होते हुए हरिजन कैसे प्रगति कर सकते हैं ? मुझे खेद है कि इस देश में नौ करोड़ की जो हरिजनों की आबादी है, उसके विषय में राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कोई ज़िक्र नहीं किया । यह ठीक है कि सरकार उनके लिये सब कुछ करने के लिये तैयार है, लेकिन हम देखते हैं कि सरकार के अपने कथनानुसार उनके लिए कुछ नहीं किया जा सका और इसी कारण उन के लिये रिज़र्वेशन की अवधि को और बढ़ाना पड़ा है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में हरिजन कोई रिज़र्वेशन नहीं चाहते । वे तो चाहते हैं कि हम को मानवता के अधिकार दिये जायें, ताकि हम अपने परिश्रम से प्रगति कर के समाज के दूसरे वर्गों के समान रह सकें ।

मैं आप को इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों डिप्टी शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर्ज़ की छः पोस्ट्स भरी गईं, लेकिन उन में एक भी हरिजन नहीं रखा गया ।

कुछ माननीय सदस्य : शेम ।

स्वामी रामानन्द शास्त्री : एक ओर तो सरकार हरिजनों के लिये रिजर्वेशन रखती है और दूसरी ओर उन को सर्विसिज़ में कोई अवसर नहीं दिया जाता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यही अवस्था रही, तो पचास साल में भी हरिजनों की प्रगति नहीं हो सकती और राष्ट्र को नहीं उठाया जा सकता ।

एक माननीय सदस्य : उन को बोलने दीजिये । (*Interruptions*)

स्वामी रामानन्द शास्त्री : राष्ट्रपति जी ने पार्लिमेंट में देश की उन्नति के लिए भाषण दिया है । उस में हरिजनों की समस्याओं का ज़िक्र नहीं है और किसी और ने भी उन का ज़िक्र नहीं किया है, इसी लिये मैं उन के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । आखिर वे भी राष्ट्र का अंग हैं और उन की प्रगति और विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है । मेरी बात को दूसरे रूप में न लिया जाये ।

मैं अस्पृश्यता-निवारण के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । सरकार इस पर लाखों रुपये खर्च कर रही है । मैं ने पिछले दिनों भी कहा था, लेकिन उस पर अमल हुआ है या नहीं, यह मालूम नहीं ।

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : नहीं हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय सदस्य मिनिस्टर हैं ?

स्वामी रामानन्द शास्त्री : संविधान की धारा १५, १६ और १७ में अस्पृश्यता का निषेध कर दिया गया है । उन के अनुसार सब सरकारी महकमों में—लेखपाल, गांव

पंचायत, जुडिशल महकमे, पुलिस के महकमे, में-- वहां प्रयुक्त की जाने वाली भाषाओं में सर्कुलर भेजे जायें और सब का ध्यान इस ओर दिलाया जाये। इस के अतिरिक्त जो व्यक्ति सरकारी सर्विस में प्रवेश करते हैं, उन को इन धाराओं से आगाह किया जाये, या उन के लिए यह इम्तिहान रखा जाये कि उन को हरिजन के हाथ से पानी पिलाया जाये। किन्तु हम देखते हैं कि सरकार की ओर से इस प्रकार के कदम तो उठाये नहीं जाते हैं और करोड़ों रुपये खर्च कर दिये जाते हैं, जिस से हमारा कोई लाभ नहीं होता है। यदि सरकार कम खर्च में और जल्दी ही अस्पृश्यता के कोढ़ को निकालना चाहती है, तो उस को इस ओर सक्रिय कदम उठाने होंगे।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मैंने पिछले वर्ष यह बात कही थी कि हमें इस प्रथा के संबंध में अंग्रेजी सरकार की नकल नहीं करनी चाहिये तथा यह अभिभाषण इतना आडम्बरपूर्ण नहीं होना चाहिये।

इस अभिभाषण में देश में होने वाले विकास की झलक नहीं है, न इस में कांगों में हमारी नीति का समर्थन किया गया है, कांगो का मामला बहुत गम्भीर है और वस्तुतः यह आशंका है कि संयुक्त राष्ट्र दो गुटों के विवाद में पड़ कर छिन्न-भिन्न हो जायेगा। ऐसी स्थिति में हम ने जो कार्य किया है वह निःसंदेह प्रशंसनीय है, निःसंदेह इस संबंध में कुछ त्रुटियां भी हुई हैं, तथापि मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस संबंध में उचित हल प्रस्तुत करेंगे।

श्री अशोक मेहता ने कुछ निगमित समवायों में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण की ओर ध्यान दिलाया है, निस्संदेह यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो योजना की दिशा की ओर किये गये सारे प्रयत्न बेकार साबित होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २३, फ़रवरी, १९६१/४ फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

2008 (Ai) LSD—8

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २२ फ़रवरी, १९६१

३ फाल्गुन १८८२ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर .	६४७—७०
तारांकित प्रश्न संख्या	
२०७ लोहा और इस्पात का निर्माण, तथा वितरण	६४७—५१
२०८ नौ-शस्त्रों का उत्पादन	६५१—५२
२०९ कावेरी घाटी में तेल सर्वेक्षण . .	६५२—५३
२१० विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम	६५३—५७
२११ दिल्ली में भिखारी	६५७—५९
२१२ विमान का भग्नावशेष .	६५९—६२
२१४ पलाई सैंट्रल बैंक के खातेदारों को भुगतान	६६२—६४
२१६ फिरोजाबाद शीशा उद्योग को कोयले का संभरण	६६५—६७
२१८ नागाओं के कब्जे में भारतीय विमान बल के कर्मचारी	६६७—७०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	६७०—७१३
तारांकित प्रश्न संख्या	
२१३ पैट्रोलियम कोक . . .	६७०
२१५ सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिये पेंशन	६७०—७१
२१७ लोक समवायों द्वारा अंश राशि का लौटाया जाना	६७१
२१९ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार	६७१
२२० इस्पात की आवश्यकतायें . .	६७२
२२१ दिल्ली में शिशु पाठ्यशालाएं (नर्सरी स्कूल) .	६७२
२२२ केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में नये वेतन-क्रम	६७२—७३
२२३ रूमानिया से रिग (तेल छिद्रण यंत्र) की खरीद .	६७३
२२४ कनाडा से कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता	६७३
२२५ भिलाई के इस्पात उत्पादों का सोवियत रूस को निर्यात	६७४

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

२२६	नागा विद्रोही	६७४
२२७	सरकारी कर्मचारियों के लिये हिन्दी	६७४–७५
२२८	गुजरात में तेल अनुसन्धान संस्था	६७५
२२९	इम्पीरियल डिफेन्स कालेज, लन्दन में भारतीय स्थल सेना के पदाधिकारी	६७५–७६
२३०	प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिये निःशुल्क भोजन तथा वस्त्र	६७६
२३१	गोहाटी का तेल शोधक कारखाना	६७६
२३२	भूतपूर्व शासकों से वसूल व्यय कर	६७६–७७
२३३	साफ्ट कोक	६७७
२३४	भारत और नेपाल के बीच तस्कर व्यापार	६७७
२३५	बाल कल्याण	६७७–७८
२३६	वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी स्थायी आयोग	६७८–७९
२३७	इंजीनियरी कालेज	६७९–८०
२३८	राजस्थान में ताम्बे के निक्षेप	६८०–८१
२३९	संस्कृत पंडितों का राष्ट्रीय रजिस्टर	७८१
२४०	रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी सम्बन्धी जांच	६८१–८२
२४१	केरल के पांच बकों के लिए ऋण चुकाने की कानूनी मोहलत	६८२
२४२	सरकारी उपक्रमों में लागत लेखापालन	६८२–८३
२४३	सैनिक स्कूल	६८३
२४४	राष्ट्रीय संग्रहालय , दिल्ली	६८३–८४
२४५	काल्टैक्स तेल शोधक कारखाना विशाखापटनम.	६८४
२४६	लन्दन के वेस्टमिन्सटर बैंक में हैदराबाद राज्य का धन	६८४
२४७	केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद के लिए आयोग	६८४–८५
२४८	जनता कालेज जांच समिति	६८५
२४९	चांदी के सिक्कों का गैर-कानूनी रूप से गलाया जाना	६८५
२५०	राजनैतिक पीड़ितों के बच्चे	६८६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३५५	पंजाब में पाकिस्तानियों का अधिक ठहरना	६८७

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३५६ मद्रास राज्य में अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण ६८७–८८

३५७ दिल्ली में बच्चों का उठाया जाना . . . ६८८

३५८ पंजाब में विश्वविद्यालय तथा कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रम ६८८

३६० महाराष्ट्र से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से आय . . ६८९

३६१ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देर तक काम करने का भत्ता . ६८९–९०

३६२ महाराष्ट्र में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण . . . ६९०

३६३ महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिये आवास . . ६९०

३६४ बोनस अंश जारी करना ६९०

३६५ अप्रत्यक्ष करों की वसूली ६९०

३६६ सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क ६९१

३६७ समवाय करारोपण ६९१

३६८ पंजाब में भूतपूर्व सैनिक ६९१

३६९ हिमाच्छादित क्षेत्रों में निर्वाचन . . . ६९१

३७० विदेशी बैंकों में खाते ६९१–९२

३७१ भारतीय राजाओं की विदेशों में आस्तियां . . ६९२

३७२ विदेशी सामाजिक गैर-सरकारी संगठन . . . ६९२

२७३ उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बस्तियां ६९२

३७४ धोखा निरोधक दस्ता ६९२–९३

३७५ केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ६९३

३७६ प्रभात बैंक का विलय ६९३–९४

३७७ ध्वनि लहरों से कृत्रिम वर्षा ६९४

३७८ सोने तथा जवाहिरात का पकड़ा जाना . . ६९४

३७९ चुनाव व्यय को घटाना . . . ६९५

३८० भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता . . . ६९५

३८१ केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण ६९५–९६

३८२ केरल में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति प्रादेशिक आयुक्त ६९६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३८३	जयपुर के निकट विमान दुर्घटना . .	६९६
३८४	सरकारी कर्मचारियों के मामलों के लिए विशेष न्यायाधिकरण	६९७
३८५	बम्बई में सोना पकड़ा जाना	६९७
३८६	उड़ीसा में माध्यमिक शिक्षा	६९७–९८
३८७	पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक	६९८
३८८	उड़ीसा में ग्रामदान कार्य .	६९८
३८९	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कल्याण योजनायें	६९९
३९०	खांडसारी पर उत्पादन शुल्क . .	६९९
३९१	स्वास्थ्य के लिये अणु के प्रयोग की प्रदर्शनी	६९९–७००
३९१	लेखा परीक्षण तथा लेखा विभाग के कर्मचारी	७००
३९३	महाराष्ट्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण	७०१–०२
३९४	प्रतिरूप निधियां . . .	७०२
३९५	सरकारी उद्योग क्षेत्र के उद्योगों के लिए मूल्यांकन दल	७०२–०३
३९६	शक्तिमान ट्रक	७०३
३९७	लोक सहायक सेवा	७०३
३९८	अगरतला से कलकत्ता के विमान भाड़े की दर .	७०४
३९९	त्रिपुरा के लिए आदिम जातीय कल्याण मंत्रणा समिति	७०४
४००	पी० एल० ४८० के अधीन सहायता	७०४
४०१	केरल में जूनियर टैक्निकल स्कूल	७०४
४०२	लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा .	७०५
४०३	सम्पदा शुल्क	७०५—०७
४०४	स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों के उत्तराधिकारियों को निवृत्ति वेतन .	७०७–०८
४०५	लोहा तथा इस्पात की मांग . .	७०८
४०६	पुलिस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी मुद्रा	७०९
४०७	गुजरात में तेल का सर्वेक्षण .	७०९
४०८	पुनर्वास वित्त प्रशासन	७०९–१०
४०९	नोटों का परिचालन . .	७१०
४१०	उड़ीसा में नये कालेज	७१०–११

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
४११ विमान-पोत	७११
४१२ अंगहीन व्यक्तियों के लिये स्कूल	७११
४१३ हार्नेस एण्ड सेडलरी फैक्टरी, कानपुर	७१२
४१४ पंजाब में तेल सर्वेक्षण	७१२–१३
४१५ पर्वतारोहण का प्रशिक्षण	७१३
३. स्थगन प्रस्ताव	७१४

अध्यक्ष महोदय ने भारत, भूटान और सिक्किम की सीमाओं के निकट चीनी फौजों के जमाव के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री खुशवक्त राय ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७१४––१७

(एक) समवाय अधिनियम कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड का वर्ष १९५९–६० का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा।

(२) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :––

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४१५।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४१६।

(३) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :––

(क) दिनांक १७ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४८५।

(ख) दिनांक २४ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४९८।

(ग) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ७।

विषय पृष्ठ

(घ) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८ ।

(ङ) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ४० ।

(च) दिनांक २१ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ७९ ।

(छ) दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७ ।

(४) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १७ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १४८६ ।

(ख) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५२९ ।

(ग) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ३९ ।

(५) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १० जिसमें दिनांक ११ जून, १९६० की जी० एस० आर० संख्या ६३७ का शुद्धिपत्र दिया हुआ है ।

(ख) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या, जी० एस० आर० ४२ में प्रकाशित भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ग) दिनांक २१ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८१ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु और निवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, १९६१ ।

(६) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात, प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २४ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५०६ ।

(ख) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५३२ ।

(ग) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११ ।

(घ) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ६० ।

(ङ) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ६१ ।

(च) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ६३ ।

विषय पृष्ठ

(छ) दिनांक २१ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ८८।

(ज) दिनांक २८ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११३।

(झ) दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३४।

(ञ) दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३६।

(७) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १६।

(ख) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ५५।

(८) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २४ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५०८।

(ख) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५३७।

(ग) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५३८।

(घ) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १५३९।

(ङ) दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १५।

(च) दिनांक १४ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ५९।

(९) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) औषधीय सामग्री (उत्पादन-शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ७ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२।

(ख) दिनांक २८ जनवरी, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११४ जिसमें क्रमशः दिनांक ३ सितम्बर, १९६० और २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १००५ और १२५६ के शुद्धि-पत्र दिये हुए हैं।

(१०) व्यय कर अधिनियम, १९५७ की धारा ४१ के अन्तर्गत दिनांक ४ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९ में प्रकाशित व्यय कर (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति।

(११) उपहार कर अधिनियम, १९५८ की धारा ४६ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६० में प्रकाशित उपहार कर (संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति।

विषय	पृष्ठ
प्राकलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . .	७१७
एक सौ तीनवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव . .	७१७—५६
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी संशोधनों पर आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	

गुरुवार २३ फरवरी १९६१/४ फ़ाल्गुन, १८८२ (शक) के लिए कार्यावलि

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अग्रेतर चर्चा और १९६०-६१ की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार ।

GMGIPND—LS III—2008 (Ai) LSD—20—3-61—125